सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

(1962 का अधिनियम संख्यांक 52)[1]

[13 दिसम्बर, 1962]

सीमाशुल्क से सम्बन्धित विधि के समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

[3][(1) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए सक्षम है, किन्तु इसके अन्तर्गत बोर्ड, [4][आयुक्त (अपील)] या अपील अधिकरण नहीं है;

(1क) "वायुयान" का वही अर्थ है जो वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) में है;

(1ख) "अपील अधिकरण" से धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और [5][सेवा कर] अपील अधिकरण अभिप्रेत है;]

[6][(2) "निर्धारण" के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण, स्वत: निर्धारण, पुनर्निर्धारण और ऐसा कोई निर्धारण भी है, जिसमें निर्धारित शुल्क शून्य है;]

(3) "यात्री सामान" के अन्तर्गत अकेला यात्री समान है किन्तु इसके अन्तर्गत मोटर यान नहीं है;

[7][(3क) "हिताधिकारी स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी ओर से माल आयात या निर्यात किया जा रहा हो या जो आयात या निर्यात किए जा रहे माल पर प्रभावी नियंत्रण रखता हो;]

(4) "प्रवेश पत्र" से धारा 46 में निर्दिष्ट प्रवेश पत्र अभिप्रेत है;

(5) "निर्यात पत्र" से धारा 50 में निर्दिष्ट निर्यात पत्र अभिप्रेत है;

(6) "बोर्ड से" [8][केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड] अभिप्रेत है;

(7) "तटीय माल" से आयातित माल से भिन्न वे माल अभिप्रेत हैं जिनका भारत में एक पत्तन से दूसरे पत्तन को जलयान द्वारा परिवहन किया जाता है;

[9][(7क) "आयुक्त (अपील)" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(8) "सीमाशुल्क आयुक्त" के अन्तर्गत अध्याय 15 के प्रयोजनों के सिवाय, सीमाशुल्क अपर आयुक्त है;]

---

[1] यह अधिनियम सिक्किम राज्य में तारीख 1-10-1979 से प्रवृत्त होगा, देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 527(अ), तारीख 1-9-1979, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(i), पृष्ठ 1148 ।

[2] 1 फरवरी, 1963, देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 155, तारीख 23-1-1963, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(i), पृष्ठ 73 ।

[3] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 50 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (11-10-1982 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 51 द्वारा "कलक्टर (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 104 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 89 द्वारा अंत:स्थापित ।

[8] 1963 के अधिनियम सं० 54 की धारा 5(2) द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर (1-1-1964 से) प्रतिस्थापित ।

[9] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 51 द्वारा, खंड (7क) और (8) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(9) "प्रवहण" के अन्तर्गत जलयान, वायुयान और यान हैं;

(10) "सीमाशुल्क विमान पत्तन" से धारा 7 के खण्ड (क) के अधीन सीमाशुल्क विमान पत्तन नियत किया गया विमान पत्तन अभिप्रेत है [1][और इसके अंतर्गत उस धारा के खंड (कक) के अधीन किसी विमान वस्तु भाड़ा स्टेशन के रूप में नियत किया गया कोई स्थान भी है];

(11) "सीमाशुल्क क्षेत्र" से सीमाशुल्क स्टेशन [2][या किसी भांडागार] का क्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र है जिसमें आयातित माल या निर्यातित माल सामान्यत: सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी के पहले रखे जाते हैं;

(12) "सीमाशुल्क पत्तन" से धारा 7 के खण्ड (क) के अधीन सीमाशुल्क पत्तन नियत किया गया पत्तन अभिप्रेत है, [3][और इसके अंतर्गत उस धारा के खंड (क) के अधीन अंतर्देशीय आधान डिपो के रूप में नियत किया गया स्थान भी है];

(13) "सीमाशुल्क स्टेशन" से सीमाशुल्क पत्तन, [4][सीमाशुल्क विमान पत्तन अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल, विदेशी डाकघर] या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन अभिप्रेत है;

(14) "शुल्क्य माल" से वे माल अभिप्रेत हैं जिन पर शुल्क प्रभार्य है और जिन पर शुल्क संदत्त नहीं किया गया है;

(15) "शुल्क" से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क अभिप्रेत है;

(16) "प्रविष्टि" से माल के सम्बन्ध में प्रवेश पत्र, पोत पत्र या निर्यात पत्र में की गई प्रविष्टि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत [5]*** धारा 84 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन की गई प्रविष्टि है;

(17) "परीक्षा" के अन्तर्गत, किसी माल के संबंध में, उनका नापना और तौलना भी है;

(18) "निर्यात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत से बाहर किसी स्थान के लिए भारत से ले जाना अभिप्रेत है;

(19) "निर्यातित माल" से ऐसे माल अभिप्रेत हैं जो भारत से बाहर किसी स्थान के लिए भारत से ले जाए जाने हैं;

(20) "निर्यातकर्ता" के अन्तर्गत, किसी माल के संबंध में, उनके निर्यात के लिए प्रविष्टि के समय और जब वे निर्यात किए जाते हैं उस समय के बीच, [4][कोई स्वामी, हिताधिकारी स्वामी] या अपने को निर्यातकर्ता व्यपदिष्ट करने वाला व्यक्ति है;

[6][(20क) "विदेशी डाकघर" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन विदेशी डाकघर होना नियत किया गया कोई डाकघर अभिप्रेत है;]

(21) "विदेशगामी जलयान या वायुयान" से वह जलयान या वायुयान अभिप्रेत है जो तत्समय भारत में किसी पत्तन या विमान पत्तन और भारत से बाहर किसी पत्तन या विमान पत्तन के बीच माल और यात्रियों के वहन में लगा है, चाहे भारत में किसी मध्यवर्ती पत्तन या विमान पत्तन को छूता हो या नहीं और इसके अन्तर्गत है,—

(i) नौसेना के अभ्यास में भाग लेने वाला विदेशी सरकार का नौसैनिक जलयान;

(ii) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड के बाहर मछली पकड़ने या किसी अन्य कार्य में लगा हुआ जलयान;

(iii) चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए भारत से बाहर किसी स्थान के लिए जाने वाला जलयान या वायुयान;

[7][(21क) "निधि" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;]

(22) "माल" के अन्तर्गत है,—

(क) जलयान, वायुयान और यान;

(ख) यान सामग्री;

(ग) यात्री सामान;

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 120 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 46 द्वारा (13-5-1983 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 89 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 89 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 89 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1991 के अधिनियम सं० 40 की धारा 9 द्वारा (20-9-1991 से) अंत:स्थापित ।

(घ) करेंसी और परक्राम्य लिखत; और

(ङ) किसी अन्य प्रकार की जंगम सम्पत्ति;

(23) "आयात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(24) "आयात सूची" या "आयात रिपोर्ट" से धारा 30 के अधीन परिदान के लिए अपेक्षित सूची या रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(25) "आयातित माल" से भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में लाए गए माल अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अन्तर्गत वे माल नहीं आते हैं जिनकी देशी उपभोग के लिए निकासी की गई है;

(26) "आयातकर्ता" के अन्तर्गत, किसी माल के संबंध में, उनके आयात किए जाने का समय और उनकी देशी उपभोग के लिए निकासी किए जाने के समय के बीच [1][कोई स्वामी, हिताधिकारी स्वामी] या अपने को आयातकर्ता व्यपदिष्ट करने वाला व्यक्ति है;

(27) "भारत" के अन्तर्गत भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड है;

(28) "भारतीय सीमाशुल्क सागर खण्ड" से [2][राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 5 के अधीन भारत के स्पर्शी क्षेत्र की सीमा तक सागर खण्ड] अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत खाड़ी, आयात, बन्दरगाह, संकरी खाड़ी या ज्वारीय नदी है;

[3][(28क) "अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल होना नियत किया गया कोई स्थान अभिप्रेत है;]

(29) "भूमि सीमाशुल्क स्टेशन" से धारा 7 के खण्ड (ख) के अधीन भूमि सीमाशुल्क स्टेशन नियत किया गया स्थान अभिप्रेत है;

(30) "बाजार कीमत" से किसी माल के सम्बन्ध में, भारत में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में माल की थोक कीमत अभिप्रेत है;

[4][(30क) "राष्ट्रीय कर अधिकरण" से राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कर अधिकरण अभिप्रेत है;]

[3][(30ख) "यात्री नाम अभिलेख सूचना" से किसी यात्री द्वारा या उसकी ओर से बुक की गई प्रत्येक यात्रा के लिए वायुयान या जलयान या यान का प्रचालक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा तैयार किए गए अभिलेख अभिप्रेत हैं ;]

(31) "भारसाधक व्यक्ति" से अभिप्रेत है,—

(क) जलयान के सम्बन्ध में, जलयान का मास्टर;

(ख) वायुयान के संबंध में, वायुयान कमाण्डर या भारसाधक पाइलट;

(ग) रेलगाड़ी के सम्बन्ध में, गाड़ी का मुख्य निदेशन करने वाला संवाहक, गार्ड या अन्य व्यक्ति;

(घ) किसी अन्य प्रवहण के संबंध में, उस प्रवहण का चालक या उसका अन्य भारसाधक व्यक्ति;

(32) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(33) "प्रतिषिद्ध माल" से वे माल अभिप्रेत हैं जिनका आयात या निर्यात इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिषेध के अधीन है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे माल नहीं हैं जिनकी बाबत उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिनके अधीन माल का आयात या निर्यात अनुज्ञात किया जाता है;

(34) "उचित अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन अनुपालन किए जाने वाले कृत्यों के संबंध में, वह सीमाशुल्क अधिकारी अभिप्रेत है जिसको बोर्ड या [5][[6][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त]] द्वारा वे कृत्य सौंपे गए हैं;

(35) "विनियम" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 89 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 1978 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (1-7-1978 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 89 द्वारा अंत:स्थापित।

[4] 2005 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित।

[5] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित।

(36) "नियम" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(37) "पोत पत्र" से धारा 50 में निर्दिष्ट पोत पत्र अभिप्रेत है;

(38) "यान सामग्री" से किसी जलयान या वायुयान में उपयोग के लिए माल अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ईंधन और फालतू पुर्जे और उपस्कर की अन्य वस्तुएं हैं चाहे तुरन्त फिट करने के लिए हों या नहीं;

(39) "तस्करी" से किसी माल के संबंध में, वह कार्य या लोप अभिप्रेत है जिससे ऐसे माल धारा 111 या धारा 113 के अधीन अधिहरणीय हो जाए;

(40) "टैरिफ मूल्य" से किसी माल के संबंध में, उनका धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य अभिप्रेत है;

(41) "मूल्य" से किसी माल के संबंध में, उनका [1][धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2)] के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है;

(42) "यान" से भूमि पर उपयोग किया जाने वाला किसी भी प्रकार का प्रवहण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत रेल यान है;

[2][(43) "भांडागार" से धारा 57 के अधीन अनुज्ञप्त कोई सार्वजनिक भांडागार या धारा 58 के अधीन अनुज्ञप्त कोई प्राइवेट भांडागार या धारा 58क के अधीन अनुज्ञप्त कोई विशेष भांडागार अभिप्रेत है;]

(44) "भाण्डागारित माल" से भाण्डागार में निक्षिप्त माल अभिप्रेत है;

[3]* * * * * * *

अध्याय 2

सीमाशुल्क अधिकारी

[4][**3. सीमाशुल्क अधिकारियों के वर्ग**—सीमाशुल्क अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात् :—

[5][(क) सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त;

(ख) सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त;

(ग) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त;

(घ) सीमाशुल्क आयुक्त;

(ङ) सीमाशुल्क आयुक्त (अपील);

(च) सीमाशुल्क संयुक्त आयुक्त;

(छ) सीमाशुल्क उप आयुक्त;

(ज) सीमाशुल्क सहायक आयुक्त;

(झ) सीमाशुल्क अधिकारियों का ऐसा अन्य वर्ग, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत किया जाए ।]

4. सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति—(1) [6][बोर्ड], ऐसे व्यक्तियों को सीमाशुल्क अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे ।

(2) [6][बोर्ड, उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उप-आयुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से निम्न पंक्ति के सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा] ।

5. सीमाशुल्क अधिकारियों की शक्तियां—(1) ऐसी शर्तों और मर्यादाओं के अधीन रहते हुए जो बोर्ड अधिरोपित करे सीमाशुल्क अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है ।

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 94 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 116 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 116 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 52 द्वारा धारा 3 और 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) कोई सीमाशुल्क अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसके अधीनस्थ किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है ।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, [1][[2][आयुक्त (अपील)]], अध्याय 15 और धारा 108 में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क अधिकारियों से भिन्न सीमाशुल्क अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

6. बोर्ड और सीमाशुल्क अधिकारियों के कृत्यों का कुछ अन्य अधिकारियों को सौंपा जाना—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी को या तो शर्त सहित या बिना शर्त के, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड या किसी सीमाशुल्क अधिकारी के कृत्यों को सौंप सकती है ।

अध्याय 3

[3][सीमाशुल्क पत्तन, विमान पत्तन, आदि का नियत किया जाना]

7. सीमाशुल्क पत्तन, विमान पत्तन आदि का नियत किया जाना—[4][(1)] [5][बोर्ड] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) उन पत्तनों या विमान पत्तनों को इस प्रकार नियत कर सकता है कि वे ही केवल आयातित माल के उतारने के लिए, और निर्यातित माल के या ऐसे माल के किसी वर्ग के लादने के लिए सीमाशुल्क पत्तन या विमान पत्तन होंगे;

[6][(कक) उन स्थानों को इस प्रकार नियत कर सकता है कि वे केवल आयातित माल को उतारने लिए और निर्यातित माल के या ऐसे माल के किसी वर्ग को लादने के लिए अंतर्देशीय [7][आधान डिपो या विमान वस्तु भाड़ा स्टेशन] होंगे;]

(ख) कुछ स्थानों को इस प्रकार नियत कर सकता है कि वे ही केवल भूमि या अन्तर्देशीय सागर खण्ड मार्ग द्वारा आयात या निर्यात किए जाने वाले माल या ऐसे माल के किसी वर्ग की निकासी के लिए भूमि सीमाशुल्क स्टेशन होंगे;

(ग) कुछ मार्गों को इस प्रकार नियत कर सकता है कि उनसे ही केवल अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल या माल का कोई वर्ग, भूमि या अन्तर्देशीय सागर खण्ड मार्ग द्वारा भारत के अन्दर या बाहर, या किसी भूमि सीमाशुल्क स्टेशन को अथवा से, किसी भूमि सीमांत से या को जा सकता है;

(घ) कुछ पत्तनों को इस प्रकार नियत कर सकता है कि वे ही केवल भारत के समस्त या किन्हीं विनिर्दिष्ट पत्तनों से तटीय माल का या ऐसे माल के किसी वर्ग का व्यापार करने के लिए तटीय पत्तन होंगे;

[8][(ङ) कुछ डाकघरों को इस प्रकार नियत कर सकता है कि वे ही केवल आयातित माल या निर्यात माल या ऐसे माल के किसी वर्ग की निकासी के लिए विदेशी डाकघर होंगे;

(च) कुछ स्थानों को इस प्रकार नियत कर सकता है कि वे ही केवल आयातित माल या निर्यात माल या ऐसे माल के किसी वर्ग की निकासी के लिए अंतरराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल होंगे ।]

[9][(2) इस धारा के अधीन जारी की गई और वित्त अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक अधिसूचना, ऐसे प्रारंभ पर, वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 105 द्वारा यथासंशोधित इस धारा के उपबंधों के अधीन जारी की गई समझी जाएगी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन संशोधन, विखंडन या निलंबन तक उसी तरह प्रवृत्त और प्रभावी बनी रहेगी ।]

8. उतरने के स्थानों का अनुमोदन करने की और सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमाओं को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति—[10][सीमाशुल्क आयुक्त],—

(क) सीमाशुल्क पत्तन या सीमाशुल्क विमान पत्तन या तटीय पत्तन में माल किसी वर्ग के माल लादने और उतारने के लिए उचित स्थान अनुमोदित कर सकता है;

(ख) किसी सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमा विनिर्दिष्ट कर सकता है ।

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 50 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (11-1-1982 से) "सीमाशुल्क अपील कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "कलक्टर (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 105 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 105 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 121 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 90 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 105 अंत:स्थापित ।
[10] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]*   *   *   *   *   *

10. नौ आरोहण के स्थानक नियत करना—[2][सीमाशुल्क आयुक्त], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी सीमाशुल्क पत्तन में या उसके समीप सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जलयान पर आरोहण या उससे अवरोहण के प्रयोजनार्थ नौ आरोहण के स्थानक नियत कर सकता है ।

अध्याय 4

माल के आयात और निर्यात का प्रतिषेध

11. माल के आयात और निर्यात का प्रतिषेध करने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन (जो निकासी के पहले या पश्चात् पूरी की जाएं) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के माल के आयात या निर्यात का प्रतिषेध कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन निम्नलिखित हैं :—

(क) भारत की सुरक्षा बनाए रखना;

(ख) लोक व्यवस्था और शिष्टता तथा नैतिकता के स्तर बनाए रखना;

(ग) तस्करी को रोकना;

(घ) किसी वर्णन के माल की कमी को रोकना;

(ङ) विदेशी मुद्रा का संरक्षण और भुगतान-संतुलन की सुरक्षा;

(च) देश की अर्थव्यवस्था को सोना और चांदी के अनियंत्रित आयात और-निर्यात से होने वाली क्षति को रोकना;

(छ) किसी कृषि उत्पाद या मीन उद्योग उत्पाद में आधिक्य को रोकना;

(ज) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में माल के वर्गीकरण, श्रेणीकरण या क्रय-विक्रय के स्तरों को बनाए रखना;

(झ) किसी उद्योग का स्थापन;

(ञ) किसी भी वर्णन के माल के देशी उत्पादन को होने वाली गम्भीर क्षति को रोकना;

(ट) मानवीय, जीव-जन्तु या वनस्पति जीवन या स्वास्थ्य का संरक्षण;

(ठ) कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व की राष्ट्रीय निधियों का संरक्षण;

(ड) क्षयशील प्राकृतिक साधनों का संरक्षण;

(ढ) पेटेन्ट, व्यापार चिह्न, [3][प्रतिलिप्यधिकारों, डिजाइनों और भौगोलिक उपदर्शनों] का संरक्षण;

(ण) प्रवंचक व्यवहार को रोकना;

(त) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा भारत के नागरिकों का पूर्णत: या भागत: अपवर्जन करते हुए किसी माल में विदेश व्यापार करना;

(थ) अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन बाध्यताओं की पूर्ति करना;

(द) किसी देश के साथ किसी संधि या करार या अभिसमय का कार्यान्वयन;

(ध) आयातित माल का किन्हीं ऐसी विधियों के अनुरूप होना जो भारत में उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल को लागू होती हैं;

(न) ऐसी दस्तावेजों के फैलाने को रोकना जिनमें ऐसी बात है जिसका किसी विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है या जो राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध है;

(प) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन को रोकना; और

(फ) कोई अन्य प्रयोजन जो साधारण जनता के हित में साधक हो ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 118 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 64 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][अध्याय 4क

अवैध रूप से आयात किए गए माल का पता चलाना और उनके व्ययन को रोकना

11क. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अवैध आयात" से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी माल का आयात अभिप्रेत है;

(ख) "सूचित स्थान" से धारा 11ग की, यथास्थिति, उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचित स्थान अभिप्रेत है;

(ग) "अधिसूचित तारीख" से किसी भी वर्णन के माल के संबंध में वह तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 11ख के अधीन ऐसे माल के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है;

(घ) "अधिसचित माल" से धारा 11ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल अभिप्रेत है ।

11ख. केन्द्रीय सरकार की माल को अधिसूचित करने की शक्ति—यदि किसी वर्ग या वर्णन के माल के अवैध आयात के परिणाम को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह समधान हो जाता है कि ऐसे माल का अवैध आयात, परिचालन या व्ययन रोकने के लिए, या ऐसे माल का पता चलाना सुकर बनाने के लिए विशेष अध्युपाय करना लोक हित में समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे वर्ग या वर्णन के माल को विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

11ग. अधिसूचित माल को कब्जे में रखने वाले व्यक्ति द्वारा भण्डारकरण के स्थान, आदि की सूचना का दिया जाना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिसूचित तारीख को किसी अधिसूचित माल को अपने स्वामित्व, कब्जे का नियंत्रण में रखता है, उस तारीख से सात दिन के अन्दर, उचित अधिकारी को अपने स्वामित्व, कब्जे या नियन्त्रण में के अधिसूचित माल के बारे में (ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं) और उस स्थान के बारे में, जहां ऐसा माल रखा गया है या भण्डारित किया गया है, विवरण देगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिसूचित तारीख के पश्चात् अधिसूचित माल अर्जित करता है, ऐसे अर्जित करने के पूर्व उचित अधिकारी को एक सूचना देगा जिसमें उस स्थान की विशिष्टियां होंगी जहां ऐसे अर्जन के पश्चात् माल को रखने या भण्डारित करने की प्रस्थापना है और ऐसे अर्जन के तुरन्त पश्चात् उचित अधिकारी को अपने द्वारा अर्जित अधिसूचित माल के बारे में (ऐसे रूप में, ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं) विवरण देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति से, जिसने अपने स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में के या अपने द्वारा अर्जित किसी अधिसूचित माल के प्रबंध में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरण दिया है, ऐसा विवरण देने की तारीख के पश्चात् उसके द्वारा अर्जित किसी अधिसूचित माल के बारे में कोई और विवरण देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक इस प्रकार अर्जित अधिसूचित माल सूचित स्थान में रखा जाता है या भण्डारित किया जाता है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित माल को हटाकर सूचित स्थान से भिन्न किसी स्थान को ले जाना चाहता है तो, वह ऐसे माल को सूचित स्थान से निकालने से पहले उचित अधिकारी को उस स्थान की विशिष्टियां देते हुए जहां ऐसे माल को हटाकर ले जाने का विचार है, सूचना देगा ।

(4) कोई व्यक्ति, अधिसूचित तारीख से सात दिन समाप्त हो जाने के पश्चात्, सूचित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी अधिसूचित माल को नहीं रखेगा या भण्डारित नहीं करेगा ।

(5) जहां किसी अधिसूचित माल का विक्रय किया गया है, या अन्तरण किया गया है वहां, ऐसे माल एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जाए जाएंगे जब तक कि उनके साथ धारा 11च में निर्दिष्ट वाउचर नहीं है ।

(6) कोई अधिसूचित माल (ऐसे माल से भिन्न जिनका विक्रय या अन्तरण किया गया है) एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जाए जाएंगे जब तक कि उनके साथ, ऐसे माल को स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में रखने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए गए (ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं), परिवहन वाउचर नहीं हैं ।

11घ. अधिसूचित माल के अर्जित करने वाले व्यक्तियों द्वारा बरती जाने वाली पूर्वावधानियां—कोई व्यक्ति अधिसूचित तारीख के पश्चात् (भारत में किसी अन्य व्यष्टि से दान या उत्तराधिकार के सिवाय) कोई अधिसूचित माल अर्जित नहीं करेगा—

(i) उस दशा के सिवाय जब कि ऐसे माल के साथ,—

(क) यथास्थिति, धारा 11च में निर्दिष्ट वाउचर या धारा 11छ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ज्ञापन है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसने स्वयं माल का आयात किया है, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा ऐसे माल की निकासी दर्शाने वाला साक्ष्य है; और

---

[1] 1969 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा (3-1-1969 से) अध्याय 4क, 4ख तथा 4ग अन्त:स्थापित ।

(ii) उस दशा के सिवाय जहां उसने, कारबार का नियत स्थान रखने वाले व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे माल का अर्जन करने के पूर्व, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा इस प्रकार अर्जित माल ऐसे माल नहीं हैं जो अवैध रूप से आयात किए गए हैं, ऐसी युक्तियुक्त कार्यवाहियां की हैं जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

11ङ. अधिसूचित माल को कब्जे में रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा जाना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् किसी अधिसूचित माल को अपने स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में रखता है या अर्जित करता है, ऐसे माल का सही और पूर्ण लेखा (ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए), रखेगा और जब-जब वह ऐसा अधिसूचित माल अर्जित करता है, या उन्हें अपने से विलग करता है, तब-तब वह ऐसे अर्जन या विलगावके बारे में उक्त लेखे में प्रविष्ट करेगा, और उसमें, यथास्थिति, उस व्यक्ति की विशिष्टियां देगा जिससे ऐसे माल अर्जित किए गए हैं या जिसके पक्ष में ऐसे माल का विलगाव किया गया है, और ऐसा लेखा, ऐसे अधिसूचित माल के, जिनके सम्बन्ध में वह लेखा है, भण्डारकरण के स्थान पर माल के साथ रखा जाएगा :

परन्तु उस व्यक्ति की दशा में जो पहले से ऐसे लेखे रखता है जिनमें उक्त नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियां हैं, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में पृथक्तः लेखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में अधिसूचित माल है और जो ऐसे माल का किसी अन्य माल के विनिर्माण में उपयोग करता है, उसके द्वारा उपयोग किए गए अधिसूचित माल का सही और पूर्ण लेखा (ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं) रखेगा और वह ऐसा लेखा सूचित स्थान पर रखेगा।

11च. अधिसूचित माल के विक्रय, आदि का वाउचरों द्वारा साक्ष्य होना—अधिसूचित तारीख को और उसके पश्चात् कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित माल का विक्रय या अन्यथा अन्तरण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे माल के विक्रय या अन्तरण के संबंध में प्रत्येक संव्यवहार का वाउचर द्वारा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, साक्ष्य नहीं होता है।

11छ. धारा 11ग, 11ङ और 11च का व्यक्तिगत उपयोग के माल को लागू न होना—(1) धारा 11ग, धारा 11ङ और धारा 11च की कोई बात किसी अधिसूचित माल को लागू नहीं होगी, जो,—

(क) उसी व्यक्ति के जिसके स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में है, व्यक्तिगत उपयोग में है, या

(ख) किसी व्यक्ति के निवास परिसर में उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा है।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचित माल है, ऐसे माल का विक्रय करता है या उनको मूल्यवान प्रतिफल के लिए अन्यथा अंतरित करता है तो वह, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती को ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं एक ज्ञापन देगा और ऐसे माल एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जाए जाएंगे जब तक कि उनके साथ ऐसा ज्ञापन न हो।

अध्याय 4ख

माल के अवैध निर्यात का रोकना या पता लगाना

11ज. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अवैध निर्यात" से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी माल का निर्यात अभिप्रेत है;

(ख) "सूचित स्थान" से धारा 11ञ की, यथास्थिति, उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचित स्थान अभिप्रेत है;

(ग) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" के अन्तर्गत भारतीय सीमाशुल्क सागर खण्ड और भारत के किसी समुद्र तट या अन्य सीमा से चौड़ाई में सौ किलोमीटर से अनधिक ऐसा अन्तर्देशीय क्षेत्र है जिसे केन्द्रीय सरकार, उस क्षेत्र की तस्करी के लिए भेद्यता को ध्यान में रखते हुए इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु जहां किसी ग्राम, शहर या नगर का कोई भाग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में आता है, वहां, इस बात के होते हुए भी कि वह पूरा ग्राम, शहर या नगर भारत के किसी समुद्र तट या अन्य सीमा से सौ किलोमीटर के अन्दर नहीं है, यह समझा जाएगा कि वह ग्राम, शहर या नगर ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित है;

(घ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से विनिर्दिष्ट माल के संबंध में वह तारीख अभिप्रेत है जिसको किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उस माल के सम्बन्ध में धारा 11झ के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट माल" से किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में धारा 11झ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी वर्णन के माल अभिप्रेत हैं ।

11झ. केन्द्रीय सरकार की माल को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति—यदि, किसी वर्ग या वर्णन के माल के अवैध निर्यात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल के अवैध निर्यात को रोकने के प्रयोजन के लिए, या उनका पता चलाना सुकर बनाने के लिए जिनका अवैध निर्यात होगा संभव है, विशेष अध्युपाय करना लोकहित में समीचीन है तो वही राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे वर्ग या वर्णन के माल को विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

11ञ. विनिर्दिष्ट माल को कब्जे में रखने वाले व्यक्ति द्वारा भण्डारकरण के स्थान, आदि की सूचना का दिया जाना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट तारीख को किसी अधिसूचित माल को अपने स्वामित्व, कब्जे या नियन्त्रण में रखता है जिसकी बाजार कीमत पन्द्रह हजार रुपए से अधिक है, तो वह उस तारीख से सात दिन के अन्दर उचित अधिकारी को उस स्थान की विशिष्टियां देते हुए जहां विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसा माल रखा गया है या भण्डारित किया गया है, सूचना देगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो (विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्दर), विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् विनिर्दिष्ट माल अर्जित करता है—

(i) जिनकी बाजार कीमत, या

(ii) जिनकी बाजार कीमत और साथ ही उसी वर्ग या वर्णन के विनिर्दिष्ट माल की, यदि कोई हो, जो ऐसे अर्जन की तारीख को उसके स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में है, बाजार कीमत,

पन्द्रह हजार रुपए से अधिक है तो ऐसा अर्जन करने से पहले, उचित अधिकारी को उस स्थान की विशिष्टियां देते हुए जहां अर्जन के पश्चात् ऐसे माल को रखने या भण्डारित करने की प्रस्थापना है, सूचना देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति से, जिसने अपने स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में के या अपने द्वारा अर्जित किसी विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना दी है, कोई और सूचना देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जब तक विनिर्दिष्ट माल अधिसूचित स्थान पर रखे या भण्डारित किए गए हैं ।

(3) यदि कोई व्यक्ति किन्हीं विनिर्दिष्ट माल को जिन्हें उपधारा (1) या उपधारा (2) लागू होती है, सूचित स्थान से भिन्न किसी स्थान को हटाना चाहता है, तो वह ऐसे माल को सूचित स्थान से निकालने से पहले उचित अधिकारी को उस स्थान की विशिष्टियां देते हुए जहां ऐसे माल को हटाकर ले जाने की प्रस्थापना है; सूचना देगा ।

(4) कोई व्यक्ति, विनिर्दिष्ट तारीख से सात दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् सूचित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी विनिर्दिष्ट माल को, जिसको उपधारा (1) या उपधारा (2) लागू होती है, नहीं रखेगा या भण्डारित नहीं करेगा ।

11ट. विनिर्दिष्ट माल का परिवहन वाउचरों के अन्तर्गत होना—(1) कोई विनिर्दिष्ट माल किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र से, में या के अन्दर परिवहन नहीं किए जाएंगे या ऐसे क्षेत्र में किसी जीवजन्तु या प्रवहण पर नहीं लादे जाएंगे, जब तक कि उनके साथ ऐसे माल को स्वामित्व, कब्जे या नियन्त्रण में रखने वाले या विक्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया (ऐसे प्ररूप में और ऐसे विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं) परिवहन वाउचर न हो :

परन्तु किसी ग्राम, शहर या नगर के अन्दर ऐसे विनिर्दिष्ट माल के परिवहन के लिए परिवहन वाउचर की आवश्यकता नहीं होगी जिनकी बाजार कीमत परिवहन की तारीख को एक हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का, विनिर्दिष्ट माल की प्रकृति और परिवहन के लिए आशयित माल की बाजार कीमत परिवहन का समय, ढंग, मार्ग और प्रयोजन और ऐसे माल के अवैध निर्यात के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की भेद्यता पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है तो वह,—

(i) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे वर्ग या वर्णन के और ऐसी राशि से अधिक बाजार कीमत के, जो वह सरकार अधिसूचित करे, माल को विनिर्दिष्ट कर सकता है; और उसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या भिन्न-भिन्न विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए एक ही वर्ग या वर्णन के, या भिन्न-भिन्न वर्ग या वर्णन के विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राशियां अधिसूचित की जा सकती हैं; और

(ii) यह निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट माल का परिवहन नहीं करेगा जब तक कि उनसे सम्बन्धित परिवहन वाउचर पर उचित अधिकारी ने प्रतिहस्ताक्षर न किए हों ।

11ठ. विनिर्दिष्ट माल को कब्जे में रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा जाना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पंद्रह हजार रुपए से अधिक बाजार कीमत के विनिर्दिष्ट माल को अपने स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में रखता है, ऐसे माल का सही और पूर्ण लेखा (ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए) रखेगा और जब-जब वह विनिर्दिष्ट माल अर्जित करता है या उन्हें अपने से विलग करता है तब-तब वह ऐसे अर्जन और विलगाव के बारे में उक्त लेखे में प्रविष्टि करेगा, और उसमें, यथास्थिति, उस व्यक्ति की विशिष्टियां देगा, जिससे ऐसे माल अर्जित किए गए हैं या जिसके पक्ष में ऐसे माल का विलगाव किया गया है, और ऐसा लेखा, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के, जिनके सम्बन्ध में वह लेखा है, भण्डारकरण के स्थान पर माल के साथ रखा जाएगा :

परन्तु उस व्यक्ति की दशा में जो पहले से ऐसे लेखे रखता है जिनमें उक्त नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियां हैं, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में पृथक्त: लेखे रखना आवश्यक नहीं होगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में ऐसे विनिर्दिष्ट माल हैं जिनको उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होते हैं, और जो ऐसे माल का किसी अन्य माल के विनिर्माण में उपयोग करता है, उसके द्वारा उपयोग किए गए विनिर्दिष्ट माल का सही और पूर्ण लेखा (ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं) रखेगा और वह ऐसा लेखा सूचित स्थान पर रखेगा ।

(3) यदि किसी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने पर किसी समय यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में के विनिर्दिष्ट माल, उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखाओं के साथ पठित, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखाओं में ऐसे सत्यापन के समय ऐसे माल के स्टाक में जितने परिमाण में दिखाए गए हैं उससे कम हैं तो, जब तक इसके प्रतिकूल साबित न किया जाए, उपधारणा की जाएगी कि ऐसे माल उस परिमाण तक जितने कि वे उक्त लेखाओं में दिखाए गए से कम हैं, अवैध रूप से निर्यात किए गए हैं और यह कि ऐसे माल को स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में रखने वाला व्यक्ति उनके अवैध निर्यात से संबंधित है ।

11ङ. विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या अन्तरण करने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां—प्रत्येक व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्दर विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या अन्यथा अन्तरण करता है, उस दशा के सिवाय जहां वह क्रेता द्वारा लिखे गए चेक द्वारा भुगतान प्राप्त करता है, विक्रय या अन्तरण के वाउचर को अपनी प्रतिलिपि पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और पूरा डाक पता लेगा जिसको ऐसा विक्रय या अंतरण किया गया है, और, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती को पहचान के बारे में अपना समाधान करने के लिए ऐसी अन्य युक्तियुक्त कार्यवाहियां करेगा जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और यदि उचित अधिकारी द्वारा की गई जांच के पश्चात् यह पाया जाता है कि, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती का आसानी से पता नहीं चल सकता या वह कल्पित व्यक्ति है तो, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे माल अवैध रूप से निर्यात किए गए हैं और जिस व्यक्ति ने ऐसे माल का विक्रय या अन्यथा अन्तरण किया है वह ऐसे अवैध निर्यात से सम्बन्धित है :

परन्तु इस धारा की कोई बात किन्हीं विनिर्दिष्ट माल के छोटे विक्रयों को लागू नहीं होगी यदि एक दिन में किए गए ऐसे छोटे विक्रयों से प्राप्त कुल बाजार कीमत दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "छोटे विक्रय" से एक हजार रुपए से अनधिक कीमत पर विक्रय अभिप्रेत है ।

अध्याय 4ग

अध्याय 4क और 4ख के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति

11ढ. छूट देने की शक्ति—यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी वर्ग या वर्णन के माल को अध्याय 4क या अध्याय 4ख के सभी या किन्हीं उपबंधों से या तो आत्यंतिक रूप से, या ऐसी शर्तों के अधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, साधारणतया छूट दे सकती है ।

अध्याय 5

सीमाशुल्क का उद्ग्रहण और उससे छूट

12. शुल्क्य माल—(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, भारत में आयात किए गए या भारत से निर्यात किए गए माल पर सीमाशुल्क का ऐसी दरों पर [1][जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51)] या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, उद्ग्रहण किया जाएगा ।

[2][(2) उपधारा (1) के उपबन्ध सरकार के सभी माल को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे गैर सरकारी माल को लागू हैं ।]

13. मूषण किए गए माल पर शुल्क—यदि कोई आयातित माल उनके उतारने के पश्चात् और उचित अधिकारी द्वारा उनके देशी उपभोग के लिए या किसी भाण्डागार में निक्षेप के लिए निकासी का आदेश दिए जाने के पहले मूषण किए गए हों, तो उस दशा के सिवाय जहां ऐसे मूषण किए गए माल आयातकर्ता को प्रत्यावर्तित किए जाते हैं, आयातकर्ता ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क देने का दायी नहीं होगा ।

[3][**14. माल का मूल्यांकन**—(1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए, आयातित माल या निर्यातित माल का मूल्य, ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य होगा, अर्थात् माल के लिए, जब माल, यथास्थिति, भारत को निर्यात हेतु परिदान के लिए आयात के समय और स्थान पर या भारत से निर्यात हेतु परिदान के लिए, निर्यात के समय और स्थान पर ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, विक्रय किया जाता है, वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत होगा, जहां माल के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और कीमत ही विक्रय के लिए एक मात्र प्रतिफल है :

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 51 की धारा 13 द्वारा (2-8-1976 से) "इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (1934 का 32)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (1-10-1963 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 95 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु आयातित माल की दशा में ऐसे संव्यवहार मूल्य में, यथा पूर्वोक्त कीमत के अतिरिक्त, कमीशन और दलाली सहित लागत और सेवाओं के लिए संदत्त या संदेय कोई रकम, इंजीनियरी, डिजाइन कार्य, स्वामिस्व और अनुज्ञप्ति फीस, आयात के स्थान तक परिवहन की लागत, इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति में प्रभार्य बीमा, लदाई, उतराई और रख-रखाव प्रभार्य भी सम्मिलित हैं :

परन्तु यह और कि इस निमित्त बनाए गए नियम निम्नलिखित का उपबंध कर सकेंगे :—

(i) वे परिस्थितियां, जिनमें क्रेता और विक्रेता संबंधी समझे जाएंगे;

(ii) माल की बाबत मूल्य के अवधारण की रीति जब कोई विक्रय न हो या क्रेता और विक्रेता संबंधी न हो अथवा विक्रय के लिए या किसी अन्य दशा में कीमत ही एक मात्र प्रतिफल न हो;

(iii) जहां समुचित अधिकारी के पास ऐसे मूल्य और इस धारा के प्रयोजनों के लिए मूल्य के अवधारण की सत्यता या यर्थाथता के बारे में संदेय करने का कारण हो, वहां, यथास्थिति, आयातक या निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य को स्वीकार या अस्वीकार करने की रीति :

परन्तु यह भी कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को, जिसको, यथास्थिति, धारा 46 के अधीन प्रवेशपत्र प्रस्तुत किया जाता है या धारा 50 के अधीन निर्यात का पोतपत्र प्रस्तुत किया जाता है, यथाप्रवृत्त विनिमय की दर के प्रतिनिर्देश से की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयातित माल या निर्यातित माल के किसी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्य उस या उसके जैसे माल की मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, नियत कर सकेगी और जहां ऐसे कोई टैरिफ मूल्य नियत किए जाते हैं वहां शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के प्रतिनिर्देश से प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विनिमय दर" से वह दर अभिप्रेत है जो—

(i) बोर्ड द्वारा अवधारित की गई हो; या

(ii) उस रीति से अभिनिश्चित की गई हो, जो बोर्ड,

भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में या विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के लिए निदेश करे;

(ख) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" के वही अर्थ हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ड) और (थ) में हैं ।]

15. आयातित माल के शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन के अवधारण की तारीख—(1) आयातित माल को लागू होने वाली [1][शुल्क की दर, [2]***] और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, वह प्रवृत्त दर और मूल्यांकन होगा जो,—

(क) धारा 46 के अधीन देशी उपभोग के लिए प्रविष्ट माल की दशा में, उस तारीख को है जिसको ऐसे माल के बारे में उस धारा के अधीन प्रवेश पत्र पेश किया जाता है;

(ख) धारा 68 के अधीन भाण्डागार से निकासी किए गए माल की दशा में, उस तारीख को है [3][जिसको ऐसे माल के बारे में उस धारा के अधीन देशी उपभोग के लिए प्रवेश का बिल पेश किया जाता है];

(ग) किसी अन्य माल की दशा में, शुल्क संदाय करने की तारीख को है :

[4][परन्तु यदि प्रवेश पत्र उस जलयान के अंतर्प्रवेश की या उस वायुयान [5][या यान] के पहुंचने की, जिसके द्वारा माल आयात किया जाता है, अनुमति की तारीख के पहले पेश किया गया हो तो प्रवेश पत्र, यथास्थिति, ऐसे अंतर्प्रवेश या पहुंचने की अनुमति की तारीख को पेश किया गया समझा जाएगा ।]

(2) इस धारा के उपबन्ध यात्री सामान और डाक द्वारा आयातित माल को लागू नहीं होंगे ।

[6]* * * * *

[1] 1966 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "शुल्क की दर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1978 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा "विनिमय दर" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 106 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 59 द्वारा (28-9-1996 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 80 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[6] 1966 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित धारा 15 की उपधारा (3) का 1978 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा (1-7-1978 से) लोप किया गया ।

16. निर्यातित माल के शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन के अवधारण की तारीख—[1][(1) निर्यातित माल को लागू होने वाली शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, वह प्रवृत्त दर और मूल्यांकन होगा जो—

(क) धारा 50 के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट माल की दशा में, उस तारीख को है, जिसको उचित अधिकारी, धारा 51 के अधीन निर्यात के लिए माल की निकासी और लदाई अनुज्ञात करते हुए आदेश करता है;

(ख) किसी अन्य माल की दशा में, शुल्क संदाय करने की तारीख को है ।]

(2) इस धारा के उपबन्ध यात्री सामान और डाक द्वारा निर्यातित माल को लागू नहीं होंगे ।

[2][**17. शुल्क का निर्धारण**—(1) धारा 46 के अधीन किसी आयातित माल को प्रविष्ट करने वाला कोई आयातकर्ता या धारा 50 के अधीन किसी निर्यात माल को प्रविष्ट करने वाला कोई निर्यातकर्ता, धारा 85 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का, यदि कोई हो, स्वत: निर्धारण करेगा ।

(2) उचित अधिकारी, ऐसे माल के स्वत: निर्धारण का सत्यापन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए, किसी आयातित माल या निर्यात माल की या उसके ऐसे भाग की, जो आवश्यक हो, परीक्षा या परीक्षण कर सकेगा ।

[3][(3) उपधारा (2) के अधीन स्वत: निर्धारण के सत्यापन के लिए, उचित अधिकारी, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से कोई दस्तावेज या जानकारी, जिसके द्वारा, यथास्थिति, आयातित माल या निर्यात माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क अभिनिश्चित किया जा सकता है, पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और तदुपरि आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति, ऐसा दस्तावेज पेश करेगा या ऐसी जानकारी देगा ।]

(4) यदि माल के सत्यापन, परीक्षा या परीक्षण पर या अन्यथा यह पाया जाता है कि स्वत: निर्धारण सही रूप में नहीं किया गया है तो उचित अधिकारी ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का पुनर्निर्धारण कर सकेगा ।

(5) जहां, उपधारा (4) के अधीन किया गया कोई पुनर्निर्धारण, इस अधिनियम के अधीन उसके लिए जारी की गई किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल के मूल्यांकन, वर्गीकरण, शुल्क से छूट या रियायतों की बाबत आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किए गए स्वत: निर्धारण के प्रतिकूल है और उन मामलों से भिन्न मामलों में जहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता उक्त पुनर्निर्धारण की अपनी स्वीकृति की लिखित में पुष्टि करता है, वहां उचित अधिकारी, यथास्थिति, प्रवेश पत्र या पोत परिवहन पत्र के पुनर्निर्धारण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पुनर्निर्धारण के संबंध में एक सकारण आदेश पारित करेगा ।

(6) जहां पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है या पुनर्निर्धारण के संबंध में कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां उचित अधिकारी, जैसा समीचीन हो, आयातित माल या निर्यात माल के शुल्क के निर्धारण की अपने कार्यालय या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के परिसरों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संपरीक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उन मामलों में, जहां आयातकर्ता ने उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त अधिनियम, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, धारा 46 के अधीन किसी आयातित माल को प्रविष्ट किया है या किसी निर्यातकर्ता ने धारा 50 के अधीन किसी निर्यात माल को प्रविष्ट किया है, वहां ऐसा आयातित माल या निर्यात माल धारा 17, जैसी वह उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व विद्यमान थी, के उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा ।]

18. शुल्क का अनन्तिम निर्धारण—[4][(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 46 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन स्वत: निर्धारण करने में असमर्थ है और निर्धारण के लिए उचित अधिकारी को लिखित में अनुरोध करता है; या

(ख) जहां उचित अधिकारी किसी आयातित माल या निर्यात माल का कोई रासायनिक या अन्य परीक्षण कराना आवश्यक समझता है; या

(ग) जहां आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज पेश कर दिए हैं और पूर्ण जानकारी दे दी है, किन्तु उचित अधिकारी आगे और जांच करना आवश्यक समझता है; या

(घ) जहां आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं या जानकारी नहीं दी गई है और उचित अधिकारी आगे और जांच करना आवश्यक समझता है,

वहां उचित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क का अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाए, यदि, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ऐसे शुल्क के, जो अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारित या पुनर्निर्धारित किया जाए और

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 91 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क के बीच की कमी का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देता है, जो उचित अधिकारी ठीक समझे ।]

(2) जब ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अंतिम रूप से निधारित [1][या उचित अधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारित] किया जाता है, तब

(क) देशी उपभोग या निर्यात के लिए निकासी किए गए माल की दशा में संदत्त रकम अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क के प्रति समायोजित कर दी जाएगी और यदि इस प्रकार संदत्त रकम [1][अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारित या पुनर्निर्धारित] से कम या अधिक है तो माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, यथास्थिति, कमी को पूरा करेगा या प्रतिदाय पाने का हकदार होगा;

(ख) भाण्डागारित माल की दशा में जहां [1][अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारित या पुनर्निर्धारित] शुल्क अनन्तिम रूप से निर्धारित शुल्क से अधिक है वहां, उचित अधिकारी आयातकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने को शुल्क के आधिक्य की रकम के दुगुने के बराबर राशि के लिए आबद्ध करते हुए बन्धपत्र निष्पादित करे ।

[2][(3) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता उपधारा (2) के अधीन अंतिम निर्धारण आदेश के [1][या पुनर्निर्धारण आदेश] के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को संदेय किसी रकम पर धारा 28कख के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत दर पर उस मास के पहले दिन से जिसमें शुल्क का अनंतिम रूप निर्धारण किया जाता है, उसके संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।]

(4) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, यदि उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी प्रतिदेय रकम का उस उपधारा के अधीन शुल्क के अंतिम रूप से निर्धारण [1][अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारण या शुल्क के पुनर्निर्धारण] की तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, तो ऐसी अप्रतिदत्त रकम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 27क के अधीन नियत दर पर ऐसी रकम के प्रतिदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन प्रतिदेय शुल्क की रकम और उपधारा (4) के अधीन ब्याज, यदि कोई हो, निधि में जमा किए जाने की बजाय, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को संदत्त की जाएगी यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शुल्क और, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा संदत्त ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने ऐसे शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज का भार, यदि कोई हो, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित न कर दिया हो;

(ख) किसी व्यष्टि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए किए गए आयातों पर शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो;

(ग) शुल्क और क्रेता द्वारा वहन किए गए ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज का भार, यदि कोई हो, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित न कर दिया हो;

(घ) धारा 26 में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात शुल्क;

(ङ) धारा 74 और धारा 75 के अधीन संदेय शुल्क की वापसी ।]

19. जहां माल में ऐसी वस्तुएं है जिन पर शुल्क की भिन्न दरें लागू होती हैं वहां शुल्क का अवधारण—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में जैसा अन्यथा उपबन्धित हो उसके सिवाय, जहां माल में बहुत सी वस्तुएं हैं वहां शुल्क निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा :—

(क) उन वस्तुओं पर, जिन पर परिमाण के अनुसार शुल्क लगता है, वह शुल्क प्रभार्य होगा;

(ख) उन वस्तुओं पर जिन पर मूल्य के अनुसार शुल्क लगता है, यदि उन पर एक ही दर पर शुल्क लगता है तो उसी दर से शुल्क प्रभार्य होगा, और यदि उन पर भिन्न-भिन्न दरों से शुल्क लगता है, तो ऐसी दरों में से अधिकतम दर से शुल्क प्रभार्य होगा;

(ग) उन वस्तुओं पर, जिन पर शुल्क नहीं लगता है उस दर से शुल्क प्रभार्य होगा जिस पर उन वस्तुओं पर शुल्क लगता है जिन पर खण्ड (ख) के अधीन मूल्य के अनुसार शुल्क लगता है :

परन्तु यह कि,—

(क) किसी वस्तु के उपसाधनों और फालतू पुर्जों या अनुरक्षण और मरम्मत करने के उपकरणों पर जो इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करते हैं, उस वस्तु पर लगने वाले शुल्क की दर से ही शुल्क प्रभार्य होगा;

---

[1] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 39 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) यदि आयातकर्ता, शुल्क की भिन्न-भिन्न दरों के लिए दायी वस्तुओं में से किसी वस्तु के मूल्य के बारे में उचित अधिकारी के समाधान पर्यन्त साक्ष्य पेश करता है [1][या साक्ष्य उपलब्ध है] तो ऐसी वस्तु पर उसको लागू होने वाली दर से पृथक् रूप से शुल्क प्रभार्य होगा ।

[2][**20. माल का पुन: आयात**—यदि माल भारत से निर्यात के पश्चात् भारत में आयात किया जाता है तो ऐसे माल पर शुल्क लगेगा और वह ऐसी सभी शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, के अधीन होगा, जिनके अधीन उसी किस्म और उसी मूल्य का उसके आयात पर होता है :

[3]* * * * *

21. त्यक्त माल, ध्वस्तपोत-सामग्री आदि—उस सभी माल के साथ जो त्यक्त, क्षिप्त, प्लुतक और ध्वस्तपोत-सामग्री है और जो भारत में लाया जाता है या आता है इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो वह भारत में आयात किया गया था जब तक कि उचित अधिकारी के समाधानपर्यन्त यह न दर्शाया जाए कि वह इस अधिनियम के अधीन निशुल्क प्रविष्ट किए जाने का हकदार है ।

22. उस माल पर शुल्क की कमी जिनका नुकसान या क्षय हो गया है—(1) जहां [4][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] के समाधान पर्यन्त यह दर्शाया जाता है कि—

(क) किसी आयातित माल का भारत में माल के उतारे जाने के पहले या दौरान किसी समय नुकसान या क्षय हो गया है; या

(ख) भाण्डागारित माल से भिन्न किसी आयातित माल का, उसके भारत में उतारे जाने के पश्चात् किन्तु धारा 17 के अधीन उसकी परीक्षा के पहले किसी समय, किसी दुर्घटना के कारण जो आयातकर्ता, उसके नियोजिती या अभिकर्ता के जानबूझकर किए गए कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण नहीं हुई है, नुकसान हो गया है; या

(ग) किसी भाण्डागारित माल का देशी उपभोग के लिए निकासी किए जाने के पहले किसी समय किसी दुर्घटना के कारण जो स्वामी, उसके नियोजिती या अभिकर्ता के जानबूझकर किए गए कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण नहीं हुई है, नुकसान हो गया है,

वहां ऐसे माल पर उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार शुल्क प्रभार्य होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल पर प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का, नुकसान या क्षय होने के पहले माल पर प्रभार्य शुल्क से वही अनुपात होगा जो नुकसान या क्षय हुए माल के मूल्य का नुकसान या क्षय होने के पहले के मूल्य से है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नुकसान या क्षय हुए माल का मूल्य स्वामी के विकल्प पर निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा, अभिनिश्चित किया जा सकता है :—

(क) ऐसे माल का मूल्य उचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित किया जा सकता है; या

(ख) ऐसे माल का उचित अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलाम द्वारा या निविदा द्वारा, या स्वामी की सम्मति से किसी अन्य रीति से विक्रय किया जा सकता है, और यह समझा जाएगा कि कुल विक्रय आगम ऐसे माल का मूल्य है ।

23. खोए हुए, नष्ट या परित्यक्त माल पर शुल्क की छूट—(1) [5][यदि धारा 13 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना], [4][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] के समाधानपर्यन्त, यह दर्शाया जाता है कि कोई आयातित माल देशी उपभोग के लिए निकासी किए जाने के पहले [6][किसी समय (मूषण से अन्यथा) खो गया है] या नष्ट हो गया है, तो [4][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] ऐसे माल को शुल्क से छूट देगा ।

[7][(2) धारा 47 के अधीन देशी उपभोग के लिए माल की निकासी का आदेश या धारा 60 के अधीन भांडागार में माल के निक्षेप को अनुज्ञात करने का आदेश दिए जाने के पहले किसी भी समय किसी आयातित माल का स्वामी, माल पर अपने हक का त्याग कर सकेगा और तब वह उस पर सीमाशुल्क का संदाय करने का दायी नहीं होगा :]

[8][परन्तु किसी ऐसे आयातित माल के स्वामी को, ऐसे माल पर अपने हक का त्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है ।]

---

[1] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 40 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 60 द्वारा धारा 20 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 53 द्वारा परंन्तुकों और स्पष्टीकरणों का लोप किया गया ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 48 द्वारा "किसी समय खो गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 48 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 60 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 58 द्वारा अंत:स्थापित ।

24. माल के विकृतीकरण या विकलीकरण के लिए नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार उस आयातित माल के जो एक से अधिक प्रयोजनों के लिए सामान्यत: उपयोग किए जाते हैं उन्हें एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए स्वामी के अनुरोध पर विकृतीकरण या विकलीकरण को अनुज्ञात करने के लिए नियम बना सकती है; और जहां कोई माल इस प्रकार विकृत या विकलित किए जाते हैं वहां वे ऐसी दर पर शुल्क से प्रभार्य होंगे जो उन्हें लागू होती यदि माल विकृत या विकलित रूप में आयात किए जाते ।

25. शुल्क से छूट देने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट वर्णन के माल को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से या उसके किसी भाग से या तो आत्यन्तिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन (जो निकासी के पहले या पश्चात् पूरी की जाएंगी) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए साधारणत: छूट दे सकती है ।

[1][(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे माल को, जिस पर शुल्क उद्ग्रहणीय है, ऐसी आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जिनका उल्लेख ऐसे आदेश में किया जाएगा, शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी ।]

[2][(2क) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की परिधि या उसके लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन ऐसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश के जारी किए जाने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित कर सकेगी और प्रत्येक ऐसे स्पष्टीकरण का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वह सदैव, यथास्थिति, उक्त प्रथम अधिसूचना या आदेश का भाग रहा हो ।]

[3][(3) किसी माल पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क (उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क को इसमें इसके पश्चात् कानूनी शुल्क कहा गया है) के किसी भाग से ऐसे माल की बाबत उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन छूट, ऐसे माल पर ऐसी दर, जो उस स्वरूप और पद्धति में अभिव्यक्त दर से भिन्न है जिस स्वरूप या पद्धति में कानूनी शुल्क उद्ग्रहणीय है शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करके दी जा सकेगी और इस उपधारा में उपबंधित रीति से किसी माल के संबंध में दी गई कोई छूट इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी कि ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क किसी भी दशा में कानूनी शुल्क में अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—सीमाशुल्क की दर के संबंध में, "स्वरूप या पद्धति" से अभिप्रेत है, वह आधार, अर्थात् मूल्यांकन, भार, संख्या, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन या अन्य माप, जिसके प्रति निर्देश से शुल्क उद्ग्रहणीय है ।]

[4][(4) उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके प्रकाशन के लिए जारी तारीख को प्रवृत्त होगी ।]

[5]* * * * *

[6][(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, शुल्क का संग्रहण तब नहीं किया जाएगा जब उद्ग्रहणीय शुल्क की रकम एक सौ रुपए के बराबर या उससे कम है ।]

[7][(7) राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 6 और धारा 7 में यथा निर्दिष्ट क्रमश: भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निष्कर्षित या उत्पादित और 7 फरवरी, 2002 के पूर्व आयातित खनिज तेलों को (जिनके अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतित गैस भी है) ऐसे खनिज तेलों पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझा जाएगा और सदैव से छूट प्राप्त समझा जाएगा तथा तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे खनिज तेलों की बाबत कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी ।

(8) उपधारा (7) के अधीन उपबंधित छूट के होते हुए भी, उसमें विनिर्दिष्ट खनिल तेलों की बाबत संदत्त सीमाशुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।]

26. कुछ दशाओं में निर्यात शुल्क का प्रतिदाय—जहां माल के निर्यात पर किसी शुल्क का संदाय किया गया है वहां ऐसे शुल्क का उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसकी ओर से वह संदाय किया गया था, यदि—

(क) माल ऐसे व्यक्ति को पुन: विक्रय से भिन्न किसी प्रकार से वापस किया जाता है;

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 107 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 119 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 49 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 119 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 119 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 107 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 81 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) माल निर्यातs की तारीख से एक वर्ष के बराबर पुन: आयात किया जाता है; और

(ग) ऐसे शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन उस तारीख से छह मास के अवसान के पूर्व किया जाता है जिसको उचित अधिकारी माल की निकासी का आदेश देता है ।

[1][**26क. कतिपय मामलों में आयात शुल्क का प्रतिदाय**—(1) जहां किसी माल के आयात पर, जो ऐसे आयातित माल के रूप में आसानी से पहचान योग्य है, घरेलू उपभोग के लिए ऐसे माल की निकासी पर किसी शुल्क का संदाय किया गया है, यदि,—

(क) माल दोषपूर्ण पाया जाता है या अन्यथा माल के निर्यातकर्ता और प्रदायकर्ता के बीच करार किए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाया जाता है :

परन्तु माल आयात के पश्चात् तैयार, नहीं किया गया है, उसकी मरम्मत नहीं की गई है या उसका उपयोग नहीं किया गया है सिवाय वहां के जहां ऐसा उपयोग दोषों या विनिर्देशों के अनुरूप न होने का पता लगाने के लिए अनिवार्य था;

(ख) माल की, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त के, समाधानप्रद रूप में, ऐसे माल के रूप में पहचान की गई है, जो आयात किया गया था;

(ग) आयातकर्ता इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन वापसी का दावा नहीं करता है; और

(घ) (i) माल का निर्यात किया गया है; या

(ii) आयातकर्ता माल के अपने हक का परित्याग करता है और उसे सीमाशुल्क के अधिकार में छोड़ देता है; या

(iii) ऐसे माल को समुचित अधिकारी की उपस्थिति में, नष्ट कर दिया है या उसे वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन बना दिया गया है,

वहां, उस तारीख से, जिसको समुचित अधिकारी धारा 47 के अधीन घरेलू उपभोग के लिए आयातित माल की निकासी का आदेश करता है, तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसा शुल्क, उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा, या जिसकी ओर से उसका संदाय किया गया था, प्रतिदत्त किया जाएगा :

परन्तु तीस दिन की अवधि को पर्याप्त कारण दर्शित करने पर सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात ऐसे माल को लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है ।

(2) शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन सुसंगत तारीख से छह मास की समाप्ति से पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) ऐसे मामलों में, जहां माल भारत से बाहर निर्यात किया जाता है वह तारीख, जिसको समुचित अधिकारी धारा 51 के अधीन आयात के लिए माल की निकासी और लदाई की अनुमति देने वाला आदेश करता है;

(ख) ऐसे मामलों में, जहां माल के हक का परित्याग किया जाता है, ऐसे परित्याग की तारीख;

(ग) ऐसे मामले में जहां माल को नष्ट किया जाता है या वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन बनाया जाता है, वहां, माल को ऐसे नष्ट करने या वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन बनाने की तारीख ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय नाशवान माल और ऐसे माल के संबंध में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसकी अवधि शेल्फ लाइफ या सिफारिश की गई उपयोग-पूर्व-भंडारण अवधि से अधिक हो गई है ।

(4) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी अन्य शर्त विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय अनुज्ञात किया जा सकेगा ।]

[2][**27. शुल्क के प्रतिदाय के लिए दावा**—[3][(1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) उसके द्वारा संदत्त; या

(ख) उसके द्वारा वहन किए गए,

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 85 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 40 की धारा 10 द्वारा (20-9-1991 से) धारा 27 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किसी शुल्क या ब्याज के प्रतिदाय का दावा करता है, ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसे प्रतिदाय के लिए सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में आवेदन कर सकेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु जहां प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कर दिया गया है, वहां ऐसा आवेदन उपधारा (1) के अधीन, जैसी वह उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व विद्यमान थी, किया गया समझा जाएगा और उस पर उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी :

परन्तु यह और कि एक वर्ष की परिसीमा वहां लागू नहीं होगी, जहां कोई शुल्क या ब्याज, अभ्यापत्तिपूर्वक संदत्त किया गया है :

[1][परन्तु यह भी कि जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम एक सौ रुपए से कम है, वहां उसका प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, आयातकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के संबंध में "ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख" का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा "माल के क्रय की तारीख" है ।

(1क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ ऐसा दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 28ग में निर्दिष्ट दस्तावेज भी हैं) लगा होगा, जो आवेदक यह स्थापित करने के लिए दे कि ऐसे शुल्क या ब्याज की रकम, जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उससे संगृहीत या उसके द्वारा संदत्त की गई थी और ऐसे शुल्क या ब्याज का भार उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है ।

(1ख) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, एक वर्ष की परिसीमा अवधि की संगणना, निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे माल की दशा में, जो धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी विशेष आदेश द्वारा शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है, एक वर्ष की परिसीमा की संगणना उस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी :

(ख) जहां शुल्क अपील प्राधिकरण, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय हो जाता है, वहां एक वर्ष की परिसीमा की संगणना ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की तारीख से की जाएगी;

(ग) जहां किसी शुल्क का धारा 18 के अधीन अनंतिम रूप से संदाय किया जाता है, वहां एक वर्ष की परिसीमा की संगणना शुल्क के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख से या पुनर्निर्धारण की दशा में ऐसे पुनर्निर्धारण की तारीख से की जाएगी ।]

(2) यदि ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर [2][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा संदत्त सम्पूर्ण [3][शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो] या उसका कोई भाग प्रतिदेय है तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा और इस प्रकार अवधारित रकम निधि में जमा की जएगी :

परन्तु इस उपधारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन [2][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] यथा अवधारित [3][शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो] की रकम, निधि में जमा की जाने के बजाय आवेदक को संदत्त की जाएगी यदि ऐसी रकम का संबंध निम्नलिखित से है :—

(क) [4][यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता] द्वारा संदत्त शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, यदि उसने [3][शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो], का आपतन किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया था;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किए गए आयातों पर [3][शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो];

(ग) क्रेता द्वारा वहन किया गया शुल्क यदि उसने ऐसे [3][शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो] का आपतन किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया था;

(घ) धारा 26 में यथाविनिर्दिष्ट निर्यात शुल्क;

(ङ) धारा 74 और धारा 75 के अधीन संदेय शुल्क की वापसी;

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 65 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा (23-12-1991 से) "शुल्क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 108 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(च) आवेदकों के किसी अन्य ऐसे वर्ग द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, वहन किया गया [1][शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो] :

[2][(छ) किसी आयातकर्ता द्वारा, घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी को अनुज्ञात करने वाले किसी आदेश के किए जाने से पूर्व संदत्त अधिक शुल्क,—

(i) जहां स्वत: निर्धारित प्रवेश पत्र की दशा में, शुल्क का ऐसा अधिक संदाय प्रवेश पत्र से सुव्यक्त है; या

(ii) जहां पुन: निर्धारण की दशा में पुन: निर्धारित प्रवेश पत्र में वास्तविक रूप से संदेय शुल्क उपदर्शित किया जाता है :]

परन्तु यह और कि पहले परन्तुक के खंड (च) के अधीन कोई अधिसूचना तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार की राय में संबंधित व्यक्तियों द्वारा [1][शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो] का आपतन किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है ।

(3) अपील अधिकरण [3][राष्ट्रीय कर अधिकरण] या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के पहले परन्तुक के खंड (च) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, यदि संसद् की बैठक चल रही है तो अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र और यदि उसकी बैठक नहीं चल रही है तो उसके पुन: समवेत होने के सात दिन के भीतर संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और केन्द्रीय सरकार उस दिन से, जिसको ऐसी अधिसूचना लोक सभा के समक्ष इस प्रकार रखी जाती है, आरंभ होने वाली पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संकल्प प्रस्तावित करके उस अधिसूचना के संबंध में संसद् का अनुमोदन प्राप्त करेगी और यदि संसद् अधिसूचना में कोई उपांतरण करती है या निदेश देती है कि अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं होगा तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (2) के पहले परन्तुक के खंड (च) के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, जिसके अन्तर्गत उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित या उपांतरित ऐसी कोई अधिसूचना भी है, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय विखंडित कर सकेगी ।]

[4][**27क. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज**—यदि किसी आवेदक को धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिदाय किए जाने के लिए आदिष्ट किसी शुल्क का, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो उस आवेदक को ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति के ठीक पश्चात् उस तारीख से ऐसे शुल्क के प्रतिदाय की तारीख तक ऐसे शुल्क पर [5][पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष से अन्यून] और तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर पर, [6][जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] तत्समय नियत की जाए, ब्याज का संदाय किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी शुल्क का, जिसका ऐसी तारीख के पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 1995 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की बाबत उस धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रतिदाय किए जाने का आदेश किया जाता है, ऐसी तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, वहां आवेदक को, ऐसी तारीख से ठीक तीन मास के पश्चात् की तारीख से ऐसे शुल्क के प्रतिदाय की तारीख तक इस धारा के अधीन ब्याज का संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण [3][राष्ट्रीय कर अधिकरण] या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिदाय का कोई आदेश किया जाता है वहां, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा के अधीन पारित आदेश समझा जाएगा ।]

[7][**28. उद्गृहीत न किए गए या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए शुल्कों की वसूली**—(1) जहां कोई शुल्क दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से भिन्न किसी कारण [8][उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है] या भूल से उसका प्रतिदाय किया गया है या संदेय कोई ब्याज संदत्त नहीं किया गया है या भागत: संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां,—

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा (23-12-1991 से) "शुल्क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 92 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 55 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 102 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 120 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उचित अधिकारी, सुसंगत तारीख से [1][दो वर्ष] के भीतर ऐसे शुल्क या ब्याज से, जो इस प्रकार उद्गृहीत [2][या संदत्त] नहीं किया गया है या जिसे कम उद्गृहीत या कम संदत्त किया गया है या जिसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, प्रभार्य व्यक्ति को, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए;

(ख) शुल्क या ब्याज से प्रभार्य व्यक्ति,—

(i) ऐसे शुल्क को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर; या

(ii) उचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित शुल्क के आधार पर,

खंड (क) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, शुल्क की रकम का धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ या ब्याज की उस रकम के साथ, जो इस प्रकार संदत्त नहीं की गई है या भागत: संदत्त की गई है, संदाय कर सकेगा :

[3][परन्तु उचित अधिकारी ऐसी कारण बताओ सूचना की तामील नहीं करेगा, जहां कि अंतर्वलित रकम एक सौ रुपए से कम है ।]

(2) वह व्यक्ति, जिसने शुल्क का ब्याज के साथ या उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ब्याज की रकम का संदाय किया है, उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस प्रकार संदत्त शुल्क या ब्याज या ऐसे शुल्क या ब्याज की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्ग्रहणीय किसी शास्ति की बाबत उस उपधारा के खंड (क) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :

[4][परन्तु जहां उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सूचना की तामील की गई है और उचित अधिकारी की यह राय है कि, यथास्थिति, धारा 28कक के अधीन शुल्क की रकम उस पर संदेय ब्याज सहित या सूचना में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज की रकम, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर पूर्णतया संदत्त कर दी गई है, वहां कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी और ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जिनको उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उक्त सूचना की तामील की गई है, कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।]

(3) जहां उचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त रकम वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, वहां वह उस रकम की बाबत, जो उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वास्तव में संदेय रकम से कम हो जाती है, उस उपधारा के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने की कार्यवाही करेगा और [1][दो वर्ष] की अवधि की संगणना उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(4) जहां कोई शुल्क आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा,—

(क) दुरभिसंधि; या

(ख) किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन; या

(ग) तथ्यों को छिपाने,

के कारण [1][उद्गृहीत किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है] या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है या संदेय ब्याज को संदत्त नहीं किया गया है या भागत: संदत्त किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां उचित अधिकारी सुसंगत तारीख से पांच वर्ष के भीतर ऐसे शुल्क या ब्याज से, प्रभार्य व्यक्ति को, जिससे ब्याज [1][इस प्रकार उद्गृहीत किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है] या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या जिसको भूल से प्रतिदाय किया गया है, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील करेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ।

(5) जहां अयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के ऐसे अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा, जिसे उचित अधिकारी द्वारा उपधारा (4) के अधीन सूचना की तामील की गई है, दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के कारण कोई [1][शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है] या ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है या भागत: संदत्त किया गया है अथवा शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति पूर्णत: या भागत: जैसा उसके द्वारा प्रतिगृहीत किया जाए, शुल्क का और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज का और सूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क के [5][पंद्रह प्रतिशत] के बराबर शास्ति का या उस शुल्क का, जो उस व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहीत किया जाए, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की उचित अधिकारी को लिखित में सूचना दे सकेगा ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 120 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 120 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 66 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 82 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) जहां, यथास्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी ने उपधारा (5) के अधीन शुल्क का ब्याज और शास्ति सहित संदाय कर दिया है, वहां उचित अधिकारी शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण करेगा और अवधारण किए जाने पर, यदि उचित अधिकारी की यह राय है कि—

(i) शुल्क का ब्याज और शास्ति सहित पूर्णत: संदाय कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की बाबत, जिन्हें उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, कार्यवाहियां धारा 135, धारा 135क और धारा 140 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें कथित मामलों के बारे में निश्चायक समझी जाएंगी;

(ii) ब्याज और शास्ति सहित, शुल्क, जो संदत्त किया गया है, वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ता है तो उचित अधिकारी ऐसी रकम की बाबत, जो वास्तव में संदेय रकम से कम पड़ती है, उपधारा (1) के खंड (क) में यथा उपबंधित सूचना उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में जारी करने की कार्यवाही करेगा और [1][दो वर्ष] की अवधि की संगणना उपधारा (5) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(7) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट [1][दो वर्ष] या उपधारा (4) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में, वह अवधि अपवर्जित की जाएगी, जिसके दौरान ऐसे शुल्क या ब्याज के संदाय की बाबत किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई रोकादेश दिया गया था ।

(8) उचित अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और उस व्यक्ति द्वारा, किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य शुल्क या ब्याज की ऐसी रकम का, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो, अवधारण करेगा ।

(9) उचित अधिकारी, उपधारा (8) के अधीन शुल्क या ब्याज की रकम का अवधारण,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जहां ऐसा करना संभव हो सूचना की तारीख से छह मास के भीतर करेगा;

(ख) उपधारा (4) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जहां ऐसा करना संभव हो सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर करेगा ।

(10) जहां इस धारा के अधीन उचित अधिकारी द्वारा शुल्क अवधारण करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां उक्त शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का, उस रकम पर देय ब्याज सहित, चाहे ब्याज की रकम पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की गई हो या नहीं, संदाय करेगा ।

[2][(11) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, 6 जुलाई, 2011 के पूर्व धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त सभी व्यक्तियों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें धारा 17 के अधीन निर्धारण की शक्ति प्राप्त है और सदैव प्राप्त थी और इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे समुचित अधिकारी हैं और सदैव रहे थे ।]

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख" से,—

(क) उस दशा में, जहां [1][शुल्क उद्‌गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्‌गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है,] या ब्याज प्रभारित नहीं किया गया है, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उचित अधिकारी माल की निकासी के लिए कोई आदेश करता है;

(ख) उस दशा में, जहां शुल्क धारा 18 के अधीन अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है, वहां शुल्क के, यथास्थिति, अंतिम निर्धारण या पुन: निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख अभिप्रेत है;

(ग) उस दशा में, जहां शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय कर दिया गया है, वहां प्रतिदाय की तारीख अभिप्रेत है;

(घ) किसी अन्य दशा में, शुल्क या ब्याज के संदाय की तारीख अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कोई अननुद्‌ग्रहण, कम उद्‌ग्रहण या भूल से प्रतिदाय धारा 28 के उपबंधों द्वारा, जैसे वे उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व विद्यमान थे, शासित होता रहेगा ।]

[3][**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि अननुद्‌ग्रहण, कम उद्‌ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के किसी मामले के संबंध में, जहां हेतुक दर्शित करने संबंधी सूचना, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन जारी की गई है किंतु उपधारा (8) के अधीन शुल्क का अवधारण करने संबंधी आदेश उस तारीख के पूर्व, जिसको वित्त

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 120 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2011 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 82 द्वारा अन्त:स्थापित ।

विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पारित नहीं किया गया है, कार्यवाहियां धारा 135, धारा 135क और धारा 140 के उपबंधों पर, जैसे लागू हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि, यथास्थिति, उपधारा (2) के परंतुक या उपधारा (5) के अधीन शुल्क, ब्याज और शास्ति को उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन के भीतर पूर्णतया संदत्त कर दिया जाता है ।]

[1][**28क. साधारण प्रथा के परिणामस्वरूप उद्ग्रहण न किए गए या कम उद्ग्रहण किए गए शुल्क को वसूल करने की शक्ति**—[2][(1)] इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि—

(क) कोई प्रथा, भारत में आयात किए गए या भारत से निर्यात किए गए किसी माल पर शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है), साधारणतया प्रचलित थी या है; और

(ख) ऐसा माल,—

(i) उन दशाओं में, जिनमें शुल्क का उक्त प्रथा के अनुसार उद्ग्रहण नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा है, शुल्क का दायी था या है, या

(ii) शुल्क की उस रकम से, जिसका उक्त प्रथा के अनुसार उद्ग्रहण किया गया था या किया जा रहा है, उच्चतर रकम का दायी था या है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि, उक्त प्रथा के न होने पर ऐसे माल पर, यथास्थिति, संदेय संपूर्ण शुल्क, या उससे अधिक शुल्क, उस माल की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार उद्गृहीत नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहण किया गया था या किया जा रहा है ।]

[3][(2) जहां किसी बात की बाबत उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना निकाली गई है, वहां, यथास्थिति, ऐसे माल पर संदत्त संपूर्ण शुल्क पर या ऐसे माल पर संदेय शुल्क से अधिक संदत्त शुल्क पर, जो उक्त अधिसूचना प्रवृत्त रही होती तो, संदत्त नहीं किया जाता, धारा 27 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी :

परन्तु यह तब जब, यथास्थिति, उस शुल्क या अधिक शुल्क के प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति उक्त अधिसूचना के निकाले जाने की तारीख से छह मास के अवसान के पूर्व [4][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] की धारा 27 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में इस निमित्त आवेदन करे ।]

[5][**28कक. शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज**—(1) किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी वह व्यक्ति, जो धारा 28 के उपबंधों के अनुसार शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, उपधारा (2) के अधीन नियत दर से ब्याज का, यदि कोई हों, संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसा संदाय स्वेच्छया या उस धारा के अधीन शुल्क के अवधारण के पश्चात् किया जाता है ।

(2) प्रतिवर्ष दस प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ब्याज का धारा 28 के निबंधनानुसार ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाएगा और ऐसे ब्याज की संगणना, यथास्थिति, उस मास के, जिसमें शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, यथास्थिति, उत्तरवर्ती मास के प्रथम दिन से या भूल से ऐसा प्रतिदाय किए जाने की तारीख से ऐसे शुल्क का संदाय किए जाने की तारीख तक की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, जहां—

(क) शुल्क धारा 151क के अधीन बोर्ड द्वारा कोई आदेश, अनुदेश या निदेश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है; और

(ख) ऐसे शुल्क की रकम का, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर, ऐसे संदाय के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उक्त संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना स्वेच्छया पूर्णत: संदाय कर दिया जाता है ।]

[6][**28ककक. कतिपय मामलों में शुल्कों की वसूली**—(1) जहां किसी व्यक्ति को जारी की गई कोई लिखत इस अधिनियम या विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा—

(क) दुरभिसंधि से; या

---

[1] 1978 के अधिनियम सं० 25 की धारा 7 द्वारा (1-7-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 29 की धारा 3 द्वारा (1-7-1988 से) धारा 28क उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 40 की धारा 11 द्वारा (20-9-1991 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 122 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) जानबूझकर मिथ्या कथन करके; या

(ग) तथ्यों को छिपाकर,

ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा अभिप्राप्त की गई है और ऐसी लिखत का इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन उपयोग उस व्यक्ति से, जिसे लिखत जारी की गई थी, भिन्न व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां लिखत के ऐसे उपयोग से संबंधित शुल्क के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर कभी छूट नहीं दी गई थी या उसे विकलित नहीं किया गया था और ऐसा शुल्क उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, जिसको उक्त लिखत जारी की गई थी :

परन्तु यदि इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसको लिखत जारी की गई थी, शुल्क की वसूली के संबंध में कार्रवाई धारा 28 के अधीन आयातकर्ता के विरुद्ध किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी ।

स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" से विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अधीन किसी पुरस्कार या प्रोत्साहन स्कीम या शुल्क पर छूट दिए जाने की स्कीम या शुल्क को माफ किए जाने की स्कीम या ऐसी अन्य स्कीम के संबंध में, जिसके अधीन वित्तीय या धन संबंधी ऐसे फायदे दिए जाते हैं, जिनका उपयोग इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन किया जा सकेगा, जारी की गई ऐसी कोई स्किम या प्राधिकार या अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य दस्तावेज, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के उपबंध, इस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, इस प्रकार अभिप्राप्त लिखत के किसी उपयोग के प्रति लागू होंगे, चाहे ऐसी लिखत उसे अनुमति की तारीख के पूर्व जारी की गई हो या नहीं ।

(2) जहां शुल्क उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य बन जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिससे ऐसा शुल्क वसूल किया जाना हो, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त धारा 28कक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियत दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा और ऐसे ब्याज की रकम की संगणना लिखत का उपयोग किए जाने की तारीख से आरंभ होकर ऐसे शुल्क की वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूली के प्रयोजनों के लिए, उचित अधिकारी उस व्यक्ति पर, जिसे लिखत जारी की गई थी, ऐसी सूचना की तामील करेगा, जिसमें उससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम (ब्याज को छोड़कर) उससे वसूल क्यों नहीं की जानी चाहिए और उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् वह उस व्यक्ति से वसूल किए जाने वाले शुल्क या ब्याज या दोनों की ऐसी रकम का अवधारण करेगा, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक की न हो और शुल्क अथवा ब्याज या दोनों की रकम को वसूल करने का आदेश पारित करेगा और वह व्यक्ति, जिसे लिखत जारी की गई थी, सूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट रकम का, उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उस रकम पर शोध्य ब्याज सहित प्रतिसंदाय करेगा, चाहे ब्याज की ऐसी रकम को पृथक्तया विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

(4) जहां शुल्क का अवधारण किए जाने संबंधी कोई आदेश धारा 28 के अधीन पारित किया गया है, वहां उस शुल्क को वसूल किए जाने संबंधी कोई भी आदेश इस धारा के अधीन पारित नहीं किया जाएगा ।

(5) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर रकम का प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है, वहां वह रकम, धारा 142 की उपधारा (1) में अधिकथित रीति से वसूल की जाएगी ।]

[1][**28ख. क्रेता से संगृहीत शुल्क का केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाना**—(1) अपील अधिकरण [2][राष्ट्रीय कर अधिकरण] या किसी न्यायालय के किसी अपील या निदेश में या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, [3][ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शुल्क का संदाय करने के दायित्वाधीन है और जिसने किसी माल के क्रेता से सीमाशुल्क के रूप में इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल पर निर्धारित या अवधारित अथवा संदत्त शुल्क से अधिक कोई रकम किसी भी रीति से संगृहीत की है], इस प्रकार संगृहीत रकम का, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में तुरन्त संदाय करेगा ।

[4][(1क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति से किसी रीति में किसी माल पर निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक कोई रकम संगृहीत या संदत्त की है या ऐसे किसी माल पर, जो पूर्णतया शुल्क से छूट प्राप्त है या शून्य दर पर प्रभार्य है, सीमाशुल्क के रूप में कोई रकम संगृहीत की है इस प्रकार संगृहीत रकम का, केन्द्रीय सरकार के खाते में तुरंत संदाय करेगा ।]

[3][(2) जहां किसी रकम का [5][,यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)] के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त किया जाना अपेक्षित है और जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है, वहां समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 40 की धारा 12 द्वारा (20-9-1991 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 द्वारा अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 68 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।

व्यक्ति को एक सूचना यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रूप में रकम का केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में संदाय क्यों नहीं करना चाहिए ।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिसको उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा (जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी) और तब ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(4) [1][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (3)] के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में संदत्त रकम निर्धारण या [1][उपधारा (1) और उपधारा (1क)] में निर्दिष्ट माल से संबंधित शुल्क के अवधारण के लिए किसी अन्य कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, उस व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क मद्धे समायोजित की जाएगी ।

(5) जहां उपधारा (4) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाता है वहां ऐसे अधिशेष की रकम, यथास्थिति, निधि में जमा की जाएगी या धारा 27 के उपबंधों के अनुसार उस व्यक्ति को प्रतिदत्त कर दी जाएगी जिसने उस रकम का आपतन वहन किया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे मामलों में सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा ऐसी अधिशेष रकम के प्रतिदाय के लिए जारी की जाने वाली लोक सूचना की तारीख से छह मास के भीतर उस धारा के अधीन आवेदन कर सकेगा ।]

[2][**28खक. कतिपय मामलों में राजस्व की संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की**—(1) जहां धारा 28 [3][या धारा 28कककक या धारा 28ख] के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उचित अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हितों का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह [4][सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] के पूर्व अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति की, जिस पर, यथास्थिति, [5][धारा 28 की उपधारा (1) या उपधारा (4)] [3][या धारा 28ककक की उपधारा (3) या धारा 28ख की उपधारा (2)] के अधीन सूचना की तामील की जाती है, धारा 142 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किसी संपत्ति की अनंतिम रूप से कुर्की कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी अनंमित कुर्की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभाव में नहीं रहेगी :

परन्तु [4][मुख्य सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पूर्वोक्त अवधि को ऐसी और अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे तथापि विस्तार की कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां धारा 127ख के अधीन मामले के निपटान के लिए कोई आवेदन समझौता आयोग को किया जाता है, वहां ऐसी तारीख से जिसको आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसको धारा 127ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, पूर्ववर्ती परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि से अपवर्जित की जाएगी ।]

[6][**अध्याय 5क**

प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए माल, आदि की कीमत में शुल्क की रकम का उपदर्शित किया जाना

28ग. माल की कीमत में उस पर संदत्त शुल्क की रकम का उपदर्शित किया जाना—इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी माल पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, माल की निकासी के समय निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों, विक्रय-बीजक और तत्समान अन्य दस्तावेजों में प्रमुख रूप से ऐसे शुल्क की रकम उपदर्शित करेगा जो उस कीमत का, जिस पर ऐसे माल का विक्रय किया जाना है, भाग होगी ।

28घ. यह उपधारणा कि शुल्क का आपतन क्रेता को संक्रांत किया गया है—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसने इस अधिनियम के अधीन किसी माल पर शुल्क संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे माल के क्रेता को ऐसे शुल्क का संपूर्ण आपतन संक्रांत कर दिया है ।]

[7][**अध्याय 5ख**

अग्रिम विनिर्णय

28ङ. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 123 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1991 के अधिनियम सं० 40 की धारा 13 द्वारा (20-9-1991 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 103 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(क) "क्रियाकलाप" से आयात या निर्यात अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, विद्यमान आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित आयात या निर्यात का कोई नया कारबार भी है;]

(ख) "अग्रिम विनिर्णय" से प्राधिकरण द्वारा आवेदक द्वारा किसी ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में, जिसको अपने हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है, शुल्क का संदाय करने के दायित्व से संबंधित आवेदन में विनिर्दिष्ट विधि या तथ्य के प्रश्न का अवधारण अभिप्रेत है;

[2][(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत है,—

(i) (क) कोई ऐसा निवासी जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ख) कोई ऐसा निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कपंनी है,

यथास्थिति, जिसने या जो भारत में किसी कारबारी क्रियाकलाप को करने का प्रस्ताव किया है या करता है;

(ii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम; या

(iii) व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई निवासी जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

और यथास्थिति, जो या जिसने धारा 28ज की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करता है या किया है ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में संयुक्त उद्यम" से ऐसी संविदात्मक ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन हैं और जिसके एक या अधिक साझेदार या भागीदार अथवा साधारण शेयरधारक ऐसे अनिवासी हैं, जिनका उस ठहराव में सारवान् हित हैं;]

(घ) "आवेदन" से धारा 28ज की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

[4][(ङ) "प्राधिकरण" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है;]

(च) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है; और

[5][(ज) "अनिवासी", "भारतीय कंपनी" और "विदेशी कंपनी" के क्रमश: वही अर्थ हैं जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (30), (26) और (23क) में उनके हैं ।]

[6][**28च. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण होगा और उक्त प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा :

परन्तु भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) से ऐसा सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण का राजस्व सदस्य होगा ।

(2) उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर) प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही, उसी प्रक्रम से प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी, जिस पर ऐसा आवेदन या कार्यवाही, ऐसी अनुमति की तारीख को विद्यमान थी ।]

[7]* * * * *

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 97 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 93 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 110 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 94 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 95 द्वारा लोप किया गया ।

28ज. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन—(1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई आवेदक ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस प्रश्न का कथन करते हुए जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, आवेदन कर सकेगा ।

(2) वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, निम्नलिखित की बाबत होगा—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन माल का वर्गीकरण;

(ख) शुल्क की दर से संबंधित धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का लागू होना;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन माल के मूल्य के अवधारण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत;

[1][(घ) इस अधिनियम, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन किन्हीं शुल्कों की बाबत राजपत्र में जारी की गई अधिसूचनाओं का लागू होना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी शुल्क का उसी रीति में प्रभार्य होना, जैसे इस अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क उद्ग्रहणीय है;]

[2][(ङ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन अधिसूचित नियमों के अनुसार माल के उद्गम का अवधारण और उससे संबंधित विषय ।]

(3) आवेदन, चार प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ [3][दस हजार रुपए] की फीस होगी ।

(4) आवेदक, आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर अपना आवेदन वापस ले सकेगा ।

28झ. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया—(1) प्राधिकरण, आवेदन की प्राप्ति पर, उसकी एक प्रति सीमाशुल्क आयुक्त को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उसने सुसंगत अभिलेख मांगेगा :

परन्तु जहां प्राधिकरण द्वारा किसी मामले में कोई अभिलेख मंगाए जाते हैं, वहां ऐसे अभिलेख, यथासंभव शीघ्र, सीमशुल्क आयुक्त को लौटा दिए जाएंगे ।

(2) प्राधिकरण, आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, आवेदन को मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु प्राधिकरण [4]*** आवेदन वहां मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में,—

(क) उठाया गया प्रश्न आवेदक के मामले में, किसी सीमाशुल्क अधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित है;

(ख) उठाया गया प्रश्न वही है जो अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा पहले ही विनिश्चित किसी मामले में था :

परन्तु यह और कि कोई आवेदन इस उपधारा के अधीन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह भी कि जहां आवेदन नामंजूर किया जाता है वहां, ऐसे नामंजूर किए जाने के कारण आदेश में दिए जाएंगे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और [5][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] को भेजी जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन मंजूर किया जाता है वहां प्राधिकरण, ऐसी और सामग्री की परीक्षा करने के पश्चात् जो आवेदक द्वारा उसके समक्ष रखी जाए या प्राधिकरण द्वारा अभिप्राप्त की जाए, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा ।

(5) प्राधिकरण आवेदक से प्राप्त किसी अनुरोध पर, अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने से पूर्व, आवेदक को, स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की मार्फत सुने जाने का अवसर देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो धारा 146क की उपधारा (2) में उसका है ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 67 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 96 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 122 द्वारा लोप किया गया ।

[5] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) प्राधिकरण, आवेदन की प्राप्ति के [1][छह मास] के भीतर, लिखित रूप में, अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा ।

(7) प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की एक प्रति, जो सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रीति से प्रमाणित की जाएगी, ऐसे सुनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, आवेदक को और सीमाशुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

28ञ. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना—(1) धारा 28झ के अधीन प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय केवल—

(क) उस आवेदक पर जिसके द्वारा वह चाहा गया है;

(ख) धारा 28ज की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय की बाबत; और

(ग) आवेदक की बाबत, [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] और उसके अधीनस्थ सीमाशुल्क प्राधिकारियों पर,

आबद्धकर होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय पूर्वोक्त रूप में आबद्धकर होगा जब तक कि उस विधि में या उन तथ्यों में, जिनके आधार पर अग्रिम विनिर्णय सुनाया गया है, कोई परिवर्तन न हुआ हो ।

28ट. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना—(1) जहां प्राधिकरण, [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा उसे किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, यह निष्कर्ष निकालता है कि धारा 28झ की उपधारा (6) के अधीन उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय, आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तब इस अधिनियम के सभी उपबंध (ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को छोड़ने के पश्चात्) आवेदक को वैसे ही लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही न गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति, आवेदक को और [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] को भेजी जाएगी ।

28ठ. प्राधिकरण की शक्तियां—(1) प्राधिकरण को, प्रकटीकरण और निरीक्षण, तथा किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और उसकी शपथ पर परीक्षा करने, कमीशन निकालने, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रायेग करने के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2) प्राधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए, किन्तु अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, सिविल न्यायलय समझा जाएगा और प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की (1860 का 45) धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

28ड. प्राधिकरण की प्रक्रिया—प्राधिकरण को, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से उद्‌भूत होने वाले सभी विषयों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त होगी ।]

अध्याय 6

आयातित या निर्यातित माल को वहन करने वाले प्रवहणों से संबद्ध उपबंध

29. भारत में जलयानों और वायुयानों का पहुंचना—(1) भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में प्रवेश करने वाले किसी जलयान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति [3][जब तक कि बोर्ड द्वारा अनुज्ञात न किया जाए] उस जलयान या वायुयान को—

(क) भारत में पहुंचने के पश्चात् पहली बार; या

(ख) जब वह उस जलयान या वायुयान द्वारा लाए गए यात्री या स्थौरा को वहन कर रहा है तब किसी भी समय,

यथास्थिति, सीमाशुल्क पत्तन या सीमाशुल्क विमान पत्तन से भिन्न किसी स्थान पर नहीं ठहराएगा या उतारेगा अथवा ठहरने या उतरने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध उस जलयान या वायुयान के संबंध में लागू नहीं होंगे जो दुर्घटना, मौसम या अन्य अपरिहार्य कारणवश सीमाशुल्क पत्तन या सीमाशुल्क विमान पत्तन से भिन्न किसी स्थान पर ठहरने या उतरने के लिए विवश हो जाता है किन्तु ऐसे जलयान या वायुयान का भारसाधक व्यक्ति—

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 97 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 69 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) निकटतम सीमाशुल्क अधिकारी या पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जलयान के पहुंचने या वायुयान के उतरने की रिपोर्ट तुरन्त देगा और मांगे जाने पर उसे जलयान या वायुयान की लाग-बुक पेश करेगा;

(ख) ऐसे अधिकारी की सम्मति के बिना जलयान या वायुयान पर वहन किए जा रहे किसी माल को उससे उतारने के लिए, या कर्मीदल या यात्रियों को जलयान या वायुयान के सामीप्य से जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा; और

(ग) ऐसे माल के संबंध में अधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगा,

और कोई यात्री या कर्मीदल का सदस्य ऐसे अधिकारी की सम्मति के बिना, जलयान या वायुयान के निकट सामीप्य से नहीं हटेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी कर्मीदल या यात्री के जलयान या वायुयान के सामीप्य से जाने, या उनमें से माल के हटाए जाने का उस दशा में प्रतिषेध नहीं करेगी जहां स्वास्थ्य, निरापदता या जीवन या सम्पत्ति के परिरक्षण के लिए ऐसे जाना या हटाया जाना आवश्यक है ।

30. आयात सूची या आयात रिपोर्ट का परिदान—[1][(1) किसी ऐसे,—

(i) जलयान; या

(ii) वायुयान; या

(iii) यान,

का भारसाधक व्यक्ति, जिसमें आयातित माल या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को वहन किया जा रहा है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे, किसी जलयान या वायुयान की दशा में, सीमाशुल्क स्टेशन में, यथास्थिति, जलयान या वायुयान के पहुंचने से पूर्व, उचित अधिकारी को एक आयात माल सूची और किसी यान की दशा में, सीमाशुल्क स्टेशन में उसके पहुंचने के पश्चात् बारह घंटे के भीतर विहित प्ररूप में, आयात रिपोर्ट देगा और यदि [2][आयात सूची इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके] या आयात रिपोर्ट या उसका कोई भाग, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उचित अधिकारी को नहीं दिया जाता है और यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण नहीं था तो इस उपधारा में निर्दिष्ट भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जिसने ऐसा विलंब किया है, पचास हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा :]

[3][परन्तु [4][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त], उन मामलों में जहां आयात माल सूची को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके देना साध्य नहीं है, उसको किसी अन्य रीति में देने की अनुज्ञा दे सकेगा ।]

(2) आयात सूची या आयात रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति उसके नीचे की ओर उनकी अन्तर्वस्तु की सच्चाई के बारे में घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(3) यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आयात सूची या आयात रिपोर्ट किसी भी प्रकार से गलत या अपूर्ण है और इसके पीछे कोई कपटपूर्ण आशय नहीं था, तो वह उसके संशोधन या अनुपूर्ति की अनुज्ञा दे सकता है ।

[5][**30क. यात्री और कर्मीदल आगमन सूची और यात्री नाम अभिलेख सूचना**—(1) किसी ऐसे प्रवहण का, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में प्रवेश करता है, भारसाधक व्यक्ति या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित अधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,—

(i) किसी वायुयान या किसी जलयान की दशा में, पहुंचने से पूर्व की और किसी यान की दशा में आगमन के समय की, यात्री और कर्मीदल आगमन सूची; और

(ii) आने वाले यात्रियों की यात्री नाम अभिलेख सूचना,

परिदत्त करेगा ।

(2) जहां उचित अधिकारी को, विहित समय के भीतर यात्री और कर्मीदल आगमन सूची या यात्री नाम अभिलेख सूचना या उसका कोई भाग परिदत्त नहीं किया जाता है यदि और उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भारसाधक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति, पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए, का दायी होगा ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 70 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 98 द्वारा अंत:स्थापित ।

31. जब तक अन्तर्प्रवेश की अनुमति न दी जाए तब तक आयातित माल का जलयान से न उतारा जाना—(1) किसी जलयान का मास्टर किसी आयातित माल को उतारने की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा ऐसे जलयान के अन्तर्प्रवेश की अनुमति देते हुए आदेश न दिया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि आयात सूची नहीं दी जाती है या उचित अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि उससे न देने का पर्याप्त कारण था।

(3) इस धारा की कोई बात किसी यात्री या कर्मीदल के सदस्य के यात्री का सामान, डाक थैले, जीव-जन्तु, विनश्वर माल और परिसंकटमय माल को उतारने को लागू नहीं होगी।

32. जब तक आयातित माल आयात सूची या आयात रिपोर्ट में उपवर्णित न किए जाएं तब तक उनका उतारा न जाना—आयात सूची या आयात रिपोर्ट में के विनियमों के अधीन उपवर्णित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई आयातित माल, उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर उतारा नहीं जाएगा जब तक कि वह ऐसी सूची या रिपोर्ट में उस सीमाशुल्क स्टेशन पर उतारे जाने के लिए विनिर्दिष्ट नहीं है।

33. अनुमोदित स्थान पर ही माल का लादा और उतारा जाना—उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, ऐसे माल के लादने और उतारने के लिए धारा 8 के खंड (क) के अधीन अनुमोदित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर न तो कोई आयातित माल उतारा जाएगा और न निर्यातित माल लादा जाएगा।

34. सीमाशुल्क अधिकारी के पर्यवेक्षण के बिना न तो माल का लादा जाना और न उतारा जाना—उचित अधिकारी के पर्यवेक्षण के बिना, किसी प्रवहण से न तो आयातित माल उतारा जाएगा और न उस पर निर्यातित माल लादा जाएगा :

परन्तु उचित अधिकारी के पर्यवेक्षण के बिना किसी माल या माल के वर्ग के लादने या उतारने के लिए, बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारण अनुज्ञा दे सकता है और उचित अधिकारी किसी विशिष्ट दशा में विशेष अनुज्ञा दे सकता है।

35. माल के जलसंवाहित होने पर निर्बन्धन—कोई आयातित माल किसी जलयान से उतारे जाने के लिए जलसंवाहित नहीं होगा और कोई निर्यातित माल जिसके साथ पोत पत्र नहीं है नौवहन के लिए जलसंवाहित नहीं होगा जब तक कि माल के साथ विहित प्ररूप में नौका पत्र न हो :

परन्तु नौका पत्र साथ में हुए बिना किसी माल या माल के वर्ग के जलसंवाहित होने के लिए, बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारण अनुज्ञा दे सकता है और उचित अधिकारी किसी विशिष्ट दशा में विशेष अनुज्ञा दे सकता है।

36. अवकाश आदि के दिन माल के लादने और उतारने पर निर्बन्धन—किसी रविवार को या सीमाशुल्क विभाग द्वारा माने जाने वाले अवकाश के दिन या किसी अन्य दिन काम के घंटों के पश्चात् विहित सूचना दिए बिना और विहित फीस का, यदि कोई हो, संदाय किए बिना किसी प्रवहण से न तो कोई आयातित माल उतारा जाएगा और न उस पर कोई निर्यातित माल लादा जाएगा :

परन्तु यात्री या कर्मीदल के किसी सदस्य के यात्री सामान और डाक थैलों के लादने और उतारने के लिए कोई फीस उद्गृहीत नहीं की जाएगी।

37. प्रवहणों पर चढ़ने की शक्ति—उचित अधिकारी, किसी भी समय, आयातित माल या निर्यातित माल को वहन करने वाले किसी प्रवहण पर चढ़ सकता है और ऐसे प्रहवण पर ऐसी अवधि के लिए रह सकता है जो वह आवश्यक समझे।

38. दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा करने और प्रश्न पूछने की शक्ति—इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी आयातित माल या निर्यातित माल को वहन करने वाले किसी प्रवहण या जीव-जन्तु के भारसाधक व्यक्ति से किसी दस्तावेज को पेश करने की और किन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है और तब ऐसा व्यक्ति ऐसी दस्तावेजों को पेश करेगा और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देगा।

39. जब तक बहिर्गमन की अनुमति न दी जाए तब तक निर्यातित माल का जलयान पर न लादा जाना—किसी जलयान का मास्टर, यात्री सामान और डाक थैले से भिन्न, किसी निर्यातित माल के लादने की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा ऐसे जलयान के बहिर्गमन की अनुमति देते हुए आदेश न दिया जाए।

40. जब तक उचित अधिकारी द्वारा सम्यक्त: पास न किए जाएं तब तक निर्यातित माल का न लादा जाना—किसी प्रवहण का भारसाधिक व्यक्ति किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर—

(क) यात्री सामान और डाक थैले से भिन्न, निर्यातित माल के लादने की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा सम्यक्त: पास किया हुआ, यथास्थिति, पोत पत्र या निर्यात पत्र या यानान्तरण पत्र निर्यातकर्ता द्वारा उसे हस्तांतरित न किया जाए;

(ख) सामान और डाक थैले के लादने की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि उनके निर्यात को उचित अधिकारी द्वारा सम्यक्त: अनुज्ञा न दी जाए।

41. निर्यात सूची या निर्यात रिपोर्ट का परिदान—(1) निर्यातित माल का वहन करने वाले किसी प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सीमाशुल्क स्टेशन से प्रवहण के चलने के पहले उचित अधिकारी को किसी जलयान या वायुयान की दशा में [1][इलैट्रानिक रूप से प्रस्तुत निर्यात सूची] और किसी यान की दशा में निर्यात रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा :

[2]* * * * *

[3][परन्तु [4][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त], उन मामलों में जहां निर्यात माल सूची को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके देना साध्य नहीं है, उसको किसी अन्य रीति में देने की अनुज्ञा दे सकेगा ।]

(2) निर्यात सूची या निर्यात रिपोर्ट देना वाला व्यक्ति उसके नीचे की ओर उसकी अन्तर्वस्तु की सच्चाई के बारे में घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(3) यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात सूची या निर्यात रिपोर्ट किसी भी प्रकार से गलत या अपूर्ण है और इसके पीछे कोई कपटपूर्ण आशय नहीं था, तो वह ऐसी सूची या रिपोर्ट के संशोधन या अनुपूर्ति की अनुज्ञा दे सकता है ।

[5][**41क. यात्री और कर्मीदल प्रस्थान सूची और यात्री नाम अभिलेख सूचना**—(1) किसी ऐसे प्रवहण का, जो भारत से बाहर किसी स्थान को भारत से प्रस्थान करता है, भारसाधक व्यक्ति या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित अधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए—

(i) यात्री और कर्मीदल प्रस्थान सूची; और

(ii) प्रस्थान करने वाले यात्रियों की यात्री नाम अभिलेख सूचना,

परिदत्त करेगा ।

(2) जहां उचित अधिकारी को, विहित समय के भीतर यात्री और कर्मीदल प्रस्थान सूची या यात्री नाम अभिलेख सूचना या उसका कोई भाग परिदत्त नहीं किया जाता है और यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भारसाधक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति, पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए, का दायी होगा ।]

42. किसी प्रवहण का लिखित आदेश के बिना प्रस्थान न करना—(1) ऐसे किसी प्रवहण का, जो किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर आयातित माल को लादा है या जिस पर निर्यातित माल को लादा गया है, भारसाधक व्यक्ति उस प्रवहण को उस सीमाशुल्क स्टेशन से न तो हटाएगा और न हटाने की अनुज्ञा देगा जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव का लिखित आदेश न दिया जाए ।

(2) ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि—

(क) प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति धारा 38 के अधीन उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देता है;

(ख) धारा 41 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं कर दिया जाता है;

(ग) पोत पत्र या निर्यात पत्र, यानान्तरण पत्र, यदि कोई हों, और ऐसी अन्य दस्तावेजें जिनकी उचित अधिकारी अपेक्षा करे उसे नहीं दे दी जाती हैं;

(घ) ऐसे प्रवहण में उपभोग की गई किन्हीं यान सामग्रियों पर उद्ग्रहणीय सभी शुल्क और ऐसे प्रवहण की बाबत या उसके भारसाधक व्यक्ति से शोध्य सभी प्रभार और शास्तियां संदत्त नहीं कर दी जाती हैं या ऐसा संदाय, ऐसी प्रत्याभूति या ऐसी रकम के निक्षेप द्वारा जो उचित अधिकारी निदेश दे, प्रतिभूत नहीं कर दिया जाता है;

(ङ) प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति उचित अधिकारी का यह समाधान नहीं कर देता है कि धारा 116 के अधीन उस पर कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं है या उस धारा के अधीन उस पर उद्गृहीत की गई किसी शास्ति का संदाय ऐसी प्रत्याभूति या ऐसी रकम के निक्षेप द्वारा जो उचित अधिकारी निदेश दे, प्रतिभूत कर दिया गया है ;

(च) किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई निर्यातित माल, निर्यात शुल्क का संदाय किए बिना या इस अधिनियम के या माल के निर्यात से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन में, लादा जाता है,—

(i) ऐसे माल उतारे नहीं जाते हैं, या

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 66 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 71 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 99 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) जहां [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल को उतारना साध्य नहीं है, वहां प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, माल को भारत वापस लाने के लिए ऐसी प्रत्याभूति या ऐसी रकम के निक्षेप द्वारा जो उचित अधिकारी निदेश दे, प्रतिभूत वचनबन्ध नहीं करता है ।

43. इस अध्याय के कुछ उपबन्धों से प्रवहणों के कुछ वर्गों को छूट—(1) धारा 30, 41 और 42 के उपबन्ध उस यान को लागू नहीं होंगे जो उसके अधिभोगियों के सामान से भिन्न कोई माल वहन नहीं करता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रवहण के निम्नलिखित वर्गों को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है—

(क) स्वयं सरकार के या किसी विदेशी सरकार के प्रवहण;

(ख) वे यान या वायुयान जो किसी आपात के कारण भारत में अस्थायी रूप से आते हैं ।

अध्याय 7

आयातित माल और निर्यातित माल की निकासी

44. इस अध्याय का यात्री सामान और डाक की वस्तुओं को लागू न होना—इस अध्याय के उपबन्ध (क) यात्री सामान और (ख) डाक द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल को लागू नहीं होंगे ।

आयातित माल की निकासी

45. आयातित माल की अभिरक्षा और हटाने पर निर्बन्धन—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में उतारा गया सभी आयातित माल तब तक ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा जो [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा अनुमोदित किया जाए, जब तक कि देशी उपभोग के लिए उसकी निकासी नहीं की जाती है या वह भाण्डागारित नहीं किया जाता है या अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार यानान्तरित नहीं किया जाता है ।

(2) किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित माल को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति चाहे उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन,—

(क) ऐसे माल का अभिलेख रखेगा और उसकी प्रति उचित अधिकारी को भेजेगा;

(ख) ऐसे माल को सीमाशुल्क क्षेत्र से हटाने या अन्यथा व्यवहार करने की अनुज्ञा, उचित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार ही देगा अन्यथा नहीं ।

[3][(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी आयातित माल का किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में उसके उतारे जाने के पश्चात् जब वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में है, मूषण हो जाता है, तो वह व्यक्ति, ऐसे प्रवहण के जिसमें उक्त माल का वहन किया गया था, पहुंचने के लिए धारा 30 के अधीन उचित अधिकारी को, यथास्थिति, आयात सूची या आयात रिपोर्ट देने की तारीख को विद्यमान दर से ऐसे माल पर शुल्क का संदाय करने का दायी होगा ।]

46. आयात किए जाने पर माल की प्रविष्टि—(1) अभिवहन या यानान्तरण के लिए आशयित माल से भिन्न किसी माल का आयातकर्ता, देशी उपभोग या भाण्डागारण के लिए उचित अधिकारी को विहित प्ररूप में [4][इलैक्ट्रानिक रूप से] प्रवेश पत्र पेश करके उसकी प्रविष्टि करेगा :

[5][परन्तु सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे मामलों में, जहां इलैक्ट्रानिक रूप से प्रवेश पत्र पेश करके प्रविष्टि करना साध्य नहीं है, वहां किसी अन्य रीति में प्रवेश पत्र पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि] यदि आयातकर्ता उचित अधिकारी के समक्ष इस प्रभाव की एक घोषणा करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है कि पूरी जानकारी के अभाव में वह इस धारा के अधीन अपेक्षित माल की सभी विशिष्टियां देने में असमर्थ है तो, उचित अधिकारी, ऐसी जानकारी पेश किए जाने तक, उसकी प्रविष्टि के पूर्व उसको (क) सीमाशुल्क अधिकारी की उपस्थिति में माल की परीक्षा करने के लिए, या (ख) माल को भाण्डागारित किए बिना धारा 57 के अधीन नियत सार्वजनिक भाण्डागार में माल का निक्षेप करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है ।

(2) उचित अधिकारी द्वारा, जैसा अन्यथा अनुज्ञात किया जाए उसके सिवाय, वहन पत्र में या वाहक द्वारा प्रेषक को दी गई अन्य रसीद में सवर्णित सभी माल प्रवेशपत्र में सम्मिलित होंगे ।

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 58 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 44 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(3) आयातकर्ता, उपधारा (1) के अधीन, उस दिन के, जिसको माल का वहन करने वाला ऐसा वायुयान या जलयान या यान ऐसे किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर पहुंचता है, जिस पर ऐसे माल की देशी उपभोग या भांडागारण के लिए निकासी की जानी है, पश्चात् आगामी दिवस (अवकाश के दिन को छोड़कर) के अंत से पूर्व प्रवेश पत्र प्रस्तुत करेगा :

परन्तु कोई प्रवेश पत्र, ऐसे वायुयान या जलयान या यान के, जिसके द्वारा माल को भारत में आयात के लिए भेजा गया है, पहुंचने की संभावित तारीख के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां प्रवेश पत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, वहां आयातकर्ता प्रवेश पत्र को देरी से प्रस्तुत किए जाने के लिए ऐसे प्रभारों का, जो विहित किए जाएं, संदाय करेगा ।]

(4) आयातकर्ता प्रवेशपत्र पेश करते समय [2]*** उसकी अन्तर्वस्तु की सच्चाई के बारे में एक घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसी घोषणा के समर्थन में आयातित माल से संबंधित बीजक, यदि कोई हो, उचित अधिकारी को पेश करेगा ।

(5) यदि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके पीछे कोई कपटपूर्ण आशय नहीं है तो वह, भाण्डागारण के लिए प्रवेश पत्र के स्थान पर देशी उपभोग के लिए प्रवेशपत्र रखने की अनुज्ञा दे सकता है या इसका उलटा कर सकता है ।

47. देशी उपभोग के लिए माल की निकासी—[3][(1)] जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि देशी उपभोग के लिए प्रविष्ट माल प्रतिषिद्ध माल नहीं है और आयातकर्ता ने उस पर निर्धारित आयात शुल्क, यदि कोई हो, और उसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रभारों का संदाय कर दिया है तो उचित अधिकारी देशी उपभोग के लिए ऐसे माल की निकासी अनुज्ञात करते हुए आदेश दे सकता है :

[4][परन्तु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, आयातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को, उक्त शुल्क या किन्हीं प्रभारों का, ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, आस्थगित संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।]

[5][(2) [6][आयातकर्ता—

(क) स्वत: निर्धारण की दशा में, प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को; या

(ख) निर्धारण, पुन: निर्धारण या अनंतिम निर्धारण की दशा में, उस तारीख से, जिसको उचित अधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र उसे शुल्क के संदाय के लिए लौटाया जाता है, एक दिन के भीतर (अवकाश के दिन को छोड़कर); या

(ग) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन आस्थगित संदाय की दशा में, ऐसी नियत तारीख से, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,

आयात शुल्क का संदाय करेगा और यदि वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का संदाय] करने में असफल रहता है, तो वह, उसके संदाय की तारीख तक संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए शुल्क पर केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत ऐसी दर पर, ब्याज का संदाय करेगा, जो दस प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम किन्तु छत्तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी :]

[7][परन्तु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आयातकर्ताओं का वर्ग या के वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसे शुल्क का इलैक्ट्रानिक रूप में संदाय करेंगे :

परन्तु यह और कि] जहां शुल्क के संदाय के लिए प्रवेश पत्र सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ के पूर्व लौटा दिया जाता है और आयातकर्ता ने ऐसे प्रारम्भ के पूर्व ऐसे शुल्क का संदाय नहीं किया है वहां उसे ऐसे प्रवेश पत्र के लौटाने की तारीख इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रारम्भ की तारीख समझी जाएगी :]

[7][[8][परंतु यह भी कि] यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, इस धारा के अधीन संदेय किसी संपूर्ण ब्याज या उसके भाग का अधित्यजन कर सकेगा ।]

48. उस दशा में प्रक्रिया जब माल का उतारे जाने के पश्चात् [9][तीस दिन] के भीतर निकास, भाण्डागारण या यानान्तरण नहीं होता है—यदि भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में लाए गए माल का सीमाशुल्क स्टेशन पर उनके उतारे जाने की तारीख से [9][तीस दिन] के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के अन्दर जो उचित अधिकारी अनुज्ञात करे देशी उपभोग के लिए निकास या भाण्डागारण या

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 100 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 44 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा (23-12-1991 से) धारा 47 को उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 121 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[5] 1991 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा (23-12-1991 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 101 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 59 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1991 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा (23-12-1991 से) "दो मास" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

यानान्तरण नहीं होता है या आयातित माल पर हक का त्याग कर दिया जाता है तो ऐसे माल की अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, आयातकर्ता को सूचना देने के पश्चात् और उचित अधिकारी की अनुज्ञा से, उनका विक्रय कर सकता है :

परन्तु—

(क) जीव-जन्तु, विनश्वर माल और परिसंकटमय माल, उचित अधिकारी की अनुमति से किसी भी समय विक्रय किए जा सकते हैं;

(ख) आयुध और गोलाबारूद ऐसे समय और स्थान पर और ऐसी रीति में विक्रय किए जा सकते हैं जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "आयुध" और "गोलाबारूद" के वे ही अर्थ हैं जो आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में हैं ।

[1][**49. निकासी होने या हटाए जाने तक आयातित माल का भांडागार में भंडारकरण**—जहां,—

(क) किसी आयातित माल की दशा में, चाहे शुल्क्य हो या नहीं, जो देशी उपभोग के लिए प्रविष्ट किए गए हैं, आयातकर्ता के आवेदन पर सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि युक्तियुक्त समय के भीतर माल की निकासी नहीं हो सकती है;

(ख) किसी ऐसे आयातित शुल्क्य माल की दशा में, जो भांडागारण के लिए प्रविष्ट किए गए हैं, आयातकर्ता के आवेदन पर सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि युक्तियुक्त समय के भीतर माल को भांडागार में निक्षेप के लिए नहीं हटाया जा सकता है,

वहां माल को, यथास्थिति, निकासी होने तक या हटाए जाने तक सार्वजनिक भांडागार में तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए भंडारकरण की अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परन्तु अध्याय 9 के उपबंध इस धारा के अधीन सार्वजनिक भांडागार में भंडारकरण के लिए अनुज्ञात माल को लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त भंडारकरण की अवधि को एक बार में तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।]

निर्यातित माल की निकासी

50. निर्यात के लिए माल की प्रविष्टि—(1) किसी माल का निर्यातकर्ता किसी जलयान या वायुयान में निर्यात किए जाने वाले माल की दशा में पोतपत्र और भूमि मार्ग द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल की दशा में निर्यात पत्र, उचित अधिकारी को विहित प्ररूप में [2][इलैक्ट्रानिक रूप में] पेश करके उसकी प्रविष्टि करेगा :

[2][परन्तु सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे मामलों में, जहां इलैक्ट्रानिक रूप से प्रवेश पत्र पेश करके प्रविष्टि करना साध्य नहीं हैं, वहां किसी अन्य रीति में प्रवेश पत्र पेश करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।]

(2) किसी माल का निर्यातकर्ता, पोत पत्र या निर्यात पत्र पेश करते समय [3]*** उसकी अन्तर्वस्तु की सच्चाई के बारे में एक घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

51. निर्यात के लिए माल की निकासी—[4][(1)] जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात के लिए प्रविष्ट माल प्रतिषिद्ध माल नहीं है और निर्यातकर्ता ने उस पर निर्धारित निर्यात शुल्क का, यदि कोई हो, और उसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रभारों का संदाय कर दिया है वहां उचित अधिकारी निर्यात के लिए ऐसे माल की निकासी और लदाई अनुज्ञात करते हुए आदेश दे सकता है :

[5][परन्तु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निर्यातकर्ताओं के कतिपय वर्ग को, उक्त शुल्क या किन्हीं प्रभारों का, ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, आस्थगित संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

[4][(2) जहां निर्यातकर्ता, उपधारा (1) के परंतुक के अधीन निर्यात शुल्क का संदाय ऐसी देय तारीख तक पूर्णत: या भागत: करने में असफल रहता है, वहां वह उक्त शुल्क पर, उसके संदाय की तारीख तक जो संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है, ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगा, जो प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक होगी, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।]

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 102 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 45 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 121 से पुन:संख्यांकित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 122 से अंत:स्थापित ।

अध्याय 8

माल जो अभिवहन में है

52. इस अध्याय का यात्री सामान, डाक की वस्तुओं और यान सामग्री को लागू न होना—इस अध्याय के उपबन्ध (क) यात्री सामान, (ख) डाक द्वारा आयातित माल, और (ग) यान सामग्री को लागू नहीं होंगे ।

[1][**53. शुल्क का संदाय किए बिना कतिपय मालों का अभिवहन**—धारा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी वाहन में आयातित और, यथास्थिति, आयात सूची या आयात रिपोर्ट में वर्णित उसी वाहन में भारत से बाहर किसी स्थान या किसी सीमाशुल्क केंद्र को किसी माल का अभिवहन किया जाना है, वहां उचित अधिकारी, शुल्क का संदाय किए बिना, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, ऐसे माल और वाहन का अभिवहन अनुज्ञात कर सकेगा ।]

54. शुल्क का संदाय किए बिना कतिपय माल का यानांतरण—(1) जहां किसी सीमाशुल्क केन्द्र में आयातित कोई माल यानान्तरण के लिए आशयित है वहां उचित अधिकारी को विहित प्ररूप में यानान्तरण पत्र पेश किया जाएगा :

[2][परन्तु जहां माल का भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच अन्तरराष्ट्रीय संधि या द्विपक्षीय करार के अधीन यानान्तरण किया जा रहा है वहां समुचित अधिकारी को यानान्तरण पत्र के स्थान पर विहित प्ररूप में यानान्तरण की एक घोषणा पेश की जाएगी ।]

(2) धारा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी सीमाशुल्क केंद्र में अयातित माल, यथास्थिति, आयात सूची या आयात रिपोर्ट में भारत से बाहर किसी स्थान को यानान्तरण के लिए वर्णित है, वहां ऐसे माल शुल्क का संदाय किए बिना इस प्रकार यानान्तरण के लिए अनुज्ञात किए जा सकते हैं ।

(3) जहां किसी सीमाशुल्क केन्द्र में आयातित कोई माल, यथास्थिति, आयात सूची या आयात रिपोर्ट में—

(क) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में यथापरिभाषित किसी मुख्य पत्तन को या मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई के सीमाशुल्क विमानपत्तन को या किसी अन्य सीमाशुल्क पत्तन या सीमाशुल्क विमानपत्तन को, जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यानान्तरण के लिए वर्णित हैं; या

(ख) किसी अन्य सीमाशुल्क केन्द्र को यानान्तरण के लिए वर्णित है और उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि माल वास्तव में ऐसे सीमाशुल्क केन्द्र को यानान्तरण के लिए आशयित है,

वहां उचित अधिकारी उस सीमाशुल्क केन्द्र पर, जिसको यानान्तरण अनुज्ञात किया गया है, ऐसे माल के सम्यक् पहुंचने के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, शुल्क का संदाय किए बिना माल का यानान्तरण अनुज्ञात कर सकता है ।

55. धारा 53 के अधीन पारेषित या धारा 54 के अधीन यानांतरित माल पर शुल्क का दायित्व—जहां कोई माल किसी सीमाशुल्क केन्द्र को धारा 53 के अधीन अभिवहन के लिए या धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन यानान्तरण के लिए अनुज्ञात किए जाते हैं वहां, वे ऐसे केन्द्र पर पहुचंने पर शुल्क के दायी होंगे और उसी रीति से प्रविष्ट किए जाएंगे जैसे माल उनके प्रथम आयात पर प्रविष्ट किए जाते हैं, और उस अधिनियम और किन्हीं नियमों और विनियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उस माल के संबंध में लागू होंगे ।]

56. माल के कुछ वर्गों का विहित शर्तों के अधीन परिवहन—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे माल के गन्तव्य स्थान पर सम्यक् रूप पहुंचने के लिए विहित की जाएं, आयातित माल एक भूमि सीमाशुल्क स्टेशन से दूसरे को, शुल्क का संदाय किए बिना परिवहन किए जा सकते हैं और कोई माल भारत के एक भाग से दूसरे भाग को किसी विदेशी राज्यक्षेत्र से हो कर परिवहन किए जा सकते हैं ।

अध्याय 9

भांडागारण

[3][**57. सार्वजनिक भांडागारों का अनुज्ञापन**—सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी सार्वजनिक भांडागार को अनुज्ञप्ति दे सकेगा जिसमें आयातित शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा ।]

[4][**58. प्राइवेट भांडागारों का अनुज्ञापन**—सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, किसी प्राइवेट भांडागार को अनुज्ञप्ति दे सकेगा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या उसकी ओर से आयातित शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा ।

58क. विशेष भांडागारों का अनुज्ञापन—(1) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, किसी विशेष भांडागार को अनुज्ञप्ति दे सकेगा जिसमें शुल्क्य माल का निक्षेप किया जा सकेगा और ऐसे भांडागार

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 123 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 106 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 125 द्वारा प्रतिस्थापित ।

में उचित अधिकारी द्वारा ताला लगवाया जाएगा और कोई व्यक्ति, उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भांडागार मे प्रवेश नहीं करेगा या वहां से कोई माल नहीं हटाएगा ।

(2) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे माल के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसका उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्त विशेष भांडागार में निक्षेप किया जाएगा ।

58ख. अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना—(1) जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी शर्त को भंग करता है वहां सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा :

परंतु किसी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने के पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(2) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो अनुज्ञप्तिधारी और माल के विरुद्ध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जा सकेगी, भांडागार के प्रचालन को निलंबित कर सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी भांडागार का प्रचालन निलंबित कर दिया जाता है वहां निलंबन की अवधि के दौरान ऐसे भंडागार में किसी माल का निक्षेप नहीं किया जाएगा :

परंतु इस अध्याय के उपबंध भांडागार में पहले से निक्षिप्त माल को लागू होते रहेंगे ।

(4) जहां धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन जारी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाती है वहां भांडागारित माल को उस तारीख से जिसको अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसे रद्दकरण के आदेश की तामील की जाती है, सात दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो उचित अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसे भांडागार से हटाकर किसी अन्य भांडागार में ले जाया जाएगा या उसकी देशी उपभोग या निर्यात के लिए निकासी की जाएगी :

परंतु इस अध्याय के उपबंध भांडागार में पहले से निक्षिप्त माल को ऐसे भांडागार से किसी अन्य भांडागार में ले जाए जाने या देशी उपभोग या निर्यात के लिए निकासी होने तक लागू होते रहेंगे ।]

[1][**59 भांडागारण बंधपत्र**—(1) किसी ऐसे माल का, जिसके संबंध में धारा 46 के अधीन भांडागारण के लिए प्रवेश पत्र पेश किया गया है और धारा 17 या धारा 18 के अधीन शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है, आयातकर्ता अपने को ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क की रकम के तिगुने के बराबर राशि के लिए आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करेगा कि वह,—

(क) ऐसे माल के संबंध में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेगा ;

(ख) मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन संदेय सभी शुल्क और ब्याज का संदाय करेगा ; और

(ग) ऐसे माल के संबंध में इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारण उपगत सभी शास्तियों और जुर्मानों का संदाय करेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त किसी आयातकर्ता को, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा आयात किए जाने वाले माल के भांडागारण के संबंध में ऐसी रकम के लिए जिसका सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त अनुमोदन करे, एक ही बंधपत्र निष्पादित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा ।

(3) निर्यातकर्ता उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बंधपत्र के निष्पादन के अतिरिक्त ऐसी प्रतिभूति भी देगा, जो विहित की जाए ।

(4) किसी माल के संबंध में किसी आयातकर्ता द्वारा इस धारा के अधीन निष्पादित बंधपत्र किसी अन्य भांडागार को माल के अंतरण पर भी प्रवृत्त बना रहेगा ।

(5) जहां सम्पूर्ण माल या उनका कोई भाग किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किए जाते हैं वहां अंतरिती, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से एक बंधपत्र निष्पादित करेगा और उपधारा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति देगा ।]

[2][**60. भांडागार में निक्षेप के लिए माल हटाए जाने की अनुज्ञा**—(1) जब किसी माल के संबंध में धारा 59 के उपबंधों का अनुपालन किया गया हो तब उचित अधिकारी किसी भांडागार में माल के निक्षेप के प्रयोजन के लिए किसी सीमाशुल्क स्टेशन से माल के हटाए जाने को अनुज्ञात करते हुए आदेश दे सकेगा ।

(2) जहां कोई आदेश उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां किसी भांडागार में माल का निक्षेप ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।]

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 126 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 127 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**61. वह अवधि जिसमें माल भांडागारित रह सकेगा**—(1) कोई भांडागारित माल, उस भांडागार में, जिसमें उनका निक्षेप किया जाता है या उस भांडागार में, जिसमें उसे हटाकर ले जाया जाता है,—

(क) किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या किसी ऐसे भांडागार में जिसमें धारा 65 के अधीन विनिर्माण या अन्य प्रचालन अनुज्ञात किया गया है, उपयोग के लिए आशयित पूंजी माल की दशा में उनके भांडागार से निकासी तक ;

(ख) किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या किसी ऐसे भांडागार में जिसमें धारा 65 के अधीन विनिर्माण या अन्य प्रचालन अनुज्ञात किया गया है, उपयोग के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न माल की दशा में उनका उपभोग होने तक या उनके भांडागार से निकासी तक ; और

(ग) किसी अन्य माल की दशा में, उस तारीख से जिसको उचित अधिकारी ने धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया है, एक वर्ष की समाप्ति तक,

रखा जा सकेगा :

परंतु इस खंड में निर्दिष्ट किसी माल की दशा में, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर ऐसी अवधि को, जिसके लिए माल भांडागार में रह सकेगा, तक बढ़ा सकेगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

परंतु यह और कि जहां ऐसे माल के क्षय होने की संभावना है वहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट अवधि सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा घटाकर ऐसी लघुतर अवधि की जा सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कोई भांडागारित माल, उस तारीख से, जिसको उचित अधिकारी ने धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया है, नब्बे दिन की अवधि से अधिक भांडागार में रहता है, वहां ऐसे भांडागारित माल पर उक्त नब्बे दिन के अवसान से शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए माल की निकासी के समय संदेय शुल्क की रकम पर ब्याज ऐसी दर पर संदेय होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 47 के अधीन नियत किया जाए :

परंतु यदि बोर्ड लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह,—

(क) आदेश द्वारा और ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भांडागारित माल के संबंध में, इस धारा के अधीन संदेय संपूर्ण ब्याज या उसके किसी भाग का अधित्यजन कर सकेगा ;

(ख) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा माल के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके संबंध में, इस धारा के अधीन कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा ;

(ग) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा माल के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके संबंध में, उस तारीख से, जिसको उचित अधिकारी ने, धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया है, ब्याज प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई" से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अधीन स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है ;

(ii) "शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" का वही अर्थ है जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में उसका है ; और

(iii) "साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई" से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अधीन स्थापित कोई इकाई, अभिप्रेत है ।]

[2]* * * * *

[3][**64. भांडागारित माल का व्यवहार करने वाले स्वामी का अधिकार**—किसी भांडागारित माल का स्वामी उसे भांडागारित करने के पश्चात्—

(क) माल का निरीक्षण कर सकेगा ;

(ख) माल की हानि या क्षय या नुकसान रोकने के लिए उनके आधानों के साथ ऐसी रीति में, जो आवश्यक हो, व्यवहार कर सकेगा ;

(ग) माल की छंटाई कर सकेगा ;

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 128 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 129 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 130 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) माल को विक्रय के लिए दर्शित कर सकेगा ।]

65. भाण्डागारित माल के संबंध में विनिर्माण और अन्य संक्रियाएं—(1) [1][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए] जो विहित की जाएं किसी भाण्डागारित माल का स्वामी ऐसे माल के सम्बन्ध में भाण्डागार में विनिर्माण प्रक्रियाएं या अन्य संक्रियाएं कर सकता है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन भाण्डागारित माल के सम्बन्ध में अनुज्ञेय किन्हीं संक्रियाओं के दौरान कोई अपचय या अवशिष्ट है वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :—

(क) यदि ऐसी संक्रियाओं के पारिणामिक सभी माल का उनका कोई भाग निर्यात किया जाता है तो, निर्यातित माल के सम्बन्ध में संक्रिया के कारण जितना अपचय या अवशिष्ट हुआ है उसमें भाण्डागारित माल का जितना परिमाण है उस पर आयात शुल्क से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा अपचय या अवशिष्ट या तो विनष्ट किया जाता है या ऐसे अपचय या अवशिष्ट पर शुल्क का संदाय ऐसा किया जाता है मानो वह भारत में उस रूप में आयात किया गया है ;

(ख) यदि ऐसी संक्रियाओं के पारिणामिक सभी माल या उनके किसी भाग की देशी उपभोग के लिए भाण्डागार से निकासी की जाती है तो, देशी उपभोग के लिए निकासी किए गए माल के संबंध में संक्रिया के कारण जितना अपचय या अवशिष्ट हुआ है उसमें भाण्डागारित माल का जितना परिमाण था उस पर आयात शुल्क प्रभारित किया जाएगा ।

66. भाण्डागार में के माल के विनिर्माण में उपयोजित आयातित सामग्री को छूट देने की शक्ति—यदि किसी माल के विनिर्माण के लिए धारा 65 के उपबन्धों के अनुसार आयातित सामग्री उपयोग की जाती है और आयातित सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर से अधिक है तो केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी देशी उद्योग की स्थापना या विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयातित सामग्री को शुल्क की दर के सम्पूर्ण आधिक्य से या उसके भाग से छूट दे सकती है ।

67. माल का एक भाण्डागार से दूसरे को हटाया जाना—भाण्डागारित माल का स्वामी, उचित अधिकारी की अनुज्ञा से, [2]*** ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो भाण्डागारित माल के उस भाण्डागार में सम्यक् पहुंचने के लिए विहित की जाएं जहां के लिए हटाया जाना अनुज्ञात किया जाता है, उन्हें एक भाण्डागार से हटाकर दूसरे को ले जा सकता है ।

68. देशी उपभोग के लिए भाण्डागारित माल की निकासी—[3][किसी भाण्डागारित माल की देशी उपभोग के लिए भांडागार से निकासी की जा सकेगी यदि]—

(क) ऐसा माल की बाबत देशी उपभोग के लिए प्रवेशपत्र विहित प्ररूप में पेश किया गया है ;

[3][(ख) ऐसे माल के संबंध में संदेय आयात शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्तियों का संदाय कर दिया गया है ; और]

(ग) देशी उपभोग के लिए ऐसे माल की निकासी के लिए आदेश उचित अधिकारी द्वारा कर दिया गया है :

[4][परंतु किसी भाण्डागारित माल का स्वामी, ऐसे माल की बाबत देशी उपभोग के लिए माल की निकासी के संबंध में कोई आदेश किए जाने से पूर्व किसी समय, ऐसे [5]*** शास्तियों के संदाय पर, जो माल की बाबत संदेय हों, माल पर अपने हक का त्याग कर सकेगा और ऐसे त्याग पर वह उस पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा :]

[6][परंतु यह और कि ऐसे किसी भांडागारित माल के स्वामी को, ऐसे माल पर अपने हक का त्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है ।]

69. निर्यात के लिए भाण्डागारित माल की निकासी—(1) कोई भी भाण्डागारित माल, आयात शुल्क का संदाय किए बिना भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात किए जा सकते हैं, यदि—

[7][(क) ऐसे माल की बाबत पोत पत्र या निर्यात पत्र या धारा 84 के अधीन यथाविहित प्ररूप पेश किया गया है ;

[8][(ख) ऐसे माल की बाबत संदेय निर्यात शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्तियों का संदाय कर दिया गया है ; और]

(ग) निर्यात के लिए ऐसे माल की निकासी के लिए आदेश उचित अधिकारी द्वारा कर दिया गया है ।

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 131 द्वारा द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा (23-12-1991 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 132 द्वारा द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 114 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 132 द्वारा द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 59 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 103 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 133 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी विशिष्ट वर्णन के भाण्डागारित माल भारत में तस्करी करके वापस लाने सम्भाव्य हैं तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि ऐसे माल, शुल्क का संदाय किए बिना, भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात नहीं किए जाएंगे या ऐसे माल, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं इस प्रकार निर्यात किए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाएं।

70. वाष्पशील माल की दशा में मोक—(1) जब कोई भाण्डागारित माल जिनको यह धारा लागू होती है किसी भाण्डागार से परिदान के समय प्राकृतिक हानि के कारण परिमाण में कम पाए जाते हैं, तब [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] ऐसी कमी पर शुल्क की छूट दे सकता है।

(2) यह धारा ऐसे भाण्डागारित माल को लागू होती है जो केन्द्रीय सरकार माल की वाष्पशीलता और उनके भण्डारकरण की रीति को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

71. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय माल का भाण्डागार से बाहर नहीं ले जाया जाना—देशी उपभोग के लिए या [2][निर्यात] के लिए, या किसी अन्य भाण्डागार में हटाकर ले जाने के लिए या इस अधिनियम द्वारा जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके लिए निकासी के सिवाय कोई भाण्डागारित माल भाण्डागार से बाहर नहीं ले जाए जाएंगे।

72. भाण्डागार से अनुचित रूप से हटाए गए माल, आदि—(1) निम्नलिखित में से किसी भी दशा में, अर्थात् :—

(क) जहां कोई भाण्डागारित माल धारा 71 के उल्लंघन में भाण्डागार से हटाए जाते हैं ;

(ख) जहां कोई भाण्डागारित माल किसी भाण्डागार से उस अवधि के अवसान पर जिसके दौरान ऐसे माल धारा 61 के अधीन भाण्डागार में रखने के लिए अनुज्ञात किए जाते हैं, हटाए नहीं गए हैं ;

[3]* * * *

(घ) जहां किन्हीं माल को जिनकी बाबत [4][धारा 59 [5]***] के अधीन बंधपत्र निष्पादित किया गया है और जिनकी देशी उपभोग के लिए या [6][निर्यात के लिए निकासी नहीं की गई है, या] उचित अधिकारों के समाधानपर्यन्त सम्यक् कैफियत नहीं दी जाती है,

वहां उचित अधिकारी ऐसे माल की बाबत संदेय [6][ब्याज जुर्माने और शास्तियों] सहित ऐसे माल के कारण प्रभारी शुल्क की पूरी रकम की मांग कर सकता है और ऐसे माल का स्वामी उसका तुरंत संदाय करेगा।

(2) यदि कोई स्वामी उपधारा (1) के अधीन मांगी गई रकम का संदाय करने में असमर्थ रहता है, तो उचित अधिकारी किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वामी को सूचना देने के पश्चात् (माल का कोई अन्तरण होते हुए भी) भाण्डागार में उसके माल का ऐसा पर्याप्त भाग, यदि कोई हो, जो उचित अधिकारी [6][ठीक समझे], निरुद्ध और विक्रय करा सकता है।

73. भाण्डागार बन्धपत्र का रद्दकरण और वापसी—जब [4][धारा 59 [5]***] के अधीन निष्पादित किसी बंधपत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी माल देशी उपभोग के लिए निकासी कर दिए जाते हैं या उनका [7][अन्तरित] कर दिया जाता है या] उनको अन्यथा सम्यक् कैफियत दे दी जाती है और ऐसे माल के कारण शोध्य सभी रकमें संदत्त कर दी जाती हैं, तब उचित अधिकारी बंधपत्र को पूरी तरह से चुकता के रूप में रद्द करेगा और उस व्यक्ति द्वारा, जिसने उसे निष्पादित किया है या जो उसे पाने का हकदार है, मांग किए जाने पर उसे इस प्रकार रद्द बन्धपत्र का परिदान करेगा।

[8][**73क. भांडागारित माल की अभिरक्षा और हटाया जाना**—(1) सभी भांडागारित माल, उनके देशी उपभोग के लिए निकासी होने या किसी अन्य भांडागार को भांडागारित माल की अभिरक्षा और हटाया जाना अंतरित किए जाने या निर्यात किए जाने या इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित रूप से हटाए जाने तक ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा जिसे धारा 57 या धारा 58 या धारा 58क के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति के उत्तरदायित्व जिसकी अभिरक्षा में कोई भांडागारित माल है, वे होंगे जो विहित किए जाएं।

(3) जहां धारा 71 के उल्लंघन में कोई भांडागारित माल हटाया जाता है वहां अनुज्ञप्तिधारी, किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, शुल्क, ब्याज, जुर्माना और शास्तियों का संदाय करने का दायी होगा।]

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 134 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 135 द्वारा लोप किया गया।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 55 की धारा 9 द्वारा (23-12-1991 से) "धारा 59" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 60 द्वारा "या धारा 59क" शब्दों का लोप किया गया।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 135 द्वारा प्रतिस्थापित।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 136 द्वारा प्रतिस्थापित।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 137 द्वारा अंत:स्थापित।

अध्याय 10

वापसी

74. शुल्क संदत्त माल के पुन: निर्यात पर अनुज्ञेय वापसी—(1) जब सहज रूप में पहचाने जा सकने वाले कोई ऐसे माल, जो भारत में आयात किए गए हैं [1][और जिन पर आयात किए जाने के समय शुल्क का संदाय कर दिया गया है,—

(i) निर्यात के लिए प्रविष्ट किए जाते हैं और उचित अधिकारी धारा 51 के अधीन निर्यात के लिए ऐसे माल की निकासी और लदाई अनुज्ञात करने वाला आदेश देता है ; या

(ii) यात्री सामान के रूप में निर्यात किए जाने हैं और ऐसे यात्री सामान का स्वामी, उसकी निकासी के प्रयोजन के लिए, उसकी अंतर्वस्तुओं की धारा 77 के अधीन घोषणा (जिस घोषणा को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निर्यात के लिए प्रविष्टि समझा जाएगा) उचित अधिकारी को करता है और ऐसा अधिकारी निर्यात के लिए माल की निकासी अनुज्ञात करने वाला आदेश देता है ; या

(iii) धारा 82 के अधीन डाक द्वारा निर्यात के लिए प्रविष्ट किए जाते हैं और उचित अधिकारी निर्यात के लिए माल की निकासी अनुज्ञात करने वाला आदेश देता है,

तब ऐसे शुल्क का अठानवें प्रतिशत, इसमें इसके पश्चात् जैसा अन्यथा उपबंधित है उनके सिवाय, वापसी के रूप में प्रतिसंदत्त किया जाएगा, यदि—]

(क) माल, [2][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] के समाधानपर्यन्त आयातित माल के रूप में पहचाने जाते हैं ; और

(ख) माल उनके आयात पर शुल्क का संदाय करने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर निर्यात के लिए प्रविष्ट किए जाते हैं :

परन्तु किसी विशिष्ट दशा में पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो वर्ष की पूर्वोक्त अवधि बोर्ड द्वारा ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है जो वह ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे माल की दशा में जो उनके आयात के पश्चात् उपयोग किए गए हैं वापसी की दर वह होगी जो केन्द्रीय सरकार, उपयोग की कालावधि, मूल्य में अवक्षय और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

[3][(3) केंद्रीय सरकार, इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी और विशिष्टतया, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिससे, सामान्यत: प्रपुंज में एक साथ भण्डारित किए जाने वाले भिन्न-भिन्न परेषणों में आयातित माल की पहचान सिद्ध की जा सकेगी ;

(ख) ऐसे माल विनिर्दिष्ट करना जिनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे सहज रूप में पहचाने नहीं जा सकते ; और

(ग) वह रीति जिससे और वह समय जिसके भीतर, वापसी के संदाय के लिए दावा फाइल किया जाना है ।]

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) माल उस तारीख को निर्यात के लिए प्रविष्ट किए गए समझे जाएंगे जिसके प्रतिनिर्देश से धारा 16 के अधीन शुल्क की दर परिकलित की जाती है ;

(ख) धारा 18 के अधीन अनन्तिम रूप से शुल्क निर्धारित माल की दशा में अनन्तिम शुल्क के संदाय की तारीख शुल्क के संदाय की तारीख समझी जाएगी ।

75. उस माल के विनिर्माण में उपयोग की गई आयातित सामग्री पर वापसी जो निर्यात किए जाते हैं—(1) जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि [4][भारत में विनिर्मित, प्रसंस्कृत या जिन पर कोई संक्रिया की जाती है] [5][किसी वर्ग या वर्णन के माल के संबंध में, जो ऐसा माल है जो निर्यात के लिए प्रविष्ट किया गया है और जिसकी बाबत धारा 51 के अधीन, उचित अधिकारी द्वारा निर्यात के लिए उसकी निकासी और लदाई अनुज्ञात करने वाला आदेश दे दिया गया है,] [6][या ऐसा माल है जो धारा 82 के अधीन डाक द्वारा निर्यात के लिए प्रविष्ट किया गया है और जिसकी बाबत उचित अधिकारी द्वारा निर्यात के लिए निकासी अनुज्ञात करने वाला

---

[1] 1985 के अधिनियम सं० 80 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 60 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा "भारत में विनिर्मित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1983 के अधिनिमय सं० 11 की धारा 52 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1985 के अधिनियमसं० 80 की धारा 7 द्वारा (13-5-1983 से) अंत:स्थापित ।

आदेश दे दिया गया है] [1][ऐसे माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या ऐसे माल पर कोई संक्रिया किए जाने] में उपयोग की गई किसी वर्ग या वर्णन की आयातित सामग्री पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य सीमाशुल्क की वापसी अनुज्ञात की जानी चाहिए, वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि ऐसे माल की बाबत उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और उन्हीं के अधीन रहते हुए वापसी अनुज्ञात की जाएगी :

[2][परन्तु इस उपधारा के अधीन पूर्वोक्त किसी माल के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, कोई वापसी अनुज्ञात नहीं की जाएगी यदि ऐसे माल या वर्ग के माल का निर्यात मूल्य, [1][ऐसे माल] या वर्ग के माल [1][के विनिर्माण या प्रसंस्करण या ऐसे माल पर कोई संक्रिया किए जाने] में उपयोग की गई आयातित सामग्री के मूल्य से कम है अथवा [1][ऐसे माल] या माल के वर्ग [1][के विनिर्माण या प्रसंस्करण या ऐसे माल पर कोई संक्रिया किए जाने] में उपयोग की गई आयातित सामग्री के मूल्य के उस प्रतिशत से अधिक नहीं है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह और कि जहां किसी माल पर इस उपधारा के अधीन कोई वापसी अनुज्ञात की गई है और ऐसे माल के संबंध में विक्रय आगम निर्यातकर्ता द्वारा या उसकी ओर से [3][विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 (1999 का 42)] के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर भारत में प्राप्त नहीं किए जाते हैं वहां यह समझा जाएगा कि ऐसी वापसी [4][सिवाय ऐसी परिस्थितियों या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा विहित करे] कभी अनुज्ञात नहीं की गई है और केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, ऐसी वापसी की रकम को वसूल या समायोजित करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।]

[5][(1क) जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भारत में आयतित किसी विशेष सामग्री की मात्रा वैसी ही सामग्री की उस कुल मात्रा से अधिक है, जो कि [6][भारत में विनिर्मित, प्रसंस्कृत या जिन पर कोई संक्रिया की जाती है] और भारत से बाहर निर्यात किए गए माल में उपयोग की गई है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, को घोषणा कर सकेगी कि उतनी सामग्री, जितनी निर्यात किए गए माल में उपयोग की गई है, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, आयात की गई सामग्री समझी जाएगी ।]

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है और विशिष्टतया ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकते हैं :—

[7][(क) ऐसी वापसी का संदाय करना, जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में अथवा ऐसे माल के संबंध में कोई संक्रिया करने में उपयोग की गई आयातित सामग्री पर वास्तव में संदत्त शुल्क की रकम के बराबर हो या जो साधारणत: विनिर्माताओं द्वारा अथवा साधारणत: प्रसंस्करण करने वाले या कोई संक्रिया करने वाले व्यक्तियों द्वारा अथवा किसी विशिष्ट विनिर्माता द्वारा या कोई प्रसंस्करण या अन्य प्रसंस्करण या अन्य संक्रिया करने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्यात माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में अथवा उस वर्ग या वर्णन के निर्यात माल के संबंध में कोई संक्रिया करने में उपयोग की गई उस वर्ग या वर्णन की सामग्री पर संदत्त शुल्क की औसत रकम के रूप में नियमों में विनिर्दिष्ट हो, और उस पर संदेय ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करना ;

[8][(कक) ऐसे माल विनिर्दिष्ट करना जिनके संबंध में कोई वापसी अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(कख) ऐसी किसी वापसी की, जो उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की गई है, [9][या उस पर प्रभार्य ब्याज की] रकम को वसूल या समायोजित करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना ;]

(ख) प्रत्येक वापसी के दावे के समर्थन में ऐसे प्रमाणपत्र, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य पेश करना जो आवश्यक हों ;

(ग) [1][विनिर्माता या कोई प्रक्रिया या अन्य संक्रिया करने वाले व्यक्ति] से यह अपेक्षा करना कि वह [10][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] द्वारा इस निमित्त विशेषत: प्राधिकृत किसी सीमाशुल्क अधिकारी की विनिर्माणशाला के प्रत्येक भाग तक पंहुच होने दे जिससे कि ऐसा प्राधिकृत अधिकारी [11][विनिर्माण की प्रक्रिया का, की जाने वाली प्रक्रिया या किसी अन्य संक्रिया का] निरीक्षण करने में और वास्तविक जांच पड़ताल द्वारा या अन्यथा वापसी के दावे के समर्थन में किए गए कथनों का सत्यापन करने में समर्थ हो सके ;

[9][(घ) वह रीति जिससे और वह समय जिसके भीतर वापसी के संदाय के लिए दावा फाइल किया जा सकेगा ।]

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा "ऐसे माल के विनिर्माण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 120 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 125 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1978 के अधिनियम सं० 25 की धारा 10 द्वारा (1-7-1978 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा "भारत में विनिर्मित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 120 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा "विनिर्माण की प्रक्रिया का" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(3) उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी तारीख से, जो निर्यात माल में प्रयुक्त निदेशों पर शुल्क की दरों में परिवर्तनों की तारीख से पहले की न हो, भूतलक्षी रूप से वापसी देने की शक्ति है ।]

[2][**75क. वापसी के संबंध में ब्याज**—(1) जहां धारा 74 या धारा 75 के अधीन किसी दावेदार को संदेय किसी वापसी का ऐसी वापसी के संदाय के लिए दावा फाइल करने की तारीख से [3][एक मास] की अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है वहां उस दावेदार को वापसी की रकम के अतिरिक्त, [3][एक मास] की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् की तारीख से ऐसी वापसी के संदाय की तारीख तक धारा 27क के अधीन नियत दर पर ब्याज का संदाय किया जाएगा :

[4]* * * * *

[5][(2) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी दावेदार को किसी वापसी का संदाय भूल से किया गया है या वह अन्यथा वसूलनीय हो जाता है, वहां दावेदार मांग की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, वापसी की उक्त रकम के अतिरिक्त, [6][धारा 28कक] के अधीन नियत दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की रकम की संगणना दावेदार को ऐसी वापसी के संदाय की तारीख से आरंभ होने वाली और ऐसी वापसी की वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए की जाएगी ।]

76. कुछ दशाओं में वापसी का प्रतिषेध और विनियमन—(1) इसमें इसके पहले किसी बात के होते हुए भी यह है कि कोई वापसी—

[7]* * * * * *

(ख) किसी ऐसे माल की बाबत जिसकी बाजार कीमत उस पर शोध्य वापसी की रकम से कम है ;

(ग) जहां किसी माल की बाबत शोध्य वापसी [8][पचास रुपए] से कम है वहां, अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई विशिष्ट वर्णन के माल जिनकी बाबत इस अध्याय के अधीन वापसी का दावा किया जा सकता है भारत में तस्करी करके वापस लाने सम्भाव्य हैं तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि ऐसे माल की बाबत वापसी अनुज्ञात नहीं की जाएगी या ऐसी वापसी, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुज्ञात की जाए ।

[9]* * * * *

अध्याय 11

यात्री सामान, डाक द्वारा आयातित या निर्यातित माल और यान सामग्री के बारे में विशेष उपबन्ध

यात्री सामान

77. स्वामी द्वारा यात्री सामान की घोषणा—किसी यात्री सामान का स्वामी उसकी निकासी के प्रयोजन के लिए उचित प्राधिकारी को उसकी अन्तर्वस्तुओं की घोषणा करेगा ।

78. यात्री सामान की बाबत शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन का अवधारण—यात्री सामान को लागू होने वाली शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, उस तारीख को प्रवृत्त दर और मूल्यांकन होगा जिसको धारा 77 के अधीन ऐसे यात्री सामान की बाबत घोषणा की जाती है ।

79. वास्तविक यात्री सामान को शुल्क से छूट—(1) उचित अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित को नि:शुल्क पास कर सकता है —

(क) किसी यात्री या कर्मीदल के यात्री सामान की कोई वस्तु जिसकी बाबत उक्त अधिकारी का सामाधान हो जाता है कि वह उसके उपयोग में उस न्यूनतम अवधि के लिए रही है जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ख) किसी यात्री के यात्री सामान की कोई वस्तु जिसकी बाबत उक्त अधिकारी का समाधान हो जाता है कि वह यात्री या उसके कुटुम्ब के प्रयोग के लिए है या वास्तव में दान या स्मारिका है, परन्तु ऐसी प्रत्येक वस्तु का मूल्य और ऐसी सभी वस्तुओं का सकल मूल्य ऐसी सीमा से अधिक नहीं है जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 62 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 115 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 115 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 98 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 125 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 53 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया ।
[8] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 53 द्वारा "पांच रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 2007 के अधिनियमसं० 22 की धारा 99 द्वारा अध्याय 10क का लोप किया गया ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है और विशिष्टतया ऐसे नियम निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं—

(क) वह न्यूनतम अवधि जिसमें किसी यात्री या कर्मीदल के सदस्य द्वारा किसी वस्तु का उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है ;

(ख) किसी एक वस्तु का अधिकतम मूल्य और उन सभी वस्तुओं का अधिकतम सकल मूल्य जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन पास किए जा सकते हैं ;

(ग) वे शर्तें (जो निकासी के पहले या बाद मे पूरी की जाएं) जिनके अधीन कोई सामान निःशुल्क पास किया जा सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन भिन्न-भिन्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बनाए जा सकते हैं ।

80. यात्री सामान का अस्थायी रूप से रोका जाना—जहां किसी यात्री के यात्री सामान में कोई वस्तु है जो शुल्क्य है या जिसका आयात प्रतिषिद्ध है और जिसकी बाबत धारा 77 के अधीन एक सही घोषणा कर दी गई है वहां उचित अधिकारी, यात्री के अनुरोध पर ऐसी वस्तु को यात्री के भारत छोड़ने पर उसे वापस लौटाए जाने के लिए रोक सकता है [1][और यदि किसी कारण से यात्री अपने भारत छोड़ने के समय उस व्यक्ति का संग्रह करने में समर्थ नहीं है तो वस्तु को उसके द्वारा प्राधिकृत और भारत छोड़ने वाले किसी अन्य यात्री के माध्यम से या उसके नाम में परेषित स्थोरा के रूप में उसको वापस किया जा सकता है ।]

81. यात्री सामान की बाबत विनियम—बोर्ड निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकता है,—

(क) किसी यात्री सामान की अन्तर्वस्तुओं को घोषित करने की रीति का उपबंध करना ;

(ख) यात्री सामान की अभिरक्षा, परीक्षा, शुल्क निर्धारण और निकासी का उपबंध करना ;

(ग) एक सीमाशुल्क स्टेशन से दूसरे को या भारत से बाहर किसी स्थान को यात्री सामान के अभिवहन या यानान्तरण का उपबंध करना ।

डाक द्वारा आयातित या निर्यातित माल

[2]* * * * *

83. डाक द्वारा आयातित या निर्यातित माल की बाबत शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन—(1) डाक द्वारा आयातित माल को लागू होने वाली शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, उस तारीख को प्रवृत्त दर और मूल्यांकन होगा जिसको डाक प्राधिकारी, उचित अधिकारी को ऐसे माल पर शुल्क का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए उस माल की विशिष्टियों वाली सूची पेश करता है :

परन्तु यदि ऐसे माल किसी जलयान द्वारा आयात किए जाते हैं और विशिष्टियों वाली माल की सूची जलयान के पहुंचने की तारीख के पहले पेश की गई थी तो, यह समझा जाएगा कि वह पहुंचने की तारीख को पेश की गई है ।

(2) डाक द्वारा निर्यातित माल को लागू होने वाली शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन उस तारीख को प्रवृत्त दर और मूल्यांकन होगा जिसको निर्यातकर्ता ऐसे माल का डाक प्राधिकारी को निर्यात के लिए परिदान करता है ।

84. डाक द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल के बारे में विनियम—बोर्ड निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए विनियम बना सकता है—

[3][(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें डाक द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल की बाबत कोई प्रविष्टि की जा सकेगी ।]

(ख) डाक द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल की परीक्षा, शुल्क निर्धारण और निकासी ;

(ग) डाक द्वारा आयातित माल का एक सीमाशुल्क स्टेशन से दूसरे को या भारत से बाहर किसी स्थान को अभिवहन या यानान्तरण ।

यान सामग्री

85. यान सामग्री का शुल्क निर्धारण किए बिना भाण्डागारण अनुज्ञात किया जाना—जहां कोई आयातित माल भाण्डागारण के लिए प्रविष्ट किए जाते हैं और आयातकर्ता यह घोषणा करता है और उसे हस्ताक्षरित करता है कि माल इस आध्याय के अधीन आयात शुल्क का संदाय किए बिना यान सामग्री के रूप में जलयान या वायुयान को प्रदत्त किए जाने हैं, वहां उचित अधिकारी उस माल को शुल्क का निर्धारण किए बिना भाण्डागारित करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है ।

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 63 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 104 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 105 द्वारा प्रतिस्थापित ।

86. यान सामग्री का अभिवहन और यानान्तरण—(1) किसी जलयान या वायुयान में आयातित कोई यान सामग्री, शुल्क का संदाय किए बिना ऐसे जलयान या वायुयान पर तब तक रह सकती है जब तक वह भारत में है ।

(2) किसी जलयान या वायुयान में आयातित यान सामग्री, उचित अधिकारी की अनुज्ञा से, जैसा धारा 87 या धारा 90 में उपबंधित है किसी जलयान या वायुयान में उसके अन्दर यान सामग्री के रूप में उपभोग के लिए अन्तरित की जा सकती है ।

87. आयातित यान सामग्री का विदेशगामी जलयान या वायुयान पर उपभोग होना—किसी जलयान या वायुयान पर की कोई आयातित यान सामग्री (जो उस यान सामग्री से भिन्न है जिसको धारा 90 लागू होती है) शुल्क का संदाय किए बिना, उस अवधि में जिसमें ऐसा जलयान या वायुयान विदेशगामी जलयान या वायुयान है उस पर यान सामग्री के रूप में उपभोग की जा सकती है ।

88. धारा 69 और अध्याय 10 का यान सामग्री को लागू होना—धारा 69 और अध्याय 10 के उपबन्ध यान सामग्री को (जो उनसे भिन्न है जिनको धारा 90 लागू होती है) निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अन्य माल को लागू होते हैं :—

(क) (i) धारा 69 की उपधारा (1) में, "निर्यात किए जा सकते हैं" शब्दों के स्थान पर, "किसी विदेशगामी जलयान या वायुयान पर यान सामग्री के रूप में ले जाए जा सकते है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) धारा 69 की उपधारा (2) में, "भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात नहीं किए जाएंगे" और "इस प्रकार निर्यात किए जाने के लिए" शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "किसी विदेशगामी जलयान या वायुयान पर यान सामग्री के रूप में नहीं ले जाए जाएंगे" और "किसी विदेशगामी जलयान या वायुयान पर खान सामग्री के रूप में इस प्रकार ले जाए जाने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) धारा 74 की उपधारा (1) में, "भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात किए जाते है" शब्दों के स्थान पर, "किसी विदेशगामी जलयान या वायुयान पर खान सामग्री के रूप में ले जाए जाते हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) धारा 75 की उपधारा (1) में, "भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात किए गए" शब्दों के स्थान पर "किसी विदेशगामी जलयान या वायुयान पर यान सामग्री के रूप में ले जाए गए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) किसी विदेशगामी वायुयान पर यान सामग्री के रूप में लिए गए ईंधन और स्नेहक तेल पर वापसी की दशा में धारा 74 की उपधारा (1) का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो "ऐसे शुल्क का अट्ठानवे प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "वह संपूर्ण शुल्क" शब्द रखे गए हों ।

89. यान सामग्री का निर्यात शुल्क से मुक्त होना—भारत में उत्पादित या विनिर्मित और किसी विदेशगामी जलयान या वायुयान में यान सामग्री के रूप में अपेक्षित माल ऐसे परिणाम में नि:शुल्क निर्यात किए जाएंगे जो उचित अधिकारी जलयान या वायुयान के आकार को, यात्रियों और कर्मीदल की संख्या को और उस यात्रा की दूरी को, जिस पर वह जलयान या वायुयान जा रहा है ध्यान मे रखते हुए अवधारित करे ।

90. नौसेना के लिए आयातित यान सामग्री की बाबत रियायत—(1) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट आयातित यान सामग्री भारतीय नौसेना के किसी पोत पर शुल्क का संदाय किए बिना उपभोग की जा सकती है ।

(2) धारा 69 और अध्याय 10 के उपबंध उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट यान सामग्री को निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अन्य माल को लागू होते हैं :—

(क) (i) धारा 69 की उपधारा (1) में, "निर्यात किए जा सकते हैं" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय नौसेना के किसी पोत पर ले जाए जा सकते हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) धारा 69 की उपधारा (2) में, "भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात नहीं किए जाएंगे" और "इस प्रकार निर्यात किए जाने के लिए" शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "भारतीय नौसेना के किसी पोत नहीं ले जाए जाएंगे" और "भारतीय नौसेना के किसी पोत पर इस प्रकार ले जाए जाने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) धारा 74 की उपधारा (1) में, "भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात किए जाते हैं" शब्दों के स्थान पर "भारतीय नौसेना के किसी पोत पर ले जाए जाते हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) धारा 75 की उपधारा (1) में, "भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात किए गए" शब्दों के स्थान पर "भारतीय नौसेना के किसी पोत पर ले जाए गए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 74 की उपधारा (1) में "ऐसे शुल्क का अट्ठानवे प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर , "वह सम्पूर्ण शुल्क" शब्द रखे जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट यान सामग्री निम्नलिखित हैं :—

(क) भारतीय नौसेना के किसी पोत के उपयोग के लिए यान सामग्री ;

(ख) भारतीय नौसेना के किसी पोत के कर्मीदल के उपयोग के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदत्त की गई यान सामग्री ।

अध्याय 12

तटीय माल और तटीय माल को वहन करने वाले जलयानों के बारे में उपबंध

91. इस अध्याय का यात्री सामान और यान सामग्री को लागू न होना—इस अध्याय के उपबंध यात्री सामान और यान सामग्री को लागू नहीं होंगे ।

92. तटीय माल की प्रविष्टि—(1) तटीय माल का परेषक उचित अधिकारी को विहित प्ररूप में तटीय माल पत्र पेश करके उनकी प्रविष्टि करेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा परेषक तटीय माल पत्र पेश करते हुए उसके नीचे की और उस पत्र की अन्तर्वस्तुओं की सच्चाई के बारे में घोषणा करेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा ।

93. जब तक तटीय माल से संबंधित पत्र पास न किया जाए तब तक उनका न लादा जाना, यदि—किसी जलयान का मास्टर जलयान पर किसी तटीय माल के लादने की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि धारा 92 के अधीन पेश किया गया ऐसे माल से संबंधित पत्र उचित अधिकारी द्वारा पास न किया जाए और परेषक द्वारा मास्टर को परिदत्त न किया जाए ।

94. गंतव्य स्थान पर तटीय माल की निकासी—(1) तटीय माल को वहन करने वाले यान का मास्टर धारा 93 के अधीन उसको परिदत्त ऐसे माल से संबंधित सभी पत्र यान पर रखेगा और किसी सीमाशुल्क या तटीय पत्तन पर जलयान के पहुंचने पर तुरन्त ही उस पत्तन के उचित अधिकारी को उस पत्तन पर उतारे जाने वाले माल से संबंधित सभी पत्रों का परिदान करेगा ।

(2) जहां कोई तटीय माल किसी पत्तन पर उतारे जाते हैं वहां उचित अधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि वे उपधारा (1) के अधीन उसको परिदत्त तटीय माल पत्र में प्रविष्ट हैं तो, उनकी निकासी अनुज्ञात कर सकता है ।

95. तटीय जलयान के मास्टर का सूचना बही रखना—(1) तटीय माल को वहन करने वाले प्रत्येक जलयान के मास्टर को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा "सूचना बही" कहलाने वाली एक बही प्रदत्त की जाएगी ।

(2) ऐसे जलयान की यात्रा के प्रत्येक पत्तन पर उचित अधिकारी, उस पत्तन पर उस यान पर लादे गए माल के बारे में सूचना बही में ऐसी प्रविष्टियां करेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) ऐसे प्रत्येक जलयान का मास्टर सूचना बही को जलयान पर रखेगा और यात्रा के प्रत्येक पत्तन पर पहुंचने पर उस पत्तन के उचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए देगा ।

96. तटीय माल का केवल सीमाशुल्क पत्तन या तटीय पत्तन पर लादा और उतारा जाना—धारा 7 के अधीन तटीय माल के लादने या उतारने के लिए नियत सीमाशुल्क पत्तन या तटीय पत्तन से भिन्न किसी पत्तन पर कोई तटीय माल न तो किसी जलयान पर लादे जाएंगे और न उससे उतारे जाएंगे ।

97. किसी तटीय जलयान का लिखित आदेश के बिना प्रस्थान न करना—(1) ऐसे किसी जलयान का मास्टर जो किसी सीमाशुल्क या तटीय पत्तन पर तटीय माल लाया है या जिस पर ऐसे माल लादे गए हैं, ऐसे जलयान का ऐसे पत्तन से प्रस्थान नहीं कराएगा या प्रस्थान अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव का लिखित आदेश न दे दिया जाए ।

(2) ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि—

(क) जलयान का मास्टर धारा 38 के अधीन उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देता है ;

(ख) ऐसे जलयान की बाबत या उसके मास्टर से शोध्य सभी प्रभार और शास्तियां संदत्त नहीं कर दी जाती हैं या ऐसा संदाय ऐसी प्रतिभूति या ऐसी रकम के निक्षेप द्वारा जो उचित अधिकारी निदेश दे, प्रतिभूत नहीं कर दिया जाता है ;

(ग) जलयान का मास्टर उचित अधिकारी का यह समाधान नहीं कर देता है कि धारा 116 के अधीन उस पर कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं है या उस धारा के अधीन उस पर उद्गृहीत की गई किसी शास्ति का संदाय ऐसी प्रतिभूति या ऐसी रकम के निक्षेप द्वारा जो उचित अधिकारी निदेश दे, प्रतिभूत नहीं कर दिया जाता है ;

(घ) इस अध्याय के और तटीय माल और तटीय माल को वहन करने वाले जलयानों से संबंधित नियमों और विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन नहीं कर दिया जाता है ।

98. इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों का तटीय माल को लागू होना, आदि—(1) धारा 33, 34 और 36, जहां तक हो सके, तटीय माल को उसी प्रकार लागू होंगी जैसे वे आयातित माल या निर्यातित माल को लागू होती हैं ।

(2) धारा 37 और 38, जहां तक हो सके, तटीय माल को वहन करने वाले जलयानों को उसी प्रकार लागू होंगी जैसे वे आयातित माल या निर्यातित माल को वहन करने वाले जलयानों को लागू होती हैं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि अध्याय 6 के अन्य सभी या कोई उपबंध और धारा 45 के उपबंध ऐसे अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं तटीय माल या तटीय माल को वहन करने वाले जलयानों को लागू होंगे ।

[1][**98क. शिथिल करने की शक्ति**—यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तटीय माल या तटीय माल को वहन करने वाले जलयानों को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबंधों से आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, साधारणतया छूट दे सकेगी ।]

99. तटीय माल तथा तटीय जलयानों की बाबत नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है—

(क) किसी तटीय माल को जिसका निर्यात इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क्य या प्रतिषिद्ध है भारत से बाहर ले जाने से रोकना ;

(ख) तटीय माल के साथ-साथ आयातित या निर्यातित माल वहन करने वाले जलयान की दशा में, आयातित या निर्यातित माल का तटीय माल द्वारा प्रतिस्थापन रोकना ।

अध्याय 13

तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

100. भारत में आने वाले या भारत से जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने की शक्ति, आदि—(1) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने जिसको यह धारा लागू होती है और अपने शरीर पर अधिहरण किए जा सकने वाले किसी माल की या उनसे संबंधित किन्हीं दस्तावेजों को छिपा रखा है, तो वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है ।

(2) यह धारा निम्नलिखित व्यक्तियों को लागू होती है, अर्थात् :—

(क) कोई व्यक्ति जो भारतीय सीमाशुल्क सागर खण्ड के अन्दर किसी जलयान से उतरा है या उस पर चढ़ने वाला है या उस पर है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विदेशगामी वायुयान से उतरा है या उस पर चढ़ने वाला है या उस पर है ;

(ग) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे यान से उतरा है या उस पर चढ़ने वाला है या उसमें है, जो यान भारत से बाहर किसी स्थान से आया है या भारत से बाहर किसी स्थान को जाने वाला है ;

(घ) कोई व्यक्ति जो खण्ड (क), (ख) या (ग) के अन्तर्गत नहीं आता है और जिसने भारत में प्रवेश किया है या जो भारत छोड़ने वाला है ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो सीमाशुल्क क्षेत्र में है ।

101. कुछ अन्य दशाओं में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने की शक्ति—(1) धारा 100 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि [2][सीमाशुल्क आयुक्त] के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त सीमाशुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने अपने शरीर पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के किसी ऐसे माल को जिनका अभिग्रहण किया जा सकता है या उनसे संबंधित दस्तावेजों को छिपा रखा है, तो वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट माल निम्नलिखित हैं—

(क) सोना ;

(ख) हीरे ;

(ग) सोने या हीरों की विनिर्मितियां

(घ) घड़ियां ;

(ङ) किसी अन्य वर्ग के माल जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।

102. जिन व्यक्तियों की तलाशी जी जानी है वे अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्हें सीमाशुल्क के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाए—(1) जब कोई सीमाशुल्क अधिकारी धारा 100 या धारा 101 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब, यदि ऐसा व्यक्ति यह अपेक्षा करे तो सीमाशुल्क अधिकारी बिना अनावश्यक विलम्ब के उस व्यक्ति को निकटतम सीमाशुल्क के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा ।

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 64 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो सीमाशुल्क अधिकारी उस व्यक्ति को जब तक वह उसे सीमाशुल्क के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाता है जब तक निरोध में रख सकता है ।

(3) सीमाशुल्क का राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, यदि उसे तलाशी का युक्तियुक्त कारण नहीं दिखाई पड़ता है तो, उस व्यक्ति को तुरन्त उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा तलाशी लिए जाने का निदेश देगा ।

(4) धारा 100 या धारा 101 के उपबन्धों के अधीन तलाशी लेने के पहले सीमाशुल्क अधिकारी दो या अधिक व्यक्तियों से तलाशी में उपस्थित रहने और साक्षी करने की अपेक्षा कर सकता है और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकता है ; और ऐसी तलाशी ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के दौरान अभिगृहीत सभी वस्तुओं की एक सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ।

(5) किसी स्त्री की तलाशी स्त्री के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी ।

103. छिपाए हुए माल का पता लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों के शरीरों की स्क्रीनिंग या एक्स-रे करने की शक्ति—(1) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 100 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने अधिहरण किए जा सकने वाले माल अपने शरीर के अन्दर छिपाए हुए हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को रोक सकता है और बिना अनावश्यक विलम्ब के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकता है ।

(2) कोई मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन लाया जाता है, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर के अन्दर ऐसे माल छिपाए हुए हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को तुरन्त उन्मोचित करेगा ।

(3) यदि किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर के अन्दर ऐसे माल छिपाए हुए हैं और मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल का पता लगाने के लिए ऐसे व्यक्ति के शरीर की स्क्रीनिंग या एक्स-रे किया जाए तो वह उस प्रभाव का आदेश दे सकता है ।

(4) जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में कोई आदेश दिया है वहां, उचित अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताओं से युक्त किसी विकिरण विज्ञानी के समक्ष ले जाएगा, और ऐसा व्यक्ति विकिरण विज्ञानी को अपने शरीर की स्क्रीनिंग या एक्स-रे करने देगा ।

(5) वह विकिरण विज्ञानी जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन लाया जाता है ऐसे व्यक्ति की स्क्रीनिंग या एक्स-रे करने के पश्चात्, अपने द्वारा लिए गए एक्स-रे चित्रों सहित अपनी रिपोर्ट बिना अनावश्यक विलम्ब के मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा ।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी विकिरण विज्ञानी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने अधिहरण किए जा सकने वाले कोई माल अपने शरीर के अन्दर छिपाए हुए हैं ; तो वह यह निदेश दे सकता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक की सलाह पर और उसके पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे माल बाहर निकालने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए और ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा :

परन्तु किसी स्त्री की दशा में किसी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सक की सलाह पर और उसके अधीक्षण के अधीन ही कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

(7) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है वहां इस धारा के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में और ऐसी अवधि के लिए रखने का आदेश दे सकता है जैसी वह निदिष्ट करे ।

(8) इस धारा की कोई भी बात उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो यह स्वीकार करता है कि अधिहरण किए जा सकने वाले माल उसके शरीर के अंदर छिपाए हुए हैं और जो ऐसे माल को बाहर निकालने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अपने को स्वेच्छा से समर्पित करता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक" पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, या उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अर्हता है ।

104. गिरफ्तार करने की शक्ति—[1][(1) यदि सीमाशुल्क आयुक्त के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त सीमाशुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारत में या भारतीय सीमाशुल्क सागर खंड के भीतर किसी व्यक्ति ने धारा 132 या धारा 133 या धारा 135 या धारा 135क या धारा 136 के अधीन दंडनीय अपराध किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और वह, यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति बिना अनावश्यक विलम्ब के मजिस्ट्रेट के समक्ष से लाया जाएगा ।

(3) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहां उसकी ऐसे व्यक्ति की जमानत पर या अन्यथा छोड़ने के प्रयोजन के लिए वे ही शक्तियां होंगी और वह उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगा जो पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी की होती है और जिनके अधीन वह [1]दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन होता है ।

[2][(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रतिषिद्ध माल ; या

(ख) पचास लाख रुपए से अधिक शुल्क के अपवंचन या प्रयतित अपवंचन,

से संबंधित कोई अपराध, संज्ञेय होगा ।

(5) उपधारा (4) में यथाउपबंधित के सिवाय, अधिनियम के अधीन सभी अपराध असंज्ञेय होंगे ।

[3][(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक के शुल्क के अपवंचन या प्रयतित अपवंचन से ; या

(ख) धारा 11 के अधीन अधिसूचित ऐसे प्रतिषिद्ध माल के, जो धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (इ) के अधीन भी अधिसूचित हैं ; या

(ग) ऐसे किसी माल के, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषित नहीं किया गया है और जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, आयात या निर्यात के ; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या किसी छूट को, यदि वापसी या शुल्क से छूट की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने के,

संबंध में धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराध अजमानतीय होगा ।

(7) उपधारा (6) में, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सभी अन्य अपराध जमानतीय होंगे ।]

105. परिसरों की तलाशी लेने की शक्ति—(1) यदि [4][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त], या बोर्ड द्वारा भारत के भूमि सीमान्त या तट से लगे हुए किसी क्षेत्र में इस निमित्त विशेषत: नाम से सशक्त किसी सीमाशुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण किए जा सकने वाले कोई माल या कोई दस्तावेज या वस्तुएं जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उपयोगी, या सुसंगत होंगी, किसी स्थान में छिपाई हुई हैं, तो वह किसी सीमाशुल्क अधिकारी को तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है या स्वयं ऐसे माल, दस्तावेज या वस्तुओं के लिए तलाशी ले सकता है ।

(2) तलाशी से सम्बन्धित [1]दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस उपान्तर के अधीन रहते हुए कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, [5][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] शब्द रखे गए हैं, इस धारा के अधीन तलाशियों को लागू होंगे ।

106. प्रवहणों को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति—(1) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारत में कोई वायुयान, यान या जीव-जंतु या भारत में या भारत के सीमाशुल्क सागर खण्ड के अन्दर कोई जलयान किसी माल की तस्करी में या तस्करी किए गए किसी माल के वहन में उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाने वाला है तो वह, किसी भी समय ऐसे यान, जीवन-जन्तु या जलयान को रोक सकता है या वायुयान की दशा में, उसे उतरने के लिए बाध्य कर सकता है, और—

(क) वायुयान, यान या जलयान के किसी भाग की छानबीन कर सकता है और तलाशी ले सकता है ;

(ख) वायुयान, यान या जलयान या किसी जीव-जन्तु पर लदे माल की परीक्षा कर सकता है और तलाशी ले सकता है ;

(ग) यदि चाबियां नहीं दी जाती हैं तो खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी द्वार का ताला या पैकेज तोड़ सकता है ।

(2) जहां उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए—

---

[1] अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 126 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) किसी जलयान को रोकना या वायुयान को उतरने के लिए बाध्य करना आवश्यक हो जाता है, वहां उचित ध्वज फहराते हुए और सरकार की सेवा में के किसी जलयान या वायुयान के लिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के लिए, ऐसे जलयान को रोकने के लिए या वायुयान को उतरने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संकेत कोड या अन्य मान्यताप्राप्त उपायों के द्वारा समन करना विधिपूर्ण होगा, और तब ऐसा जलयान तुरन्त रुकेगा और ऐसा वायुयान तुरन्त उतरेगा ; और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो, यथापूर्वोक्त किसी जलयान या वायुयान द्वारा उसका पीछा किया जा सकता है और यदि संकेत के रूप में एक तोप दागने के पश्चात् जलयान नहीं रुकता है या वायुयान नहीं उतरता है तो उस पर फायर किया जा सकता है ;

(ख) किसी यान या जीव-जन्तु को रोकना आवश्यक हो जाता है, वहां उचित अधिकारी उसको रोकने के सभी विधिमान्य उपायों का प्रयोग कर सकता है, और जहां ऐसे उपाय असफल हो जाते हैं, वहां ऐसे यान या जीव-जन्तु पर फायर कर सकता है ।

[1][**106क. निरीक्षण करने की शक्ति**—सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई उचित अधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन हुआ है या नहीं, यथास्थिति, अध्याय 4क या अध्याय 4ख के अधीन सूचित किसी स्थान में किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है और उसमें रखे या भण्डारित माल का निरीक्षण कर सकता है, और उसमें पाए गए किसी व्यक्ति से, जो तत्समय उसका भारसाधक है, यथास्थिति, अध्याय 4क या अध्याय 4ख के अधीन रखे गए लेखाओं को उसके निरीक्षण के लिए उसको पेश करने की या यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसे माल अवैध रूप से आयातित या निर्यातित नहीं हैं या उनका अवैध रूप से निर्यात किया जाना सम्भाव्य नहीं है, उसकी युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है ।

107. व्यक्तियों की परीक्षा करने की शक्ति—[2][सीमाशुल्क आयुक्त] के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई सीमाशुल्क अधिकारी, किन्हीं माल की तस्करी से संबंधित किसी जांच के दौरान :—

(क) किसी व्यक्ति से जांच के लिए सुसंगत किसी दस्तावेज या वस्तु को पेश करने या उसका परिदान करने की अपेक्षा कर सकता है ;

(ख) किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है ।

108. साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति—[3][(1) [4]*** किसी राजपत्रित सीमाशुल्क अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह ऐसी किसी जांच में जिसे ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर रहा है, साक्ष्य देने या दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है ।]

(2) दस्तावेजों या अन्य वस्तुओं को पेश करने का समन, कुछ विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या वस्तुओं को पेश करने के लिए या किसी वर्णन वाली ऐसी सभी दस्तावेजों या वस्तुओं को पेश करने के लिए हो सकता है जो समन किए गए व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में है ।

(3) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा जैसा अधिकारी निदेश दे, उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे और इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति किसी विषय पर जिसके सम्बन्ध में उनकी परीक्षा की जाती है सच्चाई से कहेंगे या कथन करेंगे और ऐसी दस्तावेजें और अन्य वस्तुएं पेश करेंगे जिनकी अपेक्षा की जाए :

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 132 के अधीन छूट इस धारा के अधीन उपस्थित होने की अपेक्षा को लागू होगी ।

(4) यथापूर्वोक्त ऐसी प्रत्येक जांच भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

[5][**108क. सूचना देने की बाध्यता**—(1) कोई भी व्यक्ति, जो—

(क) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है ; या

(ख) माल या सेवाओं से संबंधित मूल्य वर्धित कर या विक्रय कर या किसी अन्य कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी है ; या

(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय-कर प्राधिकारी है ; या

---

[1] 1969 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा (3-1-1969 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थानिक ।

[3] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 69 द्वारा लोप किया गया ।

[5] 2017 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) के अर्थान्तर्गत कोई बैंककारी कंपनी है ; या

(ङ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 2 के खंड (घघ) के अर्थान्तर्गत कोई सहकारी बैंक है ; या

(च) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत कोई वित्तीय संस्था है या खंड (च) के अर्थान्तर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है ; या

(छ) कोई राज्य विद्युत बोर्ड है या विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी है या कोई अन्य ऐसा अस्तित्व है, जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं ; या

(ज) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या कोई उप रजिस्ट्रार है ; या

(झ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार है ; या

(ञ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सशक्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है ; या

(ट) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई कलेक्टर है ; या

(ठ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है ; या

(ड) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है ; या

(ढ) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थान्तर्गत कोई महाडाकपाल है ; या

(ण) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 2 के खंड (घ) के अर्थान्तर्गत कोई विदेशी व्यापार महानिदेशक है ; या

(त) रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (18) के अर्थान्तर्गत किसी क्षेत्रीय रेल का कोई महाप्रबंधक है ; या

(थ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है, जो ऊपर विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत समझा गया है, के अधीन रजिस्ट्रीकरण या लेखा विवरण का अभिलेख रखने या कोई अन्य सूचना रखने के लिए उत्तरदायी है, समुचित अधिकारी को ऐसी सूचना ऐसी रीति में देगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) जहां समुचित अधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना त्रुटिपूर्ण है, वहां वह त्रुटि को उस व्यक्ति को संसूचित कर सकेगा, जिसने ऐसी सूचना दी है और उसे ऐसी संसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, त्रुटि में सुधार करने का अवसर दे सकेगा और यदि उस त्रुटि में, यथास्थिति, सात दिन की उक्त अवधि या और ऐसी अवधि, जो अनुज्ञात की जाए, के भीतर सुधार नहीं किया जाता है तो उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना को, नहीं दी गई के रूप में समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने, जिससे सूचना दी जानी अपेक्षित है, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे नहीं दिया है, वहां समुचित अधिकारी उस पर एक नोटिस की तामील कर सकेगा जिसके द्वारा उसे नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसी सूचना देने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना देगा ।

108ख. सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति—जहां वह व्यक्ति, जिससे धारा 108क के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गई है, उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के, जिसके दौरान ऐसी सूचना देने में असफलता जारी रहती है, प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का निदेश दे सकेगा ।]

109. भूमि मार्ग द्वारा आयातित माल की निकासी अनुज्ञात करने वाला आदेश पेश करने की अपेक्षा करने की शक्ति—भारत के भूमि सीमान्त से लगे हुए किसी क्षेत्र के लिए नियत और बोर्ड के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त सीमाशुल्क अधिकारी, किसी माल को जिसके बारे में ऐसे किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे भारत में भूमि मार्ग द्वारा आयात किया गया है, अपने कब्जे में रखने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस माल की निकासी अनुज्ञात करने वाले धारा 47 के अधीन दिए गए आदेश पेश करे :

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन किसी नियत मार्ग द्वारा किसी भूमि सीमान्त से भूमि सीमाशुल्क स्टेशन को जाने वाले आयातित माल को लागू नहीं होगी ।

110. माल, दस्तावेज और वस्तुओं का अभिग्रहण—(1) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई माल इस अधिनियम के अधीन अधिहरण को दायी है तो वह ऐसे माल का अभिग्रहण कर सकता है :

परन्तु जहां ऐसे किसी माल का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी माल के स्वामी पर यह आदेश तामील कर सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उस माल को नहीं हटाएगा, उसे अलग नहीं करेगा या अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा ।

[1][(1क) केन्द्रीय सरकार, किसी माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय के व्यतीत होने के कारण माल के मूल्य में अवक्षयण, माल के लिए भाण्डागारण स्थान की दिक्कत या किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल या वर्ग के माल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसका उपधारा (1) के अधीन उसके अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र, उचित अधिकारी द्वारा व्ययन, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ऐसी रीति से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अवधारित करे ।

(1ख) जहां उपधारा (1क) के अधीन विनिर्दिष्ट माल को उपधारा (1) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया गया है वहां वह ऐसे माल की तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, मात्रा, चिह्न, संख्या, उद्भव के देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे ब्यौरे होंगे जिन्हें उचित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में माल की पहचान के लिए, सुसंगत समझे और निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा, अर्थात् :—

(क) इस प्रकार तैयार की गई तालिका की शुद्धता का प्रमाणन; या

(ख) मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसे माल के फोटोचित्र लेना और ऐसे फोटोचित्रों के सही होने का प्रमाणन; या

(ग) मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसे माल के प्रतिनिधि नमूने लेने के लिए अनुज्ञात करना और इस प्रकार लिए गए नमूने की किसी सूची की शुद्धता का प्रमाणन ।

(1ग) जहां उपधारा (1ख) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र, आवेदन को मंजूर करेगा ।]

(2) जहां कोई माल उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण किए जाते हैं और माल के अभिग्रहण से छह मास के अन्दर मास 124 के खण्ड (क) के अधीन उनकी बाबत कोई सूचना नहीं दी जाती है, वहां माल उस व्यक्ति को वापस किए जाएंगे जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर, [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] छह मास की पूर्वोक्त अवधि को छह मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकता है ।

(3) उचित अधिकारी ऐसी दस्तावेजों या वस्तुओं का अभिग्रहण कर सकता है जो, उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उपयोगी या सुसंगत होंगी ।

(4) वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में से उपधारा (3) के अधीन कोई दस्तावेज अभिगृहीत की जाती है, किसी सीमाशुल्क अधिकारी की उपस्थिति में उसकी प्रतिलिपि बनाने का या उससे उद्धरण लेने का हकदार होगा ।

[3][**110क. न्यायनिर्णयन के लंबित रहने के दौरान अभिगृहीत माल, दस्तावेजों और वस्तुओं की अनंतिम निर्मुक्ति**—[4][न्यायनिर्णायक प्राधिकारी] के आदेश के लंबित रहने के दौरान धारा 110 के अधीन अभिगृहीत किसी माल, दस्तावेजों या वस्तुओं को स्वामी को, उससे उचित प्ररूप में ऐसी प्रतिभूति और ऐसी शर्तों के साथ जिनकी [4][न्यायनिर्णायक प्राधिकारी] अपेक्षा करे, बंधपत्र लेकर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।]

---

[1] 1985 के अधिनियम सं० 80 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्याय 14

माल और प्रवहणों का अधिहरण और शास्तियों का अधिरोपण

111. अनुचित रूप से आयातित माल का अधिहरण, आदि—भारत से बाहर किसी स्थान से लाए गए निम्नलिखित माल अधिहरण के दायी होंगे :—

(क) समुद्र या वायु मार्ग द्वारा आयातित कोई माल जो धारा 7 के खण्ड (क) के अधीन ऐसे माल के उतारने के लिए नियत सीमाशुल्क पत्तन या सीमाशुल्क विमान पत्तन से भिन्न किसी स्थान पर उतारे जाते हैं या जिनके उतारने का प्रयास किया जाता है ;

(ख) कोई माल जिसका ऐसे माल के आयात के लिए धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मार्ग से भिन्न किसी मार्ग द्वारा भूमि या अन्तर्देशीय सागर खण्ड मार्ग द्वारा आयात किया जाता है ;

(ग) सीमाशुल्क पत्तन से भिन्न किसी स्थान पर उतारने के प्रयोजन के लिए किसी खाड़ी, अखात, संकरी खाड़ी या ज्वारीय नदी में लाए गए शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल ;

(घ) कोई माल जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल आयात किए जाने के प्रयोजन के लिए भारतीय सीमाशुल्क सागर खण्ड के अन्दर आयात किए जाते हैं या जिनके आयात का प्रयास किया जाता है या लाए जाते हैं ;

(ङ) किसी प्रवहण में किसी रीति में छिपाए हुए पाए गए कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल ;

(च) विनियमों के अधीन किसी आयात सूची या आयात रिपोर्ट में वर्णित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो इस प्रकार वर्णित नहीं है ;

(छ) अनवधानता से उतारे गए किन्तु धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन रखे गए अभिलेख में सम्मिलित किए गए माल से भिन्न कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो धारा 32 के उपबन्धों के उल्लंघन से किसी प्रवहण से उतारे जाते हैं ;

(ज) कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल धारा 33 या धारा 34 के उपबंधों के उल्लंघन में उतारे जाते हैं या जिनके उतारे जाने का प्रयास किया जाता है ;

(झ) कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो या तो उनके उतारे जाने के पहले या पश्चात् किसी पैकेज में किसी रीति में छिपाए हुए पाए जाते हैं ;

(ञ) कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा के निबन्धनों के प्रतिकूल किसी सीमाशुल्क क्षेत्र या भाण्डागार से हटाए जाते हैं या जिनके हटाए जाने का प्रयास किया जाता है ;

(ट) भूमि मार्ग द्वारा आयातित कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जिनकी बाबत धारा 109 के अधीन पेश किए जाने के लिए अपेक्षित, माल की निकासी अनुज्ञात करने वाला आदेश पेश नहीं किया जाता है या जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में उसमें दिए गए विनिर्देश के समान नहीं हैं ;

(ठ) कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में यात्री सामान की दशा में धारा 77 के अधीन की गई घोषणा में सम्मिलित नहीं है या जो सम्मिलित किए गए हैं उनसे अधिक है ;

(ड) [1][कोई माल जो मूल्य के बारे में या किसी अन्य विशिष्टि में,] इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि के या यात्री सामान की दशा में उसकी बाबत [2][धारा 77 के अधीन की गई घोषणा के समान नहीं है या यानान्तरण के अधीन माल की दशा में, धारा 54 की उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट यानान्तरण की घोषणा के समान नहीं हैं];

(ढ) कोई शुल्क्य या प्रतिषिद्ध माल जो अध्याय 8 के उपबन्धों के उल्लंघन में यानान्तरण करके या बिना यानान्तरण के अभिवहन किए जाते हैं या जिनका इस प्रकार अभिवहन करने का प्रयास किया जाता है ;

(ण) कोई माल जिन्हें किसी शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उनके आयात की बाबत शुल्क या किसी प्रतिषेध से छूट दी जाती है, और जिनकी बाबत उस शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, जब तक कि उस शर्त के अनुपालन के लिए उचित अधिकारी ने मंजूरी न दी हो ;

---

[1] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 108 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(त) कोई अधिसूचित माल जिसके संबंध में अध्याय 4क या उस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता है ।]

112. माल के अनुचित आयात के लिए शास्ति, आदि—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी माल के संबंध में, कोई ऐसा कार्य या लोप करेगा जो कार्य या लोप ऐसे माल को धारा 111 के अधीन अधिहरण का दायी बना दे, या ऐसे कार्य के करने या उसके लोप का दुष्प्रेरण करेगा ;

(ख) जो किसी ऐसे माल का जो वह जानता है या जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे धारा 111 के अधीन अधिहरण के दायी हैं, कब्जा प्राप्त करेगा या उनके वहन, हटाने, निक्षेप करने, संश्रय देने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने में किसी भी प्रकार संबंध रखेगा, या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करेगा—

(i) ऐसे माल की दशा में जिसकी बाबत इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिषेध प्रवृत्त है, ऐसी शास्ति का दायी होगा [2][जो ऐसे माल के मूल्य से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी,] इनमें से जो भी अधिक हो ;

[3][(ii) प्रतिषिद्ध माल से भिन्न ऐसे शुल्क्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो धारा 114क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे शुल्क के, जिसका अपवंचन किए जाने का प्रयास किया गया है, दस प्रतिशत से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी, इनमें से जो भी अधिक हो :

परंतु जहां धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसा शुल्क और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी ;

[4][(iii) ऐसे माल की दशा में जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में या यात्री सामान की दशा में, धारा 77 के अधीन की गई घोषणा में कथित मूल्य (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्, दोनों दशाओं में घोषित मूल्य कहा गया है) उसके मूल्य से अधिक है, ऐसी शास्ति का दायी होगा [1][जो उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से अनधिक होगी, या पांच हजार रुपए होगी] इनमें से जो भी अधिक हो ;

(iv) ऐसे माल की दशा में जो खंड (i) और (iii) के अंतर्गत आते हैं, ऐसी शास्ति का दायी होगा [1][जो माल के मूल्य से या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अन्तर से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी,] इनमें से जो भी सबसे अधिक हो ;

(v) ऐसे माल की दशा में जो खण्ड (ii) और (iii) के अन्तर्गत आते हैं, ऐसी शास्ति का दायी होगा [2][जो ऐसे माल पर उस शुल्क से अनधिक होगी, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से अधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी] इनमें से जो भी सबसे अधिक हो ।

113. अनुचित रूप से निर्यात किए जाने वाले माल का अधिहरण, आदि—निम्नलिखित निर्यातित माल अधिहरण के दायी होंगे :—

(क) कोई माल जिसका ऐसे माल को लादने के लिए नियत सीमाशुल्क पत्तन या सीमाशुल्क विमान पत्तन से भिन्न किसी स्थान से समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात किए जाने का प्रयास किया जाता है ;

(ख) कोई माल जिसका ऐसे माल के निर्यात के लिए धारा 7 के खंड (ग) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मार्ग से भिन्न किसी मार्ग द्वारा भूमि या अन्तर्देशीय सागर खण्ड मार्ग द्वारा निर्यात किए जाने का प्रयास किया जाता है ;

(ग) ऐसे माल को लादने के लिए नियत भूमि सीमाशुल्क स्टेशन या सीमाशुल्क पत्तन से भिन्न किसी स्थान से निर्यात किए जाने के प्रयोजन के लिए भारत के भूमि सीमान्त या तट के निकट या किसी खाड़ी, अखात, संकरी खाड़ी या ज्वारीय नदी के निकट लाए गए [5]*** माल ;

(घ) कोई माल जिसका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल निर्यात किए जाने का प्रयास किया जाता है या जो निर्यात किए जाने के प्रयोजन के लिए किसी सीमाशुल्क क्षेत्र सीमा के अन्दर लाया जाता है ;

[1] 1969 के अधिनियम सं० 12 की धारा 4 द्वारा (3-1-1969 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 107 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 83 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 116 द्वारा लोप किया गया ।

(ङ) किसी पैकेज में जो निर्यात किए जाने के प्रयोजन के लिए किसी सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमा के अन्दर लाया जाता है, छिपाया हुआ पाया गया [4]*** माल ;

(च) कोई [4]*** माल जो धारा 33 या धारा 34 के उपबन्धों के उल्लंघन में लादे जाते हैं या जिनके लादे जाने का प्रयास किया जाता है ;

(छ) कोई [1]*** माल जो किसी प्रवहण पर लादे जाते हैं या जिसके लादे जाने का प्रयास किया जाता है या जो किसी जलयान पर जिसका अन्तिम गन्तव्य स्थान भारत से बाहर कोई स्थान है, उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना लादे जाने के लिए, जल-संवाहित किए जाते हैं या जिनको जल-संवाहित करने का प्रयास किया जाता है ;

(ज) कोई [1]*** माल जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में या यात्री सामान की दशा में धारा 77 के अधीन की गई घोषणा में सम्मिलित नहीं है या जो सम्मिलित किए गए हैं उनसे अधिक है ;

[2][(झ) निर्यात के लिए प्रविष्ट कोई माल, जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि के मूल्य की बाबत या किसी तात्त्विक विशिष्टि में या यात्री सामान की दशा में धारा 77 के अधीन की गई घोषणा के समान नहीं है ;]

[3][(झझ) वापसी के दावे के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट माल जो इस अधिनियम के अधीन, निर्यातकर्ता या विनिर्माता द्वारा धारा 75 के अधीन वापसी की दर नियत करने के संबंध में दी गई किसी जानकारी के, किसी तात्त्विक विशिष्टि में समान नहीं है ;]

(ञ) कोई माल जिन पर आयात शुल्क का संदाय नहीं किया जाता है और जो धारा 74 के अधीन वापसी के दावे के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट किए जाते हैं ;

(ट) कोई माल जिनकी [1]*** निर्यात के लिए निकासी कर दी जाती है और जो निर्यातकर्ता उसके अभिकर्ता या नियोजिती के जानबूझकर किए गए कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण लादे नहीं जाते हैं, या जो निर्यात के लिए लादे जाने के पश्चात् उचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना उतारे जाते हैं ;

[4][(ठ) कोई विनिर्दिष्ट माल जिसके सम्बन्ध में अध्याय 4ख या उस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है ।]

114. अनुचित रूप से माल का निर्यात करने का प्रयास करने के लिए शास्ति, आदि—कोई व्यक्ति जो, किसी माल के संबंध में, कोई कार्य या लोप करता है जो कार्य या लोप ऐसे माल को धारा 113 के अधीन अधिहरण का दायी बना देगा या ऐसे कार्य के करने या लोप का दुष्प्रेरण करता है—

(i) ऐसे माल की दशा में जिसकी बाबत इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिषेध प्रवृत्त है, ऐसी शास्ति का दायी होगा [5][जो निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए माल के मूल्य के तीन गुणा से अनधिक या इस अधिनियम के अधीन यथा-अवधारित मूल्य की होगी] इनमें से जो भी अधिक हो ;

[6][(ii) प्रतिषिद्ध माल से भिन्न शुल्क्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो धारा 114क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे शुल्क के, जिसका अपवंचन करने का प्रयास किया गया है, दस प्रतिशत से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी, इनमें से जो भी अधिक हो :

परंतु जहां धारा 28 की उपधारा (8) के अधीन यथा अवधारित ऐसा शुल्क और धारा 28कक के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसे शुल्क का अवधारण करने वाले उचित अधिकारी के आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम इस प्रकार अवधारित शास्ति का पच्चीस प्रतिशत होगी ;]

[5][(iii) किसी अन्य माल की दशा में, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो निर्यातकर्ता द्वारा घोषित किए गए माल के मूल्य से अनधिक होगी या इस अधिनियम के अधीन अवधारित मूल्य की होगी, इनमें से जो भी अधिक हो ।]

[7][**114क. कतिपय दशाओं में शुल्क के कम उद्ग्रहण या उद्ग्रहण न किए जाने के लिए शास्ति**—जहां दुस्संधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों का छिपाने के कारण शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है अथवा ब्याज प्रभारित या संदत्त नहीं किया गया है या भागत: संदत्त किया गया है अथवा शुल्क या ब्याज का भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 116 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 116 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 120 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1969 के अधिनियम सं० 12 की धारा 5 द्वारा (3-1-1969 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 20 की धारा 84 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 64 द्वारा (28-9-1996 से) अंत:स्थापित ।

व्यक्ति जो [1][धारा 28 की उपधारा (8)] के अधीन अवधारित, यथास्थिति, शुल्क या ब्याज का संदाय करने के लिए दायी है, इस प्रकार अवधारित शुल्क या ब्याज के बराबर शास्ति का संदाय करने के लिए भी दायी होगा :

[2][परंतु जहां [8][धारा 28 की उपधारा (8)] के अधीन यथा अवधारित, यथास्थिति, ऐसे शुल्क या ब्याज का और [8][धारा 28कक] के अधीन उस पर संदेय ब्याज का संदाय ऐसे शुल्क को अवधारित करने वाले समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है, वहां इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, इस प्रकार अवधारित, यथास्थिति, शुल्क या ब्याज के पच्चीस प्रतिशत होगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन घटाई गई शास्ति का फायदा इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध होगा कि इस प्रकार अवधारित शास्ति की रकम भी उस परंतुक में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त कर दी गई है :

परंतु यह भी कि जहां संदेय रूप में अवधारित शुल्क या ब्याज, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा घटा या बढ़ा दिया जाता है वहां, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, इस प्रकार घटाए या बढ़ाए गए शुल्क या ब्याज को भी हिसाब में लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसे मामले में, जिसमें संदेय रूप में अवधारित शुल्क या ब्याज की, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा वृद्धि की जाती है, वहां पहले परंतुक के अधीन कम की गई शास्ति का फायदा उस दशा में उपलब्ध होगा जब इस प्रकार बढ़ाए गए शुल्क या ब्याज की रकम, [3][धारा 28कक] के अधीन उस पर संदेय ब्याज सहित, और शास्ति में पारिणामिक वृद्धि का पच्चीस प्रतिशत उस आदेश की, जिसके द्वारा शुल्क या ब्याज में ऐसी वृद्धि प्रभावी हुई, संसूचना के तीस दिन के भीतर संदत्त कर दिया गया है :

परंतु यह भी कि जहां कोई शास्ति इस धारा के अधीन उद्‌गृहीत की गई है वहां धारा 112 या धारा 114 के अधीन कोई शास्ति उद्‌गृहीत नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि—

(i) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों को भी लागू होंगे जिनमें [1][धारा 28 की उपधारा (8)] के अधीन शुल्क या ब्याज अवधारित करने वाला आदेश उन सूचनाओं से संबंधित है, जो उस तारीख से पूर्व जारी की गई हैं, जिसको वित्त अधिनियम, 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है;

(ii) पहले परंतुक या चौथे परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की संसूचना की तारीख के पूर्व केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में संदत्त कोई रकम ऐसे व्यक्ति से शोध्य कुल रकम मद्धे समायोजित की जाएगी ।]

[4][**114कक. मिथ्या और गलत सामग्री के उपयोग के लिए शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी कारबार के संव्यवहार में जानते हुए या आशय से किसी ऐसी घोषणा, कथन या दस्तावेज पर, जो मिथ्या है या किसी विशिष्ट सामग्री के संबंध में त्रुटिपूर्ण है, हस्ताक्षर करता है या उनका उपयोग करता है अथवा उन पर हस्ताक्षर कराता है या उनका उपयोग कराता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो माल के मूल्य के पांच गुना से अनधिक होगी ।] ।

115. प्रवहणों का अधिहरण—(1) निम्नलिखित प्रवहण अधिहरण के दायी होंगे—

(क) कोई जलयान जो भारतीय सीमाशुल्क सागर खण्ड के अन्दर है या रहा है, कोई वायुयान जो भारत में है या रहा है, या कोई यान जो किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में है या रहा है, जो किसी भी रीति से माल को छिपाने के प्रयोजनों के लिए सन्निर्मित, अनुकूलित, परिवर्तित या फिट किया गया है ;

(ख) कोई प्रवहण जिससे कोई माल या उसका भाग सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा अभिग्रहण को रोकने के लिए, बाहर फैंका या निकाल दिया जाता है, या तोड़ या नष्ट कर दिया जाता है ;

(ग) कोई प्रवहण जो धारा 106 के अधीन रुकने या उतरने की अपेक्षा किए जाने पर उचित और पर्याप्त कारण के बिना ऐसा नहीं करता है ;

(घ) कोई प्रवहण जिससे निर्यात के लिए निकासी किए गए भाण्डागारित माल, या वापसी के दावे के अधीन निर्यात के लिए निकासी किए गए कोई अन्य माल उचित अधिकारी की सूचना के बिना उतारे जाते हैं ;

(ङ) आयातित माल को वहन करने वाला कोई प्रवहण जिसने भारत में प्रवेश किया है और बाद में यह पाया जाता है कि ऐसा सम्पूर्ण माल या उसका पर्याप्त भाग गुम हो गया है जब तक कि जलयान या वायुयान का मास्टर माल के गुम होने या माल के कम होने का लेखा-जोखा देने में समर्थ नहीं है ।

---

[1] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 85 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 27 अन्त:स्थापित ।

(2) कोई प्रवहण या जीव-जन्तु जो माल की तस्करी में परिवहन के साधनों के रूप में या तस्करित माल के वहन के लिए उपयोग किया जाता है अधिहरण का दायी होगा, जब तक कि प्रवहण या जीव-जन्तु का स्वामी यह साबित न कर दे कि वह स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रवहण या जीव-जन्तु के भारसाधक व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना इस प्रकार उपयोग किया गया था [1]*** :

परन्तु जहां ऐसा कोई प्रवहण भाड़े के लिए माल या यात्रियों के वहन के लिए उपयोग किया जाता है वहां ऐसे प्रवहण के स्वामी को प्रवहण के अधिहरण के बदले में यह विकल्प दिया जाएगा कि वह, यथास्थिति, जिस माल की तस्करी की जानी थी या तस्करित माल की बाजार कीमत से अनधिक जुर्माने का संदाय करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "बाजार-कीमत" से उस तारीख की बाजार कीमत अभिप्रेत है जब माल का अभिग्रहण किया जाता है।

116. माल का लेखा-जोखा न देने के लिए शास्ति—यदि भारत में आयात के लिए किसी प्रवहण में लादे गए कोई माल, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यानान्तरित कोई माल या किसी प्रवहण में वहन किए गए तटीय माल, भारत में उनके गन्तव्य स्थान पर उतारे नहीं जाते हैं, या जो परिमाण उतारा जाता है वह उस गन्तव्य स्थान पर उतारे जाने वाले परिमाण से कम है, और न उतारने का या माल की कमी का [2][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] के समाधानपर्यन्त कोई लेखा-जोखा नहीं दिया जाता है तो प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित का दायी होगा :—

(क) भारत में आयात के लिए किसी प्रवहण में लादे गए माल की दशा में या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यानान्तरित माल की दशा में, यथास्थिति, न उतारे गए माल पर या जो माल कम हैं उन पर यदि ऐसे माल आयात किए जाते तो उन पर प्रभार्य होने वाले शुल्क की रकम के दुगुने से अनधिक शास्ति ;

(ख) तटीय माल की दशा में, यथास्थिति, न उतारे गए माल पर या जो माल कम हैं उन पर यदि ऐसे माल निर्यात किए जाते तो उन पर प्रभार्य होने वाले निर्यात शुल्क की रकम के दुगुने से अनधिक शास्ति।

117. उल्लंघन आदि के लिए शास्ति जो अभिव्यक्तत: उल्लिखित नहीं है—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था, जहां ऐसे उल्लंघन या असमर्थता के लिए अन्यत्र कोई अभिव्यक्त शास्ति उपबन्धित नहीं है वहां [3][एक लाख रुपए] से अनधिक शास्ति का दायी होगा।

118. पैकेज और उनकी अन्तर्वस्तुओं का अधिहरण—(क) जहां किसी पैकेज में आयातित कोई माल अधिहरण के दायी हैं, वहां वह पैकेज और उस पैकेज में आयातित अन्य माल भी अधिहरण के दायी होंगे।

(ख) जहां कोई माल सीमाशुल्क क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर निर्यात के प्रयोजन के लिए किसी पैकेज में लाए जाते हैं और अधिहरण के दायी हैं, वहां वह पैकेज और उसमें अन्तर्विष्ट कोई अन्य माल भी अधिहरण के दायी होंगे।

119. तस्करित माल को छिपाने के लिए उपयोग में लाए गए माल का अधिहरण—कोई माल जो तस्करित माल को छिपाने के लिए उपभोग में लाए जाते हैं, अधिहरण के दायी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "माल" के अन्तर्गत परिवहन के साधनों के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रवहण नहीं हैं।

120. आकृति में परिवर्तन के होते हुए भी तस्करित माल का अधिहरण, आदि—(1) तस्करित माल का उनकी आकृति में परिवर्तन न होते हुए भी अधिहरण किया जा सकता है।

(2) जहां तस्करित माल किसी अन्य माल के साथ इस प्रकार से मिश्रित कर दिए जाते हैं कि तस्करित माल अन्य माल से पृथक् नहीं किए जा सकते हैं, वहां सम्पूर्ण माल अधिहरण के दायी होंगे :

परन्तु जहां ऐसे माल का स्वामी यह साबित कर देता है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी या विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि उनमें तस्करित माल सम्मिलित हैं, वहां माल का केवल ऐसा भाग जिसका मूल्य तस्करित माल के मूल्य के बराबर है, अधिहरण का दायी होगा।

121. तस्करित माल के विक्रय आगम का अधिहरण—जहां कोई तस्करित माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय किए जाते हैं जिसे यह जानकारी है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे तस्करित माल हैं, वहां उनका विक्रय आगम अधिहरण का दायी होगा।

122. अधिहरण और शास्तियों का न्यायनिर्णयन—इस अध्याय के अधीन प्रत्येक दशा में जिसमें कोई वस्तु अधिहरण की दायी है या कोई व्यक्ति शास्ति का दायी है, ऐसा अधिहरण या शास्ति,—

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 79 द्वारा लोप किया गया।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 127 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) [1][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] या [2][सीमाशुल्क उप-आयुक्त] द्वारा बिना किसी सीमा के न्यायनिर्णीत की जा सकती है ;

[3][(ख) जहां अधिहरण के लिए दायी माल का मूल्य [4][पांच लाख] रुपए से अधिक नहीं है, वहां [5][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] द्वारा न्यायनिर्णीत की जा सकती है ;

(ग) जहां अधिहरण के लिए दायी माल का मूल्य [2][पचास हजार] रुपए से अधिक नहीं है, वहां [3][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] से निम्न पंक्ति के सीमाशुल्क के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णीत की जा सकती है ।]

[6][**122क. न्यायनिर्णयन प्रक्रिया**—(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस अध्याय या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी कार्यवाही में कार्यवाही के किसी पक्षकार को, यदि पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो सुनवाई का अवसर देगा ।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, पक्षकारों को या उनमें से किसी को, समय-समय पर, समय मंजूर कर सकेगा और सुनवाई को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन, किसी पक्षकार को कार्यवाही के दौरान तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।]

123. कुछ दशाओं में सबूत का भार—[7][(1) जहां कोई माल जिनको यह धारा लागू होती है इस अधिनियम के अधीन इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर अभिगृहीत किए जाते हैं कि वे तस्करित माल हैं, वहां यह साबित करने का भार कि वे तस्करित माल नहीं हैं,—

(क) ऐसी दशा में जिसमें ऐसा अभिग्रहण किसी व्यक्ति के कब्जे से किया जाता हैं—

(i) उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से माल अभिगृहीत किए जाते है ; और

(ii) यदि उस व्यक्ति से, जिसके कब्जे से ऐसे माल अभिगृहीत किए जाते हैं, भिन्न कोई अन्य व्यक्ति उनका स्वामी होने का दावा करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी होगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में, उस व्यक्ति पर होगा, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत माल का स्वामी होने का दावा करता है ।]

(2) यह धारा सोने, [8][और उनकी निर्मितियों], घड़ियों और किसी अन्य वर्ग के ऐसे माल को लागू होती है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

124. माल के अधिहरण के पहले हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का जारी किया जाना, आदि—इस अध्याय के अधीन किसी माल का अधिहरण करने वाला या किसी व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि माल के स्वामी या ऐसे व्यक्ति को—

(क) उसको उन [9][[10][किसी सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] के, शुल्क अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, पूर्वानुमोदन से आधारों की लिखित जानकारी देते हुए] जिन पर माल को अधिहरण करने की या शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, सूचना न दे दी जाए ;

(ख) उसमें उल्लिखित अधिहरण या शास्ति अधिरोपित करने के आधार के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के अन्दर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया जाए ; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए :

परन्तु खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूचना खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन सम्पृक्त व्यक्ति के अनुरोध पर मौखिक हो सकता है ।

125. अधिहरण के बदले शास्ति का संदाय करने का विकल्प—(1) जब भी इस अधिनियम के अधीन किसी माल का अधिहरण प्राधिकृत किया जाता है, तब उसको न्यायनिर्णीत करने वाला अधिकारी, किसी ऐसे माल की दशा में, जिनका आयात या निर्यात इस

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क उप-कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1978 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा (1-7-1978 से) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 127 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 4 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1989 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है माल के स्वामी को [1][या जहां ऐसा स्वामी ज्ञात नहीं है वहां उस व्यक्ति को जिसके कब्जे या अभिरक्षा से ऐसे माल को अभिगृहीत किया गया है,] अधिहरण के बदले में ऐसे जुर्माने का संदाय करने का, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, विकल्प दे सकता है और किन्हीं अन्य माल की दशा में उसको ऐसा विकल्प देगा :

परन्तु धारा 115 की उपधारा (2) के परन्तुक के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिहरण किए गए माल की बाजार कीमत में से आयातित माल की दशा में उन पर प्रभार्य शुल्क घटाकर जो रकम आए उससे जुर्माना अधिक नहीं होगा ।

[2][(2) जहां माल के अधिहरण के बदले में उपधारा (1) के अधीन कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है वहां ऐसे माल का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उसके अतिरिक्त, ऐसे माल की बाबत संदेय किसी शुल्क और प्रभार के लिए दायी होगा ।]

126. अधिहरण होने पर सम्पत्ति का केन्द्रीय सरकार में निहित होना—(1) जब माल इस अधिनियम के अधीन अधिहरण किए जाते हैं तब ऐसे माल केन्द्रीय सरकार में निहित होंगे ।

(2) अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाला अधिकारी अधिहरण किए गए माल का कब्जा लेगा और उसे धारण करेगा ।

127. सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा अधिहरण या शास्ति के अधिनिर्णय से अन्य दण्ड पर प्रभाव न पड़ना—किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिहरण या शास्ति का अधिनिर्णय किसी दण्ड के दिए जाने को नहीं रोकेगा जिनका तद्द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अध्याय 16 के उपबन्धों के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन भागी है ।

[3][**अध्याय 14क**

मामलों का समझौता

127क. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "न्यायपीठ" से समझौता आयोग का न्यायपीठ अभिप्रेत है ;

[4][(ख) "मामला" से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण के लिए ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 127ख की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो :

परंतु जब किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही को, [5]*** यथास्थिति, नए सिरे से न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है, तब उस कार्यवाही को इस खण्ड के अर्थान्तर्गत लंबित कार्यवाही नहीं समझा जाएगा ;]

(ग) "अध्यक्ष" से समझौता आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "आयुक्त (अन्वेषण)" से इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जांच या अन्वेषण करने के लिए ऐसे आयुक्त के रूप में नियुक्त सीमाशुल्क अधिकारी या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से समझौता आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं ;

(च) "समझौता आयोग" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 32 के अधीन गठित [6][सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग] अभिप्रेत है ; और

(छ) "उपाध्यक्ष" से समझौता आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

127ख. मामलों के समझौते के लिए आवेदन—[7][(1) कोई आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) अपने से संबंधित किसी मामले की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मामले में समझौता कराने के लिए समझौता आयोग को न्यायनिर्णयन से पूर्व आवेदन कर सकेगा, जिसमें उसके शुल्क दायित्व का, जो उसने समुचित अधिकारी के समक्ष, प्रकट नहीं किया है, पूरा और सच्चा प्रकटीकरण, ऐसी रीति, जिसमें ऐसा दायित्व उपगत हुआ है, उसके द्वारा संदेय रूप में स्वीकृत सीमाशुल्क की अतिरिक्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतर्विष्ट हों, जिसके अंतर्गत ऐसे शुल्क्य माल की विशिष्टियां भी हैं, जिसकी बाबत उसने माल के गलत वर्गीकरण, अवमूल्यांकन या छूट संबंधी अधिसूचना के लागू न होने के कारण [5][या अन्यथा कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है,] और ऐसे किसी आवेदन का निपटारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में किया जाएगा :

---

[1] 1985 के अधिनियम सं० 80 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1985 के अधिनियम सं० 80 की धारा 9 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 102 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 100 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 85 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 101 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा जब—

[1][(क) आवेदक ने, यथास्थिति, डाक या कुरियर के माध्यम से आयातित या निर्यातित माल की बाबत प्रवेश पत्र या पोत पत्र या निर्यात पत्र फाइल किया है या यात्री सामान की घोषणा की है या उस पर लेबल लगाया है अथवा घोषणा की है और ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा उसे हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर दी गई है ;]

(ख) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकृत शुल्क की अतिरिक्त रकम तीन लाख रुपए से अधिक है ; और

(ग) आवेदक ने अपने द्वारा स्वीकृत शुल्क की अतिरिक्त रकम का धारा [2][28कक] के अधीन देय ब्याज के साथ संदाय कर दिया है :

परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे मामलों में कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा जो अपील अधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित है :

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ऐसे माल की बाबत, जिसे धारा 123 लागू होती है या ऐसे माल की बाबत नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन कोई अपराध किया गया है :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन माल के वर्गीकरण के निर्वचन के लिए नहीं किया जाएगा ।

[3]* * * * *

(2) जहां कोई शुल्क्य माल, लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या ऐसे माल के कोई विक्रय आगम धारा 110 के अधीन अभिगृहीत किए गए हैं वहां आवेदक अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के पूर्व उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आवेदन आवेदक द्वारा वापस लिए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

[4][(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आवेदक से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति भी समझौता आयोग को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, आवेदक से संबंधित किसी ऐसे मामले में उसे जारी ऐसी कारण बताओ सूचना के संबंध में, जिसका समाधान हो गया है या जो समझौता आयोग के समक्ष लंबित है और ऐसी सूचना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, आवेदन कर सकेगा ।]

[5][**127ग. धारा 127ख के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया**—(1) धारा 127ख के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, आवेदक को इस बारे में लिखित में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने पश्चात् समझौता आयोग, सूचना की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा आवेदन को, यथास्थिति, कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा या नामंजूर कर देगा और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का नामंजूरी की तारीख से उपशमन हो जाएगा :

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां आवेदन को कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश की एक-एक प्रति आवेदक को और अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(3) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है या अनुज्ञात किया गया समझा जाता है, वहां समझौता आयोग उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर, अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा :

परंतु जहां आयुक्त तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है, वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले में आगे कार्यवाही करेगा ।

---

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 58 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 58 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 85 द्वारा लोप किया गया ।

[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 106 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[5] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 102 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात् यदि उसकी यह राय है कि मामले में आगे कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है तो आयुक्त (अन्वेषण) को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने का और समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा :

परंतु जहां आयुक्त (अन्वेषण) पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना उपधारा (5) के अधीन पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(5) समझौता आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्राप्त अभिलेखों और सीमाशुल्क आयुक्त की रिपोर्ट और उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को तथा उस पर अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त को, स्वयं या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जो उसके समक्ष रखा जाए या उसके द्वारा अभिप्राप्त किया जाए, परीक्षा करने के पश्चात्, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आता है, किन्तु उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त और आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

[1][(5क) समझौता आयोग, उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी भी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली किसी गलती का परिशोधन के लिए, स्वप्रेरणा से या अधिकारिता रखने वाला सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त या आवेदक द्वारा ऐसी गलती को उसकी जानकारी में लाए जाने पर, ऐसे आदेश का संशोधन कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई संशोधन, जिसका प्रभाव आवेदक के दायित्व में अभिवृद्धि करने वाला है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि समाधान आयोग द्वारा, आवेदक और, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाला सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसे आशय की सूचना न दे दी गई हो और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया हो ।]

[2]* * * * *

(7) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 32क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समझौता आयोग के समक्ष अभिलेख पर लाई गई सामग्रियों पर संबंधित न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व विचार किया जाएगा और ऐसे आदेश को पारित करने के संबंध में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32घ के उपबंध लागू होंगे ।

(8) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश में, समझौते के निबंधन उपबंधित होंगे, जिनके अंतर्गत शुल्क, शास्ति या ब्याज के रूप में कोई मांग, वह रीति, जिसमें समझौते के अधीन देय कोई राशि संदत्त की जाएगी और समझौते को प्रभावी करने के लिए अन्य सभी बातें होंगी और नामंजूरी की दशा में, उसके लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और उसमें यह भी उपबंध होगा कि समझौता उस दशा में, शून्य हो जाएगा, जिसमें समझौता आयोग द्वारा बाद में यह पाया जाता है कि उसे कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है :

परंतु समझौता आयोग द्वारा आदेश की गई समझौते की रकम धारा 127ख के अधीन आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए शुल्क दायित्व से कम नहीं होगी ।

(9) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, आवेदक द्वारा संदेय किसी शुल्क, ब्याज जुर्माने और शास्ति का, उसके द्वारा आदेश की प्रति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है, वहां ऐसी राशि, जो असंदत्त रह गई है, उस पर देय ब्याज के साथ, धारा 142 के उपबंधों के अनुसार आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले समुचित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय राशियों के रूप में वसूल की जाएगी ।

(10) जहां कोई समझौता उपधारा (8) के अधीन उपबंधित रूप में शून्य हो जाता है, वहां समझौते के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कार्यवाहियां उस प्रक्रम से पुन: आरंभ हुई समझी जाएंगी, जिस पर आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए समझौता आयोग द्वारा अनुज्ञात किया गया था और अधिकारिता रखने वाला समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियों को इस संसूचना की प्राप्ति की तारीख से कि समझौता शून्य हो गया है, दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पूरा कर सकेगा ।]

127घ. राजस्व का संरक्षण करने के लिए अनन्तिम कुर्की का आदेश करने की समझौता आयोग की शक्ति—(1) जहां समझौता आयोग की, अपने समक्ष लंबित किसी कार्यवाही के दौरान, यह राय है कि राजस्व के हितों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है वहां, वह आदेश द्वारा, आवेदक की किसी संपत्ति को उस रीति से, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा ।

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 107 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 85 द्वारा लोप किया गया ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनंतिम कुर्की, उस तारीख से जब केंद्रीय सरकार को देय राशियां, जिनके लिए ऐसी कुर्की की गई है, आवेदक द्वारा चुका दी जाती है और उस प्रभाव का आशय आयोग को दे दिया जाता है, प्रभावहीन हो जाएगी।

[1]* * * * *

127च. समझौता आयोग की शक्ति और प्रक्रिया—(1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अध्याय 5 के अधीन समझौता आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, उसे वे सभी शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सीमाशुल्क के किसी अधिकारी में निहित हैं।

(2) जहां धारा 127ख के अधीन किए गए किसी आवेदन पर कार्यवाही का किया जाना धारा 127ग के अधीन अनुज्ञात किया गया है वहां समझौता आयोग को उक्त मामले के संबंध में, धारा 127ग की उपधारा [2][(5)] के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने तक, उस धारा की उपधारा [2][(4)] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, इस अधिनियम या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन सीमाशुल्क अधिकारी या उत्पाद-शुल्क अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने की अनन्य अधिकारिता होगी।

(3) इस अध्याय की कोई बात, समझैता आयोग द्वारा इसके प्रतिकूल किसी अभिव्यक्त निदेश के न होने पर इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन को वहां तक प्रभावित नहीं करेगी जहां तक उनका संबंध समझौता आयोग के समक्ष किन्हीं मामलों से भिन्न मामलों से है।

(4) समझौता आयोग को, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अध्याय 5 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया और न्यायपीठों की प्रक्रिया का जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठकें करेंगे, उन सभी मामलों में विनियमन करने की शक्ति होगी जो उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होते हैं।

127छ. रिपोर्टों का निरीक्षण, आदि—कोई भी व्यक्ति सीमाशुल्क के किसी अधिकारी द्वारा समझौता आयोग को दी गई किसी रिपोर्ट का निरीक्षण करने का या उसकी प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा किंतु समझौता आयोग, स्वविवेकानुसार, उसे किए गए आवेदन और नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर उसकी प्रतियां किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकेगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका मामला विचाराधीन है, किसी ऐसी रिपोर्ट में उसके विरुद्ध अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का खंडन करने में समर्थ बनाने के लिए, समझौता आयोग, इस निमित्त ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर और नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर, उसे ऐसी रिपोर्ट की या इस प्रयोजन के लिए सुसंगत उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति देगा।

127ज. अभियोजन और शास्ति से उन्मुक्ति देने की समझौता आयोग की शक्ति—(1) यदि समझौता आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने धारा 127ख के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है, समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में आयोग का सहयोग किया है और अपने शुल्क दायित्व का पूरा और सही प्रकटन किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, समझौता के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में इस अधिनियम के अधीन [2][किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति और जुर्माने के अधिरोपण से भी पूर्णत: या भागत: उन्मुक्ति दे सकेगा :]

परंतु समझौता आयोग उन मामलों में ऐसी उन्मुक्ति नहीं देगा जहां धारा 127ख के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीखों से पूर्व किसी ऐसे अपराध के अभियोजन के लिए कार्यवाहियां संस्थित कर दी गई हैं।

[3]* * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस हो जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति [2][धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर] या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो समझौता आयोग अनुज्ञात करे, संदाय करने में असफल रहता है अथवा ऐसी किसी अन्य शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है जिसके अधीन उन्मुक्ति दी गई थी और तब इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति नहीं दी गई हो।

(3) यदि समझौता आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने समझौते की कार्यवाहियों के दौरान समझौते के लिए महत्वपूर्ण विशिष्टियों, या सामग्रियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था तो उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति समझौता आयोग द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी और तब ऐसे व्यक्ति का उस अपराध के लिए जिसके संबंध में उन्मुक्ति दी गई थी या किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए जिसका वह समझौते के संबंध में दोषी प्रतीत होता है विचारण किया जा

---

[1] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 85 द्वारा लोप किया गया।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 104 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 85 द्वारा लोप किया गया।

सकता है और वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति के अधिरोपण का भी भागी होगा जिसका वह व्यक्ति भागी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति नहीं दी गई होती ।

127झ. मामले को उचित अधिकारी को वापस भेजने की समझौता आयोग की शक्ति—(1) यदि समझौता आयोग की यह राय है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने धारा 127ख के अधीन समझौता के लिए आवेदन किया है, समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में आयोग का सहयोग नहीं किया है तो वह मामले को उचित अधिकारी को वापस भेज सकेगा और तब वह उसका निपटारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे करेगा मानो धारा 127ख के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उचित अधिकारी निर्धारिती द्वारा समझौता आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई सभी सामग्री और अन्य जानकारी का अथवा समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में से की गई जांच के परिणामों का या अभिलिखित साक्ष्य का उपयोग करने का हकदार होगा मानो ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच और साक्ष्य उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो या उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसने जांच की हो या साक्ष्य अभिलिखित किया हो ।

(3) धारा 28 के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और धारा 28कक के अधीन ब्याज के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामले में, धारा 127ख के अधीन समझौता आयोग को किए गए आवेदन की तारीख को या उससे प्रारंभ होने वाली और सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा समझौता आयोग के सीमाशुल्क अधिकारी को मामला वापस भेजने के आदेश की प्राप्ति की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

127ञ. समझौता आदेश का निश्चायक होना—धारा 127ग की उपधारा [1][(5)] के अधीन पारित प्रत्येक समझौता आदेश, उसमें कथित विषयों के बारे में निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर, इस अध्याय में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही में नए सिरे से विचार नहीं किया जाएगा ।

127ट. समझौता आदेश के अधीन शोध्य राशि की वसूली—धारा 127ग की उपधारा [1][(5)] के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट कोई राशि ऐसी शर्तों के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए वसूल की जा सकेगी तथा ऐसी राशि के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कोई शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी और उसकी वसूली धारा 142 के उपबंधों के अनुसार आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले उचित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय राशि के रूप में की जा सकेगी ।

127ठ. कतिपय मामलों में समझौते के लिए पश्चात्‌वर्ती आवेदन का वर्जन—[2][(1)] जहां [3]***—

(i) [4]*** समझौता आदेश में, धारा 127ख के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर शास्ति के इस आधार पर अधिरोपण के लिए उपबंध किया जाता है कि उसने अपने शुल्क दायित्व की विशिष्टियों को छिपाया है ; या

[5][**स्पष्टीकरण**—इस खंड में, शुल्क दायित्व की विशिष्टियों के छिपाए जाने का संबंध, सीमाशुल्क अधिकारी से ऐसे किसी छिपाए जाने से है ;]

(ii) किसी मामले के संबंध में [4]*** समझौता आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति का मामला समझौता आयोग द्वारा धारा 127झ के अधीन उचित अधिकारी को वापस भेजा जाता है,

वहां ऐसा व्यक्ति किसी अन्य मामले के संबंध में धारा 127ख के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

[6]* * * * *

127ड. समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना—समझौता आयोग के समक्ष इस अध्याय के अधीन कोई भी कार्यवाही दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

[7]* * * * *

127ढ. उत्पाद-शुल्क अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अध्याय 5 के उपबंध, जहां तक वे इस अध्याय के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इस अध्याय के अधीन समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में लागू होंगे ।

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 104 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 108 द्वारा (11-5-2007 से) पुन:संख्यांकित ।

[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 59 द्वारा लोप किया गया ।

[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 90 द्वारा लोप किया गया ।

[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 85 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 59 द्वारा (8-5-2010 से) लोप किया गया ।

[7] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 109 द्वारा (1-6-2007 से) धारा 127डक का लोप किया गया

[1][अध्याय 15

अपील

128. [2][**आयुक्त (अपील) को अपीलें**—(1) कोई व्यक्ति जो [3][सीमाशुल्क आयुक्त] से निम्न पंक्ति के किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय या आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से [4][साठ दिन के भीतर] [2][आयुक्त (अपील)] को अपील कर सकेगा :

[4][परंतु यदि आयुक्त (अपील), का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से निवारित किया गया था तो, वह उसे तीस दिन की और अवधि के भीतर पेश किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।]

[5][(1क) आयुक्त (अपील), किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है, तो पक्षकारों को या उनमें से किसी को, समय-समय पर, समय मंजूर कर सकेगा और अपील की सुनवाई को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन, अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।]

(2) इस धारा के अधीन हर अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

128क. अपील में प्रक्रियां—(1) [2][आयुक्त (अपील)], अपीलार्थी को, यदि वह ऐसी वांछा करे तो सुनवाई का अवसर देगा ।

(2) [2][आयुक्त (अपील)] अपील की सुनवाई में, अपीलार्थी को अपील के किसी ऐसे आधार पर जो अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं है, चर्चा करने की अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा जिसमें [2][आयुक्त (अपील)] का समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों में से उस आधार का लोप जानबूझकर नहीं किया गया था या अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(3) [6][आयुक्त (अपील), ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह न्यायसंगत और उचित समझे :]

परन्तु अधिहरण के बदले में किसी शास्ति या जुर्माने में वृद्धि करने वाला या अधिक मूल्य के माल का अधिहरण करने वाला या प्रतिदाय की रकम को कम करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुकत अवसर नहीं दे दिया जाता है :

परन्तु यह और भी कि जहां [2][आयुक्त (अपील)] की यह राय है कि कोई शुल्क उद्‌गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्‌गृहीत किया गया है या भूल से प्रतिदाय कर दिया गया है वहां अनुद्‌गृहीत या कम उद्‌गृहीत या भूल से प्रतिदाय किए गए शुल्क का संदाय करने की अपीलार्थी से अपेक्षा करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना धारा 28 में विनिर्दिष्ट समय की परिसीमा के अन्दर नहीं दे दी जाती ।

(4) [2][आयुक्त (अपील)] का अपील निपटाने वाला आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें अवधारण के लिए प्रश्न उन पर किए विनिश्चय और विनिश्चय के कारण कथित होंगे ।

[7][(4क) आयुक्त (अपील), जहां ऐसा करना संभव है वहां, प्रत्येक अपील की, उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा ।]

(5) अपील के निपटाए जाने पर [2][आयुक्त (अपील)] अपने द्वारा दिया गया आदेश अपीलार्थी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी [8][सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमा मुख्य आयुक्त] और [8][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] को संसूचित करेगा ।

129. अपील अधिकरण—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम द्वारा अपील अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इतने न्यायिक और तकनीकी सदस्यों का जितने वह ठीक समझती है, एक अपील अधिकरण गठित करेगी जिसे सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और [9][सेवा कर] अपील अधिकरण कहा जाएगा ।

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 50 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (11-10-1982 से) अध्याय 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "कलक्टर (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 109 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं० 68 की धारा 68 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 110 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 110 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 119 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है या जो [2][भारतीय विधि सेवा] का सदस्य रह चुका है और जिसने उक्त सेवा की श्रेणी 1 का पद या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया है या जो कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ;

(ii) अभिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अभिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ।

(2क) तकनीकी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतीय उत्पाद-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा, ग्रुप क का सदस्य रहा चुका है और जिसने [3][सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त] या उसके समतुल्य या उच्चतर पद तीन वर्ष तक धारण किया है ।]

[4][(3) केंद्रीय सरकार,—

(क) ऐसे व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, या

(ख) अपील अधिकरण के किसी सदस्य को,

उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।]

(4) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को, यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उसके उपाध्यक्षों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

[5]* * * * *

(5) [2][कोई उपाध्यक्ष] अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

[6][(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, पद पर न रहने पर, अपील अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के हकदार नहीं होंगे ।]

[7][(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना, और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा :

परंतु वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा, मानो वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त नहीं हुए थे ।]

129क. अपील अधिकरण को अपीलें—(1) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित आदेशों में से किसी से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा—

(क) [8][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में दिया गया विनिश्चय या आदेश ;

(ख) धारा 128क के अधीन [9][आयुक्त (अपील)] द्वारा दिया गया आदेश ;

(ग) धारा 128 के अधीन जैसी वह नियत दिन के ठीक पहले थी, बोर्ड या [3][सीमाशुल्क (अपील) आयुक्त] द्वारा दिया गया आदेश ;

---

[1] 1950 के अधिनियम सं० 21 की धारा 39 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 119 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 65 द्वारा (28-9-1996 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 119 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 110 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 175 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "कलक्टर (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) नियत दिन के पहले या पश्चात् धारा 130 के अधीन, जैसी वह उस दिन के ठीक पहले थी, बोर्ड या [1][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमशुल्क आयुक्त] द्वारा दिया गया आदेश :

[2][परन्तु खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी आदेश की बाबत अपील अधिकरण को कोई अपील नहीं हो सकेगी और अपील अधिकरण को ऐसी अपील के विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं होगी यदि ऐसा आदेश,—

(क) यात्री सामान के रूप में आयात या निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में है ;

(ख) भारत में आयात के लिए किसी प्रवहण में लादे गए किसी माल के संबंध में है जो भारत में उनके गन्तव्य स्थान पर उतारे नहीं जाते हैं या यदि गन्तव्य स्थान पर जो माल उतारा जाता है वह उस गन्तव्य स्थान पर उतारे जाने के लिए अपेक्षित परिमाण से कम है तो, ऐसे माल के उतने परिमाण के संबंध में है जो ऐसे गन्तव्य स्थान पर उतारा नहीं जाता है ;

(ग) अध्याय 10 में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित वापसी के संदाय के संबंध में है :

परन्तु यह और कि] अपील अधिकरण स्वविवेकानुसार खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट आदेश की बाबत अपील ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा, जहां—

(i) धारा 125 के अधीन अधिहरण के बदले में जुर्माना देने का विकल्प माल के स्वामी को दिए बिना अधिहरण किए गए माल का मूल्य ; या

(ii) किसी विवादग्रस्त मामले में जो ऐसे मामले से भिन्न है, जहां निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रश्न का अवधारण विवाद्य है या विवाद्य बातों में से एक है वहां अन्तर्वलित शुल्क का अन्तर या अन्तर्वलित शुल्क ; या

(iii) ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने या शास्ति की रकम, [3][दो लाख रुपए] से अधिक नहीं है ।

[4][(1क) उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकृति के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील जो वित्त अधिनियम, 1984 की धारा 40 के प्रारम्भ से ठीक पहले अपील अधिकरण के समक्ष लम्बित है और ऐसी अपील से उद्भूत होने वाला या उससे संबंधित प्रत्येक मामला जो इस प्रकार लम्बित है, ऐसे प्रारम्भ पर केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो जाएगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी अपील या मामले को धारा 129घघ के अधीन इस प्रकार निपटा सकेगी मानो ऐसी अपील या मामला आवेदन हो या उस धारा के अधीन उसे किए गए आवेदन से उद्भूत होने वाला मामला हो ।]

[5][(1ख) (i) बोर्ड, [3][आदेश द्वारा] ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों ।

(ii) खंड (i) के अधीन गठित प्रत्येक समिति, यथास्थिति, दो मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों या दो सीमाशुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी ।]

[6][(2) [7][यदि [8][सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति] की यह राय है कि धारा 128 के अधीन जैसी वह नियत दिन के ठीक पहले थी, सीमाशुल्क अपील आयुक्त या [9][आयुक्त (अपील)] द्वारा धारा 128क के अधीन दिया गया आदेश विधिमान्य या उचित नहीं है तो वह [7][उसकी ओर से] उस ओदश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का उचित अधिकारी को निदेश दे सकेगा :

[10][परंतु जहां सीमाशुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और सीमाशुल्क के अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो समुचित अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त" से वह सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है जिसकी उस विषय में न्यायनिर्णयक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।]

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 40 द्वारा परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 86 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 40 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 70 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1986 के अधिनियम सं० 62 की धारा 34 के प्रवर्तित होने पर उपधारा (2) उस अधिनियम की धारा 34 में निदेशित रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगी उस अधिनियम की धारा 34 का पाठ परिशिष्ट में देखिए।
[7] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "कलक्टर (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 71 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) इस धारा के अधीन हर अपील उस तारीख से तीन मास के भीतर दाखिल की जाएगी जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यथास्थिति, [1][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] या अपील करने वाले दूसरे पक्षकार को संसूचित किया जाता है ।

(4) वह पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील की गई है यह सूचना प्राप्त होने पर कि इस धारा के अधीन अपील की गई है, इस बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, सूचना की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर, अपील किए गए आदेश के किसी भाग के विरुद्ध ऐसी रीति से, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए सत्यापित प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन फाइल कर सकेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो वह ऐसी अपील हो जो उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पेश की गई हो ।

(5) अधीन अधिकरण उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन दाखिल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके पेश न किए जाने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

[2][(6) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसका सत्यापन ऐसी रीति से किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और शुल्क और ब्याज की मांग की या उस शास्ति के उद्ग्रहण की, जिसके संबंध में अपील की गई है, तारीख का विचार किए बिना, उसके साथ,—

(क) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए या उससे कम है, वहां एक हजार रुपए की फीस होगी ;

(ख) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क, और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए से अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच हजार रुपए की फीस होगी ;

(ग) जहां सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दस हजार रुपए की फीस होगी :

परंतु उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की दशा में, ऐसी कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(7) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

(क) [3]*** भूल की परिशुद्धि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अपील की दशा में; या

(ख) किसी अपील अथवा किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रुपए की फीस होगी :

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा या उसकी ओर से फाइल किए गए किसी आवेदन की दशा में, कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

129ख. अपील अधिकरण के आदेश—(1) अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उसका उपान्तरण या उसे बातिल करते हुए उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझता है, अथवा उस मामले को ऐसे निदेशों के अनुसार जो अपील अधिकरण उचित समझे, और अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, यदि आवश्यकता हो, यथास्थिति, नए सिरे से न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए उस प्राधिकारी को पुन: निर्दिष्ट कर सकेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश दिया था ।

[4][(1क) अपील अधिकरण, किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय मंजूर कर सकेगा और अपील की सुनवाई को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन, अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।]

(2) अपील अधिकरण आदेश की तारीख से [5][छह मास] के भीतर किसी समय, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश का संशोधन, किसी ऐसी भूल को ठीक करने की दृष्टि से कर सकेगा जो अभिलेख से प्रकट है और यदि उस भूल की ओर

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 69 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 86 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 70 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 127 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उसका ध्यान [1][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] या अपील के दूसरे पक्षकार द्वारा दिलाया जाता है तो ऐसे संशोधन करेगा :

परन्तु ऐसा संशोधन, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण में वृद्धि होती हैया प्रतिदाय में कमी हो जाती है या दूसरे पक्षकार का दायित्व अन्यथा बढ जाता है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील अधिकरण ने उसे ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियक्त अवसर न दे दिया हो ।

[2][(2क) अपील अधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील का विनिश्चय, उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील फाइल की जाती है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर करेगा :

[3]* * * * *

(3) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन दिए गए हर आदेश की प्रति [4][सीमाशुल्क आयुक्त] और अपील के दूसरे पक्षकार को भेजेगा ।

(4) धारा 130 या धारा 130ङ में यथा उपबन्धित के सिवाय, अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश अन्तिम होंगे ।

129ग. अपील अधिकरण की प्रक्रिया—(1) अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से किया गया है ।

(2) [5][उपधारा (4)] में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य से मिलकर बनेगा ।

[6]* * * *

(4) अपील अधिकरण का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है, एकल रूप में बैठकर, ऐसे किसी मामले का निपटारा कर सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है, जहां—

(क) धारा 125 के अधीन अधिहरण के बदले में जुर्माने का संदाय करने का विकल्प माल के स्वामी को दिए बिना अधिहरण किए गए माल का मूल्य ; या

(ख) किसी विवादग्रस्त मामले में जो ऐसे मामले से भिन्न है जिसमें निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य से सम्बन्धित किसी प्रश्न का अवधारण विवाद्य है, या विवाद्य बातों में से एक है, अन्तर्वलित शुल्क का अन्तर या अन्तर्वलित शुल्क ; या

(ग) अर्न्तवलित जुर्माने या शास्ति की रकम,

[7][पचास लाख रुपए] से अधिक नहीं है ।

[8][(5) यदि न्यायपीठ के सदस्यों में किसी विषय पर मतभेद है तो उस विषय का विनिश्चय, यदि कोई बहुमत है तो बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, किंतु यदि सदस्यों के मत बराबर हैं तो वे उस विषय या उन विषयों का, जिन पर उनके बीच मतभेद है, उल्लेख करेंगे और उसे अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेंगे । अध्यक्ष उस विषय या उन विषयों पर या तो स्वयं सुनवाई करेगा या ऐसे विषय या विषयों को अपील अधिकरण के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा तथा ऐसे विषय या विषयों का विनिश्चय उन सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने उस मामले को सुना है, जिनके अन्तर्गत वे सदस्य भी होंगे जिन्होंने प्रथमत: उस मामले को सुना था ।]

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपील अधिकरण को स्वयं अपनी प्रक्रिया का तथा अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सब विषयों में अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत वे स्थान भी हैं, जहां न्यायपीठ अपनी बैठकें करेगी ।

(7) अपील अधिकरण को, अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण ;

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 127 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 87 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 65 द्वारा "उपधारा (3) और उपधारा (4)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 65 द्वारा उपधारा (3) का लोप किया गया ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 62 द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा ;

(ग) लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करना ; और

(घ) कमीशन जारी करना ।

(8) अपील अधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सब प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

[1]**129घ. बोर्ड या [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] की कुछ आदेश देने की शक्तियां** —(1) [3][मुख्य सीमा शुल्क आयुक्तों की समिति], स्वप्रेरणा से, किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख, जिसमें [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश दिया है, ऐसे विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और आदेश द्वारा [4][ऐसे [5][आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को] यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे विनिश्चय या आदेश से उद्‌भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों का अवधारण कराने के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे जो [2][मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति] द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

[6][परंतु जहां सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, सीमाशुल्क आयुक्त के विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् यदि उसकी यह राय है कि सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिया गया विनिश्चय या पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्‌भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे, जो उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।]

(2) [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त], स्वप्रेरणा से, किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख, जिसमें उसके अधीनस्थ किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश दिया है, ऐसे विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और [7][आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी सीमाशुल्क अधिकारी को] यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे विनिश्चय या आदेश से उद्‌भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों का अवधारण कराने के लिए [8][आयुक्त (अपील)] को आवेदन करे जो [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

[9][(3) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा :]

[10][परंतु बोर्ड, दर्शित किए गए पर्याप्त कारण से, उक्त अवधि को और तीस दिन के लिए बढ़ा सकेगा ।]

[11][(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या [2][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई सीमाशुल्क अधिकारी, अपील अधिकरणों को या [8][आयुक्त (अपील)] को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित किए जाने की तारीख से [12][एक मास] की अवधि के भीतर कोई आवेदन करता है वहां ऐसा आवेदन, यथास्थिति, अपील अधिकरण या [8][आयुक्त (अपील)] द्वारा इस प्रकार सुना जाएगा मानो ऐसा आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और इस अधिनियम की अपीलों की बाबत उपबंध, जिनके अन्तर्गत धारा 129क की उपधारा (4) के उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, ऐसे आवेदन को लागू होंगे ।

[1] 1986 के अधिनियम सं० 62 की धारा 34 के प्रवृत्त होने पर धारा 129घ उस अधिनियम की धारा 34 में निदेशित रूप में संशोधित हो जाएगी । उस अधिनियम की धारा 34 का पाठ परिशिष्ट में देखिए ।

[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 72 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[8] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "कलक्टर (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[10] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 88 द्वारा अंत:स्थापित ।

[11] 1986 के अधिनियम सं० 62 की धारा 34 के प्रवृत्त होने पर उपधारा (4) उस अधिनियम की उपधारा 34 में निदेशित रूप में संशोधित हो जाएगी । उस अधिनियम की धारा 34 का पाठ परिशिष्ट में देखिए ।

[12] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(5) इस धारा के उपबंध किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को लागू नहीं होंगे जिसमें किसी ऐसे प्रश्न का अवधारण विवाद्यक है या विवाद्यक प्रश्नों में से एक है जो किसी शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए शुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंधित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए किसी माल के संबंध में शुल्क की दर या किसी माल के मूल्यांकन के अवधारण के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित किसी प्रश्न का अवधारण भी है,—

(क) 28 फरवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किसी माल के संबंध में चाहे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन या किसी सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन, तत्समय प्रवृत्त शुल्क की दर ; या

(ख) ऐसे मामलों में, जहां निर्धारण 28 फरवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किया जाता है, किसी शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य ; या

(ग) कोई माल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची के किसी विशिष्ट शीर्ष या उपशीर्ष के अंतर्गत आता है या नहीं अथवा कोई माल शुल्क से पूर्ण या आंशिक छूट देने वाली केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई किसी विशिष्ट अधिसूचना या आदेश के अन्तर्गत आता है या नहीं ; या

(घ) शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए किसी माल के मूल्य में, ऐसे विषयों की बाबत जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, किसी रकम को जोड़ कर या कम करके, वृद्धि या कमी की जाए या नहीं ।]

[2]* * * * *

[3][**129घघ. केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण**—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 128क के अधीन पारित आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, जहां ऐसा आदेश धारा 129क की उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकृति का आदेश है वहां ऐसे आदेश को बातिल या उपान्तरित कर सकेगी :

[4][परंतु केंद्रीय सरकार अपने विवेकानुसार किसी आदेश की बाबत आवेदन वहां ग्रहण करने से इंकार कर सकेगी जहां ऐसे आदेश द्वारा अवधारित शुल्क, जुर्माना या शास्ति की रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "धारा 128क के अधीन पारित आदेश" के अंतर्गत वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 40 के प्रारम्भ के पूर्व उस धारा के अधीन पारित ऐसा आदेश है जिसके विरुद्ध ऐसे प्रारम्भ के पूर्व अपील नहीं की गई है और यदि उक्त धारा प्रवृत्त न हुई होती तो, ऐसी अपील ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अपील अधिकरण को की जा सकती थी ।

[4][(1क) सीमाशुल्क आयुक्त, यदि उसकी यह राय है कि धारा 128क के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है, समुचित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए केंद्रीय सरकार को अपनी ओर से आवेदन करने का निदेश दे सकेगा ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन, आवेदक को उस आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवदेक पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन पेश करने से निवारित रहा था तो वह तीन मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर उसे पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

[5][(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और उसके साथ निम्नलिखित फीस होगी—

(क) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा ऐसे मामले में, जिससे आवेदन का संबंध है, मांगे गए शुल्क और ब्याज, उद्गृहीत जुर्माने या शास्ति की रकम एक लाख रुपए या उससे कम है, वहां दो सौ रुपए ;

(ख) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा ऐसे मामले में, जिससे आवेदन का संबंध है, मांगे गए शुल्क और ब्याज, उद्गृहीत जुर्माने या शास्ति की रकम एक लाख रुपए से अधिक है, वहां एक हजार रुपए :

परंतु ऐसी कोई फीस उपधारा (1क) में निर्दिष्ट आवेदन की दशा में संदेय नहीं होगी ।]

(4) केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश को बातिल या उपान्तरित कर सकेगी ।

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा (प्रवर्तित होने पर) अंत:स्थापित ।
[2] सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (निरसन) अधिनियम, 2004 (2004 का 25) द्वारा लोप किया गया ।
[3] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1999 के अधिनिमय सं० 27 की धारा 110 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1999 के अधिनिमय सं० 27 की धारा 110 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) अधिहरण के बदले में शास्ति या जुर्माने में वृद्धि करने वाला या अधिक मूल्य में माल का अधिहरण करने वाला कोई आदेश,—

(क) किसी ऐसी दशा में इस धारा के अधीन पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें धारा 128क के अधीन पारित आदेश से अधिहरण के बदले में शास्ति या जुर्माने में वृद्धि की गई है या अधिक मूल्य के माल का अधिहरण किया गया है ; और

(ख) किसी अन्य दशा में इस धारा के अधीन तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक प्रस्थापित आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना, बातिल या उपान्तरित किए जाने वाले आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर नही दी गई है ।

(6) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई सीमाशुल्क उद्‌गृहीत नहीं किया गया है या कम उद्‌गृहीत किया गया है वहां ऐसा शुल्क उद्‌गृहीत करने वाला या उसमें वृद्धि करने वाला कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्थापित आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना, धारा 28 में विनिर्दिष्ट समय की परिसीमा के भीतर नहीं दी गई है ।]

[1][**129ङ. अपील फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति की कतिपय प्रतिशतता का जमा किया जाना**—यथास्थिति, अधिकरण या आयुक्त (अपील),—

(i) धारा 128 की उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति के किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में शुल्क का, उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है साढ़े सात प्रतिशत या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है, जमा नहीं कर दिया हो ;

(ii) धारा 129क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, शुल्क का, उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है साढ़े सात प्रतिशत या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है, जमा नहीं कर दिया हो :]

(iii) धारा 129क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, शुल्क का, दस प्रतिशत उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है, जमा नहीं कर दिया हो :

परंतु इस धारा के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे ।]

[2][**129ङङ. धारा 129ङ के अधीन जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज**—जहां धारा 129ङ के अधीन अपीलार्थी द्वारा जमा की गई किसी रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, वहां अपीलार्थी को उस रकम पर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय नियत की जाए, ऐसी रकम का संदाय किए जाने की तारीख से ऐसी रकम का प्रतिदाय किए जाने की तारीख तक, ब्याज का संदाय किया जाएगा :

परंतु वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व, धारा 129ङ के अधीन जमा की गई रकम, धारा 129ङङ, जैसे वह उक्त अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विद्यमान थी, के उपबंधों द्वारा शासित होती रहेगी ।]

[3]*   *   *   *   *

130ङ. उच्चतम न्यायालय को अपील—उच्चतम न्यायालय को अपील—

[4][(क) किसी मामले में,—

(i) धारा 130 के अधीन की गई अपील में ; या

(ii) 1 जुलाई, 2003 से पूर्व अपील अधिकरण द्वारा धारा 130 के अधीन किए गए निर्देश पर ; या

(iii) धारा 130क के अधीन किए गए निर्देश पर,

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 25 की धारा 89 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 90 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2005 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।

[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 123 द्वारा प्रतिस्थापित ।

दिए गए उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से ऐसे मामले में हो सकेगी, जिसे उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से या निर्णय के पारित किए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी मौखिक आवेदन पर, उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए ठीक मामले के रूप में प्रमाणित करता है ; या]

(ख) अपील अधिकरण द्वारा [1][राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना के पूर्व] पारित ऐसे आदेश से हो सकेगी जो अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंधित प्रश्न के अवधारण के संबंध में हैं ।

130च. उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के वे उपबन्ध जो उच्चतम न्यायालय को अपीलों से संबंधित हैं, धारा 130ङ के अधीन अपीलों की दशा में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उच्च न्यायलय की डिक्रियों से अपीलों की दशा में लागू होते हैं :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह धारा 130व की उपधारा (1) या धारा 131 के उपबन्धों को प्रभावित करती है ।

(2) अपील के खर्चे उच्चतम न्यायालय के विवेकानुसार होंगे ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में फेरफार कर दिया जाता है या उलट दिया जाता है वहां उच्चतम न्यायालय का आदेश ऐसी रीति से प्रभावशील किया जाएगा जैसी उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में धारा 130घ में उपबन्धित है ।

131. निर्देश आदि के होते हुए भी शोध्य राशियों का संदाय—इस बात के होते हुए भी कि [1][राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व इस अधिनियम के अधीन] उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है या उच्चतम न्यायालय को अपील की गई है, धारा 129ख की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को शोध्य राशि इस प्रकार किए गए आदेश के अनुसार संदेय होगी ।

131क. प्रति के लिए लगे समय का अपवर्जन—इस अध्याय के अधीन अपील या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा कालावधि की संगणना करने में, उस दिन का, जिसको उस आदेश की जिसका परिवाद किया गया है, तामील की गई थी और यदि अपील करने वाले या आवेदन करने वाले पक्षकार को, तब जब आदेश की सूचना की तामील उस पर की गई थी आदेश की प्रति नहीं दी गई थी, तो ऐसे आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का, अपवर्जन किया जाएगा ।

131ख. कुछ लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण और अनंतिम उपबंध—(1) हर अपील जो नियत दिन के ठीक पहले बोर्ड के समक्ष धारा 128 के अधीन, जैसी वह उस दिन के ठीक पहले थी, लम्बित है और ऐसी अपील से उद्भूत या संसक्त कोई मामला जो इस प्रकार लंबित है, उस दिन अपील अधिकरण को अंतरित हो जाएगा और अपील अधिकरण ऐसी अपील या मामले पर उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही कर सकेगा जिस पर वह उस दिन था :

परन्तु अपीलार्थी यह मांग कर सकेगा कि उस अपील या मामले में आगे कार्यवाही करने से पहले उसकी फिर से सुनवाई की जाए ।

(2) हर कार्यवाही जो नियत दिन से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के समक्ष धारा 131 के अधीन, जैसी वह उस दिन के ठीक पहले थी, लम्बित है और ऐसी अपील से उद्भूत या संसक्त कोई मामला जो इस प्रकार लम्बित है, उस दिन अपील अधिकरण को अन्तरित हो जाएगा और अपील अधिकरण ऐसी कार्यवाही या मामले में उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही कर सकेगा जिस पर वह उस दिन था मानो ऐसी कार्यवाही या मामला उसके समक्ष फाइल की गई अपील हो :

परन्तु यदि ऐसी कार्यवाही या मामला ऐसे आदेश से सम्बन्धित है जहां :—

(क) धारा 125 के अधीन अधिहरण के बदले में जुर्माना देने का विकल्प माल के स्वामी को दिए बिना अधिहरण किए गए माल का मूल्य; या

(ख) किसी विवादग्रस्त मामले में जो ऐसे मामले से भिन्न है जिसमें निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंधित किसी प्रश्न का अवधारण विवाद्य है या विवाद्य बातों में से एक है, अन्तर्वलित शुल्क के बीच अन्तर या अन्तर्वलित शुल्क; या

(ग) ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने या शास्ति की रकम,

दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसी कार्यवाही या मामला केन्द्रीय सरकार द्वारा निपटाया जाता रहेगा मानो धारा 131 प्रतिस्थापित न की गई हो :

परन्तु यह और भी कि आवेदक या दूसरा पक्षकार अपील अधिकरण से यह मांग कर सकेगा कि उस कार्यवाही या मामले में आगे कार्यवाही करने के पहले उसकी फिर से सुनवाई की जाए ।

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) हर कार्यवाही जो नियत दिन के ठीक पहले बोर्ड या [1][सीमाशुल्क आयुक्त] के समक्ष धारा 130 के अधीन, जैसी वह उस दिन के ठीक पहले थी, लम्बित है और ऐसी कार्यवाही से उद्‌भूत या संसक्त कोई मामला जो इस प्रकार लम्बित है, यथास्थिति, बोर्ड या [1][सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा निपटाया जाता रहेगा मानो उक्त धारा प्रतिस्थापित न की गई हो ।

(4) ऐसे व्यक्ति को जो नियत दिन के ठीक पहले उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अन्तरित किसी अपील या कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत था, धारा 146क में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपील या कार्यवाही के संबंध में अपील अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार होगा ।

[2][**131खक. कतिपय मामलों में अपील का फाइल न किया जाना**—(1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल किए जाने का विनियमन करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, नियत करने वाले आदेश या अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) जहां सीमाशुल्क आयुक्त ने, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया है, वहां वह ऐसे सीमाशुल्क आयुक्त को उन्हीं या समान विवाद्यकों या विधि के प्रश्नों वाले किसी अन्य मामले में कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने से निवारित नहीं करेगा ।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कोई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया है, ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि सीमाशुल्क आयुक्त ने अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है ।

(4) ऐसी अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश की सुनवाई करने वाला [3][आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या न्यायालय] उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल नहीं किया गया था ।

(5) 20 अक्तूबर, 2010 को या उसके पश्चात्, किंतु उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, बोर्ड द्वारा अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश फाइल करने की धनीय सीमाएं नियत करने संबंधी जारी किए गए प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निदेश को उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।]

131ग. परिभाषाएं—इस अध्याय में,—

(क) "नियत दिन" से वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1980 (1980 का 44) की पांचवीं अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट इस अधिनियम के संशोधनों के प्रवृत्त होने की तारीख अभिप्रेत है;

[4]* * * * *

(ग) "अध्यक्ष" से अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 16

अपराध और अभियोजन

132. मिथ्या घोषणा, मिथ्या दस्तावेज, आदि—जो कोई सीमाशुल्क से संबंधित किसी कारबार के संव्यवहार में कोई घोषणा, कथन या दस्तावेज, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी घोषणा, कथन या दस्तावेज किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है, करेगा, हस्ताक्षरित करेगा या उपयोग करेगा अथवा कराएगा, हस्ताक्षरित कराएगा, या उपयोग कराएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि [5][दो वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

133. सीमाशुल्क अधिकारी को बाधा डालना—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में किसी सीमाशुल्क अधिकारी को साशय बाधा डालेगा, तो ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि [6][दो वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

134. एक्स-रे कराने से इंकार—यदि कोई व्यक्ति—

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 25 की धारा 91 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) धारा 103 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी विकिरण विज्ञानी द्वारा अपने शरीर की स्क्रीनिंग करने या एक्स-रे चित्र खींचने देने का प्रतिरोध करेगा या उसके लिए इन्कार करेगा, या

(ख) धारा 103 में यथा उपबन्धित अपने शरीर के अन्दर छिपाए हुए अधिहरण किए जा सकने वाले माल को बाहर लाने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक की सलाह पर और पर्यवेक्षक के अधीन उपयुक्त कार्यवाही करने देने का प्रतिरोध करेगा या उसके लिए इन्कार करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

135. शुल्क या प्रतिषेधों का अपवंचन—[1][(1) इस अधिनियम के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति,—

(क) किसी माल के संबंध में, उन पर प्रभार्य किसी शुल्क के, या इस अधिनियम या ऐसे माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तत्समय अधिरोपित किसी प्रतिषेध के, मूल्य की गलत घोषणा या कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन का प्रयास करने में किसी भी प्रकार जानबूझकर संबंध रखेगा ; या

(ख) किसी माल का, जिनके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे, यथास्थिति, धारा 111 या धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी हैं, कब्जा प्राप्त करेगा या उनके वहन, हटाने, निक्षेप करने, संश्रय देने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने में किसी भी प्रकार का संबंध रखेगा या ऐसे किसी माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करेगा; या

(ग) ऐसे किसी माल का, जिनके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी हैं, निर्यात करने का प्रयास करेगा; या

(घ) माल के निर्यात के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शुल्क की वापसी या उससे कोई छूट कपटपूर्ण रूप से प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा,

तो वह,—

(i) निम्नलिखित से संबंधित किसी अपराध की दशा में,—

(अ) ऐसा कोई माल जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, या

(आ) [2][पचास लाख रुपए] से अधिक शुल्क का अपवंचन या अपवंचन का प्रयास, या

(इ) प्रतिषिद्ध माल के ऐसे प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, या

(ई) खंड (घ) में निर्दिष्ट शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या कोई छूट प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, यदि शुल्क की वापसी या छूट की रकम [2][पंचास लाख रुपए] से अधिक है,

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा;

(ii) किसी अन्य दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।]

[3][(2) यदि इस धारा के अधीन या धारा 136 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पुन: सिद्धदोष ठहराया जाएगा, तो वह द्वितीय और पश्चात्‌वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा :

परन्तु इसके प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जो न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे ऐसा कारावास [4][एक वर्ष] से कम का नहीं होगा ।]

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को [4][एक वर्ष] से कम की अवधि का दंडादेश अधिनिर्णीत करने के लिए विशेष और पर्याप्त कारण नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(i) यह तथ्य कि अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए प्रथम बार सिद्धदोष ठहराया गया है;

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 112 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1978 के अधिनियम सं० 25 की धारा 16 द्वारा (1-7-1978 से) "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) यह तथ्य कि इस अधिनियम के अधीन, अभियोजन से भिन्न, किसी कार्यवाही में अभियुक्त को शास्ति का संदाय करने का आदेश दिया गया है या ऐसे माल का जो ऐसी कार्यवाही की विषयवस्तु है अधिहरण करने का आदेश दिया गया है या उसी कार्य के लिए जिससे अपराध बनता है, उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई की गई है;

(iii) यह तथ्य कि अभियुक्त मुख्य अपराधी नहीं था और वह केवल माल के वाहक के रूप में कार्य कर रहा था या अन्यथा अपराध करने में गौण पक्षकार था;

(iv) अभियुक्त की आयु ।]

[1][**135क. तैयारी**—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल के निर्यात की तैयारी करेगा और मामले की परिस्थितियों से यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि वह उसकी इच्छा पर अनाश्रित परिस्थितियों द्वारा नहीं रोका जाता तो वह अपराध करने के अपने आशय को क्रियान्वित करने के लिए कृत निश्चय था, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

135ख. इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों के नाम, कारबार के स्थान, आदि के प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उसके किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे व्यक्ति का नाम और कारबार या निवास का स्थान, उल्लंघन की प्रकृति, यह तथ्य कि वह व्यक्ति इस प्रकार सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, ऐसे व्यक्ति के व्यय पर ऐसे समाचारपत्रों में या ऐसी रीति में, जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, प्रकाशित कराए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तभी किया जाएगा जब उस न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की अवधि बिना अपील किए समाप्त हो गई है या ऐसी अपील की गई है और निपटा दी गई है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशन के व्यय दोषसिद्ध व्यक्ति से इस प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना है ।]

136. सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा अपराध—(1) यदि कोई सीमाशुल्क अधिकारी [2][किसी कार्य या बात को जिसके द्वारा कोई कपटपूर्ण निर्यात किया जाता है या] किसी माल पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क का या इस अधिनियम या किसी माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी प्रतिषेध का अपवंचन होता है या हो सकता है, करने का करार करेगा या उससे उपमत होगा या ऐसा कार्य या बात करने से विरत रहेगा, उसका करना अनुज्ञात करेगा, उसे छिपाएगा या उसके संबंध में मौनानुकूल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [3][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई सीमाशुल्क अधिकारी—

(क) यह विश्वास करने का कारण रखे बिना कि किसी व्यक्ति के पास ऐसे माल या दस्तावेज उसके शरीर पर छिपाई हुई है, उससे अधिहरण के दायी माल को या उनसे संबद्ध किसी दस्तावेज के लिए तलाशी लेने की अपेक्षा करेगा; या

(ख) यह विश्वास करने का कारण रखे बिना कि कोई व्यक्ति धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है उसको गिरफ्तार करेगा; या

(ग) यह विश्वास करने का कारण रखे बिना कि धारा 105 में निर्दिष्ट प्रकृति के माल, दस्तावेज या वस्तुएं किसी स्थान में छिपाई हुई हैं उस स्थान की तलाशी लेगा या किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी को तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) यदि कोई सीमाशुल्क अधिकारी, ऐसे अधिकारी की हैसियत में सद्भावपूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के सिवाय या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन की गई अपेक्षा का अनुपालन करने के सिवाय, किसी माल की बाबत अपनी पदीय हैसियत में जानी गई विशिष्टियों को प्रकट करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

137. अपराधों का संज्ञान—(1) कोई न्यायालय धारा 132, धारा 133, धारा 134 या [4][धारा 135 या धारा 135क] के अधीन किसी अपराध का संज्ञान [5][सीमाशुल्क आयुक्त] की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

---

[1] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 6 द्वारा धारा 135क और 135ख अंत:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 125 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) कोई न्यायालय धारा 136 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान,—

(क) जहां अपराध [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] से अनिम्न पंक्ति के सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा किया गया अभिकथित है, वहां केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा;

(ख) जहां अपराध [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] से निम्न पंक्ति के सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा किया गया अभिकथित है, वहां [2][सीमाशुल्क आयुक्त] की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

[3][(3) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा [4][ऐसी प्रशमन रकम और प्रशमन की ऐसी रीति में] का, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा :

[5][परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा 135 और धारा 135क के अधीन किसी अपराध की बाबत एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसा अपराध करने का अभियुक्त रहा है जो निम्नलिखित किसी अधिनियम के अधीन भी अपराध है, अर्थात् :—

(i) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61);

(ii) रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34);

(iii) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54);

(iv) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53);

(ग) ऐसे व्यक्ति को, जो निम्नलिखित किसी के अंतर्गत आने वाले माल की तरक्की में संलिप्त है, अर्थात् :—

(i) ऐसे माल, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन जारी की गई, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति की आयात और निर्यात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के परिशिष्ट 3 में विशेष रसायनों, अंगों, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकी की सूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(ii) ऐसे माल, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन जारी की गई, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति की आयात और निर्यात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में आयात और निर्यात के लिए प्रतिषिद्ध मदों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं;

(iii) ऐसे कोई अन्य माल या दस्तावेज, जिनसे किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है या जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए अनादर सूचक हैं;

(घ) ऐसे व्यक्ति को, जिसे एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के माल की बाबत किसी अपराध के लिए इस अध्याय के अधीन एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(ङ) ऐसे व्यक्ति को, जिसे 30 दिसंबर, 2005 को या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है ।]

138. अपराधों का संक्षेपत: विचारण—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)[6] में किसी बात के होते हुए भी, [7][धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन] दंडनीय अपराध से भिन्न इस अध्याय के अधीन अपराध का मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: विचारण किया जा सकता है ।

[8][**138क. सदोष मन:स्थिति की उपधारणा**—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की सदोष मन:स्थिति की अपेक्षा है, न्यायालय ऐसी मन:स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए इस तथ्य का साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मन:स्थिति नहीं थी ।

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 71 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 89 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 89 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।
[7] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 8 द्वारा "धारा 135 के खंड (i) के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 9 द्वारा धारा 138क और 138ख अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "सदोष मन:स्थिति" के अंतर्गत आशय हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान, और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई तथ्य साबित हुआ तभी कहा जाएगा, जब न्यायालय यह विश्वास करता है कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर सिद्ध हुई है ।

138ख. कुछ परिस्थितियों में कथन की सुसंगति—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के दौरान सीमाशुल्क के किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा,—

(क) जब वह व्यक्ति जिसने कथन किया है, मर गया है या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या वह प्रतिपक्षी द्वारा विलग रखा जाता है या जिसकी उपस्थिति ऐसे विलंब या व्यय के बिना नहीं कराई जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है; या

(ख) जब उस व्यक्ति की, जिसने कथन किया है, न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में परीक्षा की जाती है और न्यायालय की यह राय है कि, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कथन को साक्ष्य में ग्रहण करना न्याय के हित में होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन, न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्यवाही से भिन्न, किसी कार्यवाही के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे न्यायालय के समक्ष होने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में लागू होते हैं ।]

[1][**138ग. सूक्ष्म-फिल्मों, दस्तावेजों की अनुलिपि प्रतियों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की, दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित को भी, अर्थात् :—

(क) किसी दस्तावेज की सूक्ष्म-फिल्म या ऐसी सूक्ष्म-फिल्म (चाहे वर्धित रूप में हो या नहीं) में सन्निविष्ट प्रतिकृति या प्रतिकृतियों का पुनर्प्रस्तुतीकरण; या

(ख) किसी दस्तावेज की अनुलिपि प्रति; या

(ग) किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट और कंप्यूटर से तैयार की गई मुद्रित सामग्री में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कंप्यूटर प्रिंट आउट" कहा गया है) अंतर्विष्ट कोई कथन, यदि उपधारा (2) और इस धारा में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों में वर्णित शर्तें प्रश्नगत कथन और कंप्यूटर प्रिंट आउट के संबंध में पूरी हो जाती हैं,

इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेज समझा जाएगा और उनके अधीन की गई किसी कार्यवाही में, किसी अतिरिक्त सबूत के बिना या मूल को पेश किए बिना, मूल की किसी अंतर्वस्तु के या उसमें कथित किसी तथ्य के संबंध में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, साक्ष्य के रूप में होगा ।

(2) किसी कंप्यूटर प्रिंट आउट के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) कथन वाला कंप्यूटर प्रिंट आउट, कंप्यूटर से उस अवधि के दौरान तैयार किया गया था जब कंप्यूटर का, ऐसे व्यक्ति ने जिसका कंप्यूटर के प्रयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण है, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए जानकारी के या संग्रहण आलेखन के लिए, नियमित रूप से प्रयोग किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, कंप्यूटर को उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में, कथन में अंतर्विष्ट प्रकार की या उस प्रकार की जानकारी; जिससे इस प्रकार अंतर्विष्ट जानकारी प्राप्त की गई है, नियमित रूप से दी गई थी;

(ग) उक्त अवधि के समस्त अधिकतर भाग में, कंप्यूटर ठीक से चल रहा था, या यदि ऐसा नहीं था तो वह विषय जिस विषय में वह ठीक से नहीं चल रहा था या उस अवधि का वह भाग जिसके दौरान वह बंद था, ऐसा नहीं था जिससे दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण दर या अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती; और

(घ) कथन में अंतर्विष्ट जानकारी, पुन: प्रस्तुत की जाती है या कंप्यूटर को उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में की गई जानकारी को पुन: प्रस्तुत करती है या उससे ली गई है ।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथावर्णित उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए, जानकारी के संग्रहण या आलेखन का कृत्य नियमित रूप से, कंप्यूटरों द्वारा, चाहे—

(क) उस अवधि के दौरान चल रहे कंप्यूटरों के संयोजन से; या

(ख) उस अवधि के दौरान उत्तरवर्तन में चलने वाले विभिन्न कंप्यूटरों से; या

(ग) उस अवधि के दौरान उत्तरवर्तन में चलने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों से; या

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 29 की धारा 6 द्वारा (1-7-1988 से) अंत:स्थापित ।

(घ) किसी भी अन्य रीति से जिसमें, उस अवधि के दौरान एक या अधिक कंप्यूटर और कंप्यूटरों के एक या अधिक संयोजन, किसी भी क्रम में उत्तरवर्तन से चले हों, नियमित रूप से निष्पादित किया गया था,

वहां उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी कंप्यूटरों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर माना जाएगा; और इस धारा में किसी कंप्यूटर के प्रति निर्देशों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कोई कथन देने की वांछा की जाती है, निम्नलिखित बातों में से किसी की बाबत कोई प्रमाणपत्र, अर्थात् :—

(क) कथन वाले दस्तावेज की पहचान और उस रीति का वर्णन जिससे उसे तैयार किया गया है;

(ख) उस दस्तावेज को तैयार करने में प्रयुक्त किसी युक्ति की विशिष्टियां, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त हों कि दस्तावेज किसी कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है;

(ग) किसी ऐसे विषय का उल्लेख जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं,

और जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलापों के प्रबंध (जो भी उपयुक्त हो) के संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया तात्पर्यित है, उस प्रमाणपत्र में दिए गए किसी विषय का साक्ष्य होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी विषय के लिए यह पर्याप्त होगा कि वह उसे कथित करने वाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कथित है ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जानकारी तब कंप्यूटर को दी गई मानी जाएगी जब वह किसी उपयुक्त प्ररूप में दी जाती है, चाहे वह सीधे दी जाए या (मानव के हस्तक्षेप से या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपस्कर द्वारा दी जाए;

(ख) यदि किसी पदधारी द्वारा किए गए कार्यकलापों के दौरान, जानकारी, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम से अन्यथा प्रचालित किसी कंप्यूटर द्वारा उन क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए संग्रह तैयार किए जाने की दृष्टि से दी जाती है तो वह जानकारी, यदि वह कंप्यूटर को सम्यक् रूप से दी जाती है, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में उसको दी गई समझी जाएगी;

(ग) किसी दस्तावेज को किसी कंप्यूटर द्वारा तैयार किया हुआ माना जाएगा चाहे उसे उसके द्वारा सीधे या (मानव हस्तक्षेप से या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपस्कर द्वारा तैयार किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंप्यूटर" से कोई ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो जानकारी के लिए नियत प्रसंस्करणों का उपयोजन करके आंकड़े प्राप्त करती है, संग्रह करती है और तैयार करती है और इन प्रसंस्करणों के परिणाम प्रदान करती है; और

(ख) अन्य जानकारी से प्राप्त की जाने वाली जानकारी के प्रति कोई निर्देश संगणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे प्राप्त की जाने वाली जानकारी के प्रति निर्देश होगा ।]

[1][**139. कुछ दशाओं में दस्तावेजों के बारे में उपधारणा**—जहां कोई दस्तावेज—

(i) इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा पेश की जाती है या किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण से, अभिगृहीत की जाती है, या

(ii) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित किसी अपराध के अन्वेषण के दौरान भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त की जाती है,

और अभियोजन द्वारा ऐसी दस्तावेज साक्ष्य में उसके या उसके और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसका उसके साथ संयुक्ततः विचारण किया जाता है, विरुद्ध दी जाती है वहां न्यायालय,—

(क) जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा करेगा कि ऐसे दस्तावेज में के हस्ताक्षर और उसका प्रत्येक अन्य भाग जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है अथवा जिसके बारे में न्यायालय युक्तियुक्त रूप से यह धारणा कर सकता है कि वह किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है या उसके हस्तलेख में है, उस विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में है और किसी निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज की दशा में यह उपधारणा करेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या सत्यापित की गई है जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादन या सत्यापन तात्पर्यित है;

(ख) यदि ऐसी दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है, तो इस बात के होते हुए भी कि वह सम्यक्तः स्टाम्पित नहीं है, उस दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण करेगा;

---

[1] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 10 द्वारा धारा 139 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) खंड (i) के अंतर्गत आने वाले मामले में जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा भी करेगा कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु सत्य है ।]

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दस्तावेज" के अंतर्गत ऐसी तालिका, फोटोचित्र और सूचियां हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 110 की उपधारा (1ग) के अधीन प्रमाणित किया गया है ।]

140. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अध्याय में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

[2][**140क. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 562 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू होना**—(1) [3]दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 562 की या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को लागू नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का न हो ।

(2) धारा 135 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।]

अध्याय 17

प्रकीर्ण

141. सीमाशुल्क क्षेत्र में प्रवहण और माल का सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होना—[4][(1)] किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में सभी प्रवहण और माल, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होंगे ।

[5][(2) आयातित या निर्यात माल को किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्राप्त, भंडारित, परिदत्त, प्रेषित या अन्यथा संभाला जा सकेगा और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व वे होंगे जो विहित किए जाएं ।]

142. सरकार को शोध्य राशियों की वसूली—(1) [6][जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कोई राशि] [7][जिसके अन्तर्गत धारा 28ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमाखाते में संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम भी है] संदत्त नहीं की जाती है, वहां,—

(क) उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय धन में से जो उस उचित अधिकारी के या किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी के नियंत्रण के अधीन है इस प्रकार संदेय रकम को काट सकता है या किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी से काटने की अपेक्षा कर सकता है; या

---

[1] 1985 के अधिनियम सं० 80 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] अब सुसंगत उपबंध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।
[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 74 द्वारा धारा 141 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
[5] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 74 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 66 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 88 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] ऐसे व्यक्ति के किसी माल को जो [1][सीमाशुल्क सहायक कलक्टर] या किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी के नियंत्रण के अधीन है, रोक कर और बेच कर इस प्रकार संदेय रकम वसूल कर सकता है या किसी अन्य सीमाशुल्क अधिकारी से वसूल करने की अपेक्षा कर सकता है; या

[2][(ग) यदि ऐसी रकम ऐसे व्यक्ति से खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित रीति से वसूल नहीं की जा सकती है तो,—

(i) सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, ऐसे व्यक्ति द्वारा शोध्य रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उस जिले के कलक्टर को भेजेगा, जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या कारबार चलाता है और उक्त कलक्टर, ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम वसूल करने के लिए वैसे ही कार्यवाही करेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो; या

(ii) उचित अधिकारी, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रण में की किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् कर सकेगा और उसे तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक संदेय रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता है; तथा यदि उक्त संदेय रकम के अथवा संपत्ति के करस्थम् या रखने के खर्चों का कोई भाग किसी ऐसे करस्थम् के ठीक पश्चात् तीस दिन की अवधि के लिए असंदत्त रहता है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करा सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगमों में से संदेय रकम और खर्चों को, जिनके अंतर्गत असंदत्त रहे विक्रय का खर्च है, चुका सकेगा और अधिशेष, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्ति को दे देगा :]

[3][परन्तु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्ववर्ती कहा गया है), जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी राशि का, जिसके अन्तर्गत धारा 28ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम भी है, संदाय नहीं किया गया है, अपने कारबार या व्यापार का पूर्णत: या भागत: अन्तरण या अन्यथा व्ययन करता है अथवा उसके स्वामित्व में कोई परिवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई अन्य व्यक्ति ऐसे कारबार या व्यापार में उसका उत्तरवर्ती होता है, वहां इस प्रकार उत्तरवर्ती होने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा या कब्जे में के सभी माल, सामग्री, निर्मितियों, संयंत्रों, मशीनरी, जलयानों, बर्तनों, उपकरणों और वस्तुओं को भी कुर्क किया जा सकेगा और ऐसे अन्तरण या अन्यथा व्ययन या परिवर्तन के समय ऐसे पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार संदेय रकम की वसूली करने के प्रयोजनों के लिए, सीमाशुल्क आयुक्त से लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, समुचित अधिकारी द्वारा उनका विक्रय किया जा सकेगा ; या]

[4][(घ) (i) उचित अधिकारी, लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिससे ऐसे व्यक्ति को धन शोध्य है, या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो सकता है या जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके लेखे धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण कर सकता है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह या तो उस धन के शोध्य हो जाने पर या धारित किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट उस समय पर या उसके भीतर, जो ऐसे समय से पूर्व का न हो, जब धन शोध्य हो जाता है या धारित किया जाता है, उतना धन जितना ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धन, जब वह उस रकम के बराबर या उससे कम हो, केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा और विशिष्ट रूप से, जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय करने के पूर्व की जाने वाली किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वैसी ही किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करना आवश्यक नहीं होगा;

(iii) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को संदाय करने में असफल रहता है, तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत व्यतिक्रमी समझा जाएगा और इस अध्याय की सभी पारिणामिक बातों का अनुसरण किया जाएगा ।]

(2) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बन्धपत्र या अन्य लिखत के निबन्धनों में यह उपबन्ध है कि ऐसी लिखत के अधीन शोध्य रकम उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल की जा सकती है, वहां वह रकम, वसूली के अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार वूसल की जा सकती है ।

[5][**142क. अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना**—किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय शुल्क, शास्ति, ब्याज की कोई रकम या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 529क, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 66 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 72 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 79 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 51 द्वारा अंत:स्थापित ।

ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी ।]

143. कुछ दशाओं में बन्धपत्र के निष्पादन पर आयात या निर्यात अनुज्ञात करने की शक्ति—(1) जहां इसके पहले कि कोई व्यक्ति किसी माल का आयात या निर्यात कर सके या सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रण से किसी माल की निकासी कर सके इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा कोई बात करने की अपेक्षा की जाती है और [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] का यह समाधान हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी बात ऐसे आयात, निर्यात या निकासी के पहले उस व्यक्ति का अहित किए बिना नहीं की जा सकती है वहां [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और उस व्यक्ति द्वारा आयात, निर्यात या निकासी के पश्चात् ऐसे समय के अन्दर वह बात करने के लिए जो बन्धपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित ऐसी रकम के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] अनुमोदित करे, बन्धपत्र निष्पादित किए जाने पर ऐसे आयात, निर्यात या निकासी की इजाजत दे सकता है ।

(2) यदि वह बात बन्धपत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कर दी जाती है तो [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] पूर्ण रूप से उन्मोचित रूप में बन्धपत्र को रद्द कर सकता है और मांग की जाने पर, उसे इस प्रकार रद्द करके उस व्यक्ति को दे सकता है जिसने उसे निष्पादित किया था या जो उसे पाने का हकदार है; और ऐसी दशा में वह व्यक्ति, यथास्थिति, इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि में उस बात को करने से सम्बन्धित उपबन्धों को उल्लंघन करने के लिए किसी शास्ति का दायी नहीं होगा ।

(3) यदि वह बात बन्धपत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर नहीं की जाती है, तो [1][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बन्धपत्र पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने का हकदार होगा ।

[2]* * * * *

144. नमूने लेने की शक्ति—(1) उचित अधिकारी, किसी माल के प्रवेश या निकासी पर या जब ऐसे माल सीमाशुल्क क्षेत्र में से होकर पास हो रहे हैं उस समय कभी भी, उनके स्वामी की उपस्थिति में परीक्षा या परीक्षण के लिए, या उनका मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए, या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए, ऐसे माल के नमूने ले सकता है ।

(2) जिस प्रयोजन के लिए ऐसा नमूना लिया गया था उसके पूर्ण हो जाने के पश्चात्, ऐसा नमूना, यदि साध्य हो तो मालिक को लौटाया जाएगा, किन्तु यदि स्वामी जिस तारीख को नमूना लिया गया था उससे तीन मास के अन्दर नमूने का परिदान नहीं लेता है, तो उसका ऐसी रीति में व्ययन किया जा सकता है जो [3][सीमाशुल्क आयुक्त] निर्दिष्ट करे ।

(3) इस धारा के अधीन लिए गए माल के किसी नमूने पर जो उसकी परीक्षा या परीक्षण के दौरान खप जाता है या नष्ट हो जाता है कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा [4]*** ।

145. स्वामी, आदि द्वारा सीमाशुल्क विधि के अनुपालन संबंधी आनुषंगिक संक्रियाओं का किया जाना—उचित अधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए माल को उपलभ्य करने के लिए या ऐसी परीक्षा को सुकर बनाने के लिए, यथास्थिति, माल के स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा सभी आवश्यक संक्रियाएं की जाएंगी या उसके खर्चे पर की जाएंगी ।

[5][**146. सीमाशुल्क दलालों के लिए अनुज्ञप्ति**—(1) कोई व्यक्ति किसी प्रवहण के प्रवेश या प्रस्थान के संबंध में या किसी सीमाशुल्क स्टेशन से माल के आयात या निर्यात के संबंध में सीमाशुल्क दलाल के रूप में कारबार नहीं चलाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विनियमों के अनुसार इस निमित्त दी गई कोई अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है ।

(2) बोर्ड इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगा और विशिष्टतया ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी और ऐसी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि;

(ख) अनुज्ञप्ति का प्ररूप और उसके लिए संदेय फीस;

(ग) उन व्यक्तियों की अर्हताएं जो अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन व्यक्तियों की अर्हताएं जो किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीमाशुल्क दलाल के रूप में उसके कार्य में सहायता करने के लिए नियोजित किए जाने हैं;

(घ) परीक्षा के संचालन की रीति;

---

[1] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 80 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 81 द्वारा लोप किया गया ।

[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) वे निर्बन्धन और शर्तें (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति देना भी है) जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी;

(च) वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी; और

(छ) अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध अपीलें, यदि कोई हों, और वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अपील फाइल की जा सकेगी ।]

[1][**146क. प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी**—(1) कोई व्यक्ति जो शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए धारा 108 के अधीन अपेक्षित होने से अन्यथा, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी सीमाशुल्क अधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अपनी ओर से हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(क) उसका नातेदार या नियमित कर्मचारी है; या

(ख) धारा 146 के अधीन अनुज्ञप्त [2][सीमाशुल्क दलाल] है; या

(ग) ऐसा विधि व्यवसायी है जो भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है; या

(घ) ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसी अर्हताएं अर्जित कर ली हैं जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा-ग्रुप क का सदस्य था और उस सेवा में किसी भी हैसियत में तीन वर्ष से अन्यून सेवा करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निवृत्त हो चुका है या पदत्याग कर चुका है तो वह, यथास्थिति, अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए किसी सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने का हकदार नहीं होगा ।

(4) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सरकारी सेवा से पदच्युत कर दिया गया है या हटा दिया गया है; या

[2][(ख) जो इस अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अधीन किसी कार्यवाही से संबद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या]

(ग) जो दिवालिया हो गया है,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में कभी भी और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में इतने समय के लिए जितना, यथास्थिति, [3][सीमाशुल्क आयुक्त] या [4][केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, (1944 का 1) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32)] के अधीन सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा अवधारित करे और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में उतनी अवधि के लिए जिसके दौरान दिवालियापन बना रहता है, अर्हित नहीं होगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति—

(क) जो विधि व्यवसायी है, अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पाया जाता है जो उसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित करने के लिए हकदार है तो ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का किसी सीमाशुल्क अधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष उसके हाजिर होने के अधिकार के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभाव होगा जैसे विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने के उसके अधिकार के सम्बन्ध में होता है;

(ख) जो विधि व्यवसायी नहीं है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में अवचार का दोषी पाया जाता है तो वह प्राधिकारी निदेश कर सकेगा कि वह उसके बाद से उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरर्हित होगा ।

(6) उपधारा (4) के खण्ड (ख) या उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश या निदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 50 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (11-10-1982 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 83 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 83 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) ऐसा कोई आदेश या निदेश किसी व्यक्ति की बाबत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;

(ख) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश या निदेश दिया गया है, उस आदेश या निदेश को रद्द कराने के लिए बोर्ड को अपील, उस आदेश या निदेश के दिए जाने के एक मास के भीतर कर सकेगा; और

(ग) ऐसा कोई आदेश या निदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसके दिए जाने से एक मास समाप्त न हो जाए या जहां अपील की गई है, वहां अपील का निपटारा न हो जाए ।]

147. मालिक और अभिकर्ता का दायित्व—(1) जहां यह अधिनियम माल के स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है, वहां वह बात उसकी ओर से उसके अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है ।

(2) माल के स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता द्वारा की गई ऐसी बात, जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, ऐसे स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता की जानकारी और सम्मति से की गई समझी जाएगी जिससे कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में, माल का स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता भी उसी प्रकार दायी होगा मानो वह बात उसने स्वयं की है ।

(3) जब कोई व्यक्ति, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, माल के स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे माल की बाबत उसका अभिकर्ता होने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति, स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्रयोजनों के लिए [1][जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसके लिए दायित्व भी है] ऐसे माल का स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता समझा जाएगा :

परन्तु जहां कोई शुल्क अभिकर्ता के जानबूझकर किए गए कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से भिन्न किसी कारण से उद्गृहीत नहीं किया जाता है या कम उद्गृहीत किया जाता है या उसका भूल से प्रतिदाय किया जाता है, वहां ऐसा शुल्क अभिकर्ता से वसूल नहीं किया जाएगा जब तक कि [2][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] की यह राय न हो कि उसे स्वामी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता से वसूल नहीं किया जा सकता ।

148. प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा नियुक्त अभिकर्ता का दायित्व—(1) जहां यह अधिनियम किसी प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा किसी बात के लिए किए जाने की अपेक्षा करता है, वहां वह बात उसकी ओर से उसके अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है ।

(2) किसी प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा नियुक्त अभिकर्ता और सीमाशुल्क अधिकारी का ऐसे भारसाधक व्यक्ति के अभिकर्ता के रूप में अपने को व्यपदिष्ट करने वाला व्यक्ति, जो ऐसे अधिकारी द्वारा अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन ऐसे भारसाधक व्यक्ति पर प्रश्नगत मामले की बाबत अधिरोपित सभी बाध्यताओं की पूर्ति करने के लिए और ऐसे मामले की बाबत जो शास्तियां और अधिहरण उपगत हों उनके लिए दायी होगा ।

149. दस्तावेजों का संशोधन—धारा 30 और धारा 41 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, उचित अधिकारी, स्वविवेकानुसार, किसी दस्तावेज को उसके सीमाशुल्क-सदन में पेश किए जाने के पश्चात् संशोधित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु आयातित माल के देशी उपभोग के लिए निकासी की जाने या भाण्डागार में निक्षेप किए जाने या निर्यातित माल का निर्यात किए जाने के पश्चात् प्रवेशपत्र या पोतपत्र या निर्यातपत्र का कोई संशोधन उस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर के सिवाय प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, जो उस समय विद्यमान था जब माल की, यथास्थिति, निकासी, निक्षेप या निर्यात किया गया था ।

150. माल के विक्रय की प्रक्रिया और विक्रय आगम का उपयोजन—(1) जहां किसी माल का जो अधिहरण किए गए माल नहीं हैं इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन विक्रय किया जाना है, वहां ये माल, उनके स्वामी को सूचना देने के पश्चात् सार्वजनिक नीलाम से या निविदा द्वारा या स्वामी की सम्मति से किसी अन्य रीति में विक्रय किए जाएंगे ।

(2) ऐसे विक्रय आगम का—

(क) सर्वप्रथम विक्रय के खर्चों के संदाय के लिए,

(ख) उसके बाद विक्रय किए गए माल की बाबत वाहक को संदेय, यदि कोई हो, ढुलाई और अन्य प्रभारों के संदाय के लिए, यदि माल को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रभारों की सूचना दे दी है,

(ग) उसके बाद विक्रय किए गए माल पर शुल्क के, यदि कोई हो, संदाय के लिए,

(घ) उसके बाद विक्रय किए गए माल की बाबत ऐसे माल को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को शोध्य प्रभारों के संदाय के लिए,

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 84 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ङ) उसके बाद इस अधिनियम या सीमाशुल्क से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन माल के स्वामी से केन्द्रीय सरकार को शोध्य रकम के संदाय के लिए,

उपयोजन किया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, माल के स्वामी को दिया जाएगा :

[1][परंतु जहां ऐसे माल के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, माल के स्वामी को विक्रय आगमों के अतिशेष का, यदि कोई हो, संदाय करना संभव नहीं है, वहां विक्रय आगमों के ऐसे अतिशेष का केंद्रीय सरकार को संदाय किया जाएगा ।]

151. सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिए अपेक्षित कुछ अधिकारी—निम्नलिखित अधिकारी इस अधिनियम के निष्पादन के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिए सशक्त किए जाते हैं और उनसे सहायता करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारी;

(ख) नौसेना के अधिकारी;

(ग) पुलिस के अधिकारी;

(घ) किसी पत्तन या विमान पत्तन पर नियोजित केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी;

(ङ) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

[2][**151क. सीमाशुल्क अधिकारियों को अनुदेश**—यदि बोर्ड, माल के वर्गीकरण में या उस पर शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में एकरूपता के प्रयोजन के लिए [3][या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध के, जहां तक उसका संबंध माल के आयात या निर्यात के लिए किसी प्रतिषेध, निर्बंधन या प्रक्रिया से है, कार्यान्वयन के लिए,] ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह सीमाशुल्क अधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी और इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित सभी अन्य व्यक्ति, बोर्ड के ऐसे आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का अनुपालन और अनुसरण करेंगे :

परन्तु कोई आदेश, अनुदेश या निदेश इस प्रकार नहीं दिए जाएंगे जिससे,—

(क) किसी ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी से कोई विशिष्ट निर्धारण करने के लिए या किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति से निपटारा करने के लिए अपेक्षा की जाए; या

(ख) [4][सीमाशुल्क आयुक्त (अपील)] के अपने अपीली कृत्यों के प्रयोग में विवेकाधिकार में बाधा हो ।]

152. शक्तियों का प्रत्यायोजन—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं—

(क) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त [5][[6][सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त]] या [7][सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन [7][सीमाशुल्क आयुक्त] द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त [8][सीमाशुल्क उप आयुक्त] या [9][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी;

(ग) इस अधिनियम के अधीन [8][सीमाशुल्क उप आयुक्त] द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त [9][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी;

(घ) इस अधिनियम के अधीन [9][सीमाशुल्क सहायक आयुक्त] द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त सीमाशुल्क के राजपत्रित अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी ।

153. आदेश, विनिश्चय, आदि की तामील—इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश या विनिश्चय या जारी किया गया कोई समन या सूचना,—

---

[1] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 52 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1985 के अधिनियम सं० 80 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 53 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1988 के अधिनियम सं० 29 की धारा 7 द्वारा (1-7-1988 से) "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क प्रधान कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क उप-कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा "सीमाशुल्क सहायक कलक्टर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) आदेश, विनिश्चय, समन या सूचना निविदत्त करके या [1][रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसे कुरियर द्वारा, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए] भेज कर तामील की जाएगी; या

(ख) यदि आदेश, विनिश्चय, समन या सूचना खण्ड (क) में उपबन्धित रीति में तामील नहीं की जा सकती है, तो सीमाशुल्क सदन के सूचना पट पर लगा कर तामील की जाएगी ।

154. लेखन गलतियों का शोधन, आदि—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार, बोर्ड या किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश में लेखन या गणित संबंधी भूलों या किसी आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली गलतियों का, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, बोर्ड या ऐसा सीमाशुल्क अधिकारी या ऐसे अधिकारी का पद उत्तरवर्ती, किसी भी समय शोधन कर सकता है ।

[2][**154क. शुल्क, आदि का पूर्णांकन**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संदेय शुल्क की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि और प्रतिदाय, वापसी की रकम या कोई अन्य शोध्य राशि, निकटतम रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपए का ऐसा भाग है जो पैसों में है वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे एक रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।]

[3][**154ख. कतिपय मामलों में व्यक्तियों से संबंधित सूचना का प्रकाशन**—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन से संबंधित किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकाशित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है तो वह ऐसे नामों और विशिष्टियों को ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे प्रकाशित कराएगी ।

(2) इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में तब तक कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, धारा 128 के अधीन आयुक्त (अपील) को या धारा 129क के अधीन अपील अधिकरण को अपील प्रस्तुत करने का समय, अपील किए बिना समाप्त हो गया है या यदि अपील की गई थी तो उसका निपटान कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में मामले की परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं तो, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों के नामों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों के नामों या संगम के सदस्यों के नामों को भी प्रकाशित किया जा सकेगा ।]

155. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के अथवा उस सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अनुसरण में की जानी तात्पर्यित किसी बात के बारे में वाद से भिन्न कोई भी कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के अथवा उस सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी को आशयित कार्यवाही और उसके हेतुक की एक मास की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना, या ऐसे हेतुक के प्रोद्भूत होने से तीन मास के अवसान के पश्चात्, प्रारंभ नहीं की जाएगी ।

156. नियम बनाने की साधारण शक्ति—(1) इस अधिनियम में अन्यत्र दी गई नियम बनाने की किसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार साधारणत: इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :—

[4][(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आयातित माल और निर्यातित माल के संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने की रीति ;]

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन किसी वस्तु के उपसाधन और फालतू पुर्जे, अनुरक्षण और मरम्मत करने के उपकरण उस वस्तु को लागू होने वाली शुल्क की दर पर प्रभार्य होंगे ।

[5][धारा 47 और धारा 51 के अधीन शुल्कों, करों, उपकरों या किन्हीं अन्य प्रभारों का आस्थगित संदाय करने के लिए देय तारीख और रीति ;]

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 128 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 62 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 113 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 138 द्वारा अंत:स्थापित ।

(घ) उस माल का निरोध और अधिहरण जिसका आयात प्रतिषिद्ध है और वे शर्तें, यदि कोई हों, जो ऐसे निरोध और अधिहरण के पहले पूरी की जाती हैं, वह जानकारी, सूचना और प्रतिभूति जो दी जानी हैं और ऐसे निरोध और अधिहरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित साक्ष्य के सत्यापन का ढंग;

(ङ) इत्तिला देने वाले द्वारा किसी लोक अधिकारी को उसके द्वारा दी गई जानकारी पर किसी माल के निरोध और ऐसे निरोध के परिणामस्वरूप की गई कार्यवाही की बाबत उपगत सभी खर्चे और नुकसानी का प्रतिदाय;

(च) किसी पोतपत्र या निर्यातपत्र में वर्णित किसी ऐसे माल की बाबत अपेक्षित जानकारी जो निर्यात नहीं किए जाते हैं या जो निर्यात किए जाते हैं, और बाद में वापस उतारे जाते हैं;

[1][(छ) उन व्यक्तियों के जो इस अधिनियम के या नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं, नामों या अन्य विशिष्टियों का ऐसी शर्तों के अधीन प्रकाशन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं ;]

[2][(ज) धारा 137 की उपधारा (3) के अधीन प्रशमन के लिए [3][संदत्त की जाने वाली रकम और प्रशमन की रीति] ;

157. विनियम बनाने की साधारण शक्ति—(1) इस अधिनियम में अन्यत्र दी गई विनियम बनाने की किसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड साधारणत: इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकता है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) प्रवेशपत्र, पोतपत्र, निर्यातपत्र, आयात सूची, आयात रिपोर्ट, निर्यात सूची, निर्यात रिपोर्ट, [4][यानांतरण पत्र, यानान्तरण की घोषणा, नौका-पत्र और तटीय माल पत्र का प्ररूप;

[5][(कi) धारा 26क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन माल के निर्यात, उसके हक का परित्याग करने और सीमाशुल्क अधिकारी के पास उसे छोड़ने और समुचित अधिकारी की उपस्थिति में माल को नष्ट करने या उसे वाणिज्यिक रूप से मूल्यविहीन बनाने की रीति;

(कii) धारा 26क की उपधारा (2) के अधीन शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति;

[6][(कक) वह [7][प्ररूप जिसमें और रीति जिससे] धारा 27 के अधीन प्रतिदाय के लिए आवेदन किया जाएगा;]

[8][(कख) आगमन और प्रस्थान के लिए यात्री और कर्मीदल सूची तथा यात्री नाम अभिलेख सूचना देने का प्ररूप, विशिष्टियां, रीति और समय तथा धारा 30क और धारा 41क के अधीन ऐसी सूचना परिदत्त करने में विलंब के लिए शास्ति ;]

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन सभी या किसी माल का यानांतरण, धारा 56 के अधीन सभी या किसी माल का परिवहन और धारा 67 के अधीन भाण्डागारित माल का एक भाण्डागार से दूसरे को हटाया जाना, शुल्क संदाय किए बिना अनुज्ञात किया जा सकता है;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन कोई विनिर्माण प्रकिया या अन्य संक्रिया धारा 65 के अधीन भांडागार में की जा सकती है ;

[9][(घ) आयातित या निर्यात माल के शुल्क के निर्धारण की उचित अधिकारी के कार्यालय में या, यथास्थिति, आयातकर्ता के परिसर पर संपरीक्षा के संचालन की रीति ।]

158. नियम और विनियमों की बाबत उपबन्ध—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम और विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

(2) कोई नियम या विनियम जिसे केन्द्रीय सरकार या बोर्ड इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिए सशक्त है,—

---

[1] 1973 के अधिनियम सं० 36 की धारा 12 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 73 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 90 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 115 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 91 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1991 के अधिनियम सं० 40 की धारा 14 द्वारा (20-9-1991 से) खंड (कक) अन्त:स्थापित ।
[7] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 67 द्वारा "प्ररूप जिसमें" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 108 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 54 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(i) आवेदनों की बाबत फीस उद्‌गृहीत करने, दस्तावेजों का संशोधन करने, दस्तावेजों की दूसरी प्रति देने, प्रमाणपत्र देने, आंकड़े देने और इस अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा किसी सेवा के किए जाने के लिए उपबंध कर सकता है;

[1][(ii) यह उपबंध कर सकता है कि कोई व्यक्ति, जो किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है या जो किसी नियम या विनियम के किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था, ऐसी शास्ति का, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।]

[2][**159. नियमों, कपितय अधिसूचनाओं और आदेशों का संसद् के समक्ष रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम, धारा 11, 11ख, 11ज, 11झ, 11ट, 11ढ, 14, 25, 28क, 43, 66, 69, 70, 74, 75, 76, 98, 98क, 101 और 123 के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना और धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, जो सामरिक, गुप्त, व्यष्टिक या वैयक्तिक प्रकृति के माल से संबंधित किसी आदेश से भिन्न है, बनाए जाने या निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र में अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम या अधिसूचना या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए अथवा वह अधिसूचना या आदेश नहीं निकाला जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु उस नियम या विनियम या अधिसूचना या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[3][**159क. नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के संशोधनों आदि का प्रभाव**—जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश या ऐसे नियम या विनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश का संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन किया जाता है वहां जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन से,—

(क) ऐसी कोई बात पुन: प्रवर्तित नहीं होगी जो उस समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है जब संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन प्रभावी हुआ; या

(ख) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के पूर्व में प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या उठाई गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(घ) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिकांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या उल्लंघन में किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो, यथास्थिति, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश का संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन नहीं किया गया था।]

160. निरसन और व्यावृत्ति—(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां उस विस्तार तक निरसित की जाती हैं, जो उसके चतुर्थ स्तंभ में वर्णित हैं।

(2) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) में,—

(क) धारा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्कों का उद्‌ग्रहण किया जाना**—वे दरें जिन पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क उद्‌गृहीत किया जाएगा, प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।";

(ख) धारा 5 और धारा 6 निरसित हो जाएंगी।

(3) इस धारा द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी,—

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 68 द्वारा धारा 159 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 113 द्वारा अंत:स्थापित।

(क) किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना या की गई कोई नियुक्ति या घोषणा या दी गई कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या छूट या किया गया कोई निर्धारण, या न्यायनिर्णीत अधिहरण या उद्‌गृहीत कोई शुल्क या अधिरोपित कोई शास्ति या जुर्माना या आदिष्ट कोई समपहरण, रद्दकरण, या उन्मोचन या की गई कोई अन्य बात या अन्य कार्रवाई, जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी;

(ख) इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम के प्रति निर्देश करने वाली दस्तावेज का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के या इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के प्रति निर्देश करती है ।

(4) इस बात के होते हुए भी कि कोई माल इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले आयात किए गए थे, यह अधिनियम उन सभी माल को लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर सीमाशुल्क के नियंत्रण के अधीन है ।

(5) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पहले किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन कोई आवेदन, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के लिए विहित, अवधि का अवसान हो गया है, वहां केवल इस तथ्य के कारण कि इस अधिनियम के अधीन उसके लिए दीर्घतर अवधि विहित है या समुचित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त दशाओं में समय के विस्तारण के लिए उपबंध किया गया है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे आवेदन, अपील या पुनरीक्षण के किए जाने को या किसी कार्यवाही के संस्थित किए जाने को समर्थ करती है ।

(6) धारा 65 के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले भांडागारित माल को लागू होंगे यदि उस धारा के अधीन अनुज्ञेय संक्रियाएं ऐसे प्रारंभ के पश्चात् की जाती हैं ।

(7) किसी निरसित अधिनियमिति के अधीन संदेय शुल्क या शास्ति इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में वसूल की जा सकती है किंतु वह निरसित अधिनियमिति के अधीन किसी शुल्क या शास्ति की वसूली के लिए पहले से की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी :

(8) उपधारा (4), (5), (6) और (7) में विशेष बातों के वर्णन से यह अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा कि वह निरसनों के प्रभाव के बारे में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्य उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसको प्रभावित करता है ।

(9) इस अधिनियम की कोई बात, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में यथा परिभाषित किसी महापत्तन में किसी पत्तन प्राधिकारी के गठन और उसकी शक्तियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि को प्रभावित नहीं करेगी ।

161. कठिनाइयों का दूर किया जाना—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में विशिष्टितया इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियमितियों से इस अधिनियम के उपबंधों में संक्रमण के संबंध में, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी बात कर सकती है जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

अनुसूची

(धारा 160 देखिए)

निरसन

वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)
1878	8	सागर सीमाशुल्क अधिनियम	संपूर्ण
1896	8	अंतर्देशीय बंधकाधीन भांडागार अधिनियम	संपूर्ण
1924	19	भूमि सीमाशुल्क अधिनियम	संपूर्ण
1934	22	वायुयान अधिनियम	धारा 16

———